राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 64 वां दिवस [संख्या 30

सोमवार, दिनांक 22-5-1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 654

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मदनकौर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री फारूक हसन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र !

बूंदी जिले में खनिज पदार्थ का सर्वेक्षण

656. **श्री रमेशचन्द्र** (हिण्डोली): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बूंदी जिले में खनिज पदार्थों की खोज के लिये सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो कौन कौन से खनिज किन किन स्थानों पर पाये गये हैं ?

(2) औद्योगिक दृष्टि से सरकार का विचार कब तक इन पर कार्य शुरू करने का है ?

राज्य मन्त्री खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) जी हां। पाये गये खनिजों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इस समय राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में इन भण्डारों के आधार पर उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रमेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बूंदी में सन् 1913–1915 के बीच में एक सीमेन्ट का कारखाना खुला था। उसके बाद में आज तक कोई कारखाना वहां पर नहीं खुला है। मैंने बजट रिपोर्ट में देखा है कि 15 जिले ऐसे चुने गये हैं जो कि पिछड़े जिले हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब यहां पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ और न ही यहां पर कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग धन्धे ही खुले हैं तो क्यों नहीं बूंदी जिले को आप पिछड़ा क्षेत्र या पिछड़ा जिला डिक्लेअर कर देते हैं।

Page No. 2

श्री कुमारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब तो मैंने दे दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई यह स्पेसिफिक सवाल पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री रमेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी ऐसा जिला है जहां पर आपको कई प्रकार की माइन्स मिलेगी। जिनका विकास किया जा सकता है और उसके लिये वहां पर कारखाने खोले जा सकते हैं। अभी थोड़े साल पहले करीब 4–5 साल पहले वहां पर जियोलोजिस्ट द्वारा सर्वे किया गया था वहां पर गुढा, गोकुलपुरा व अन्य जगहों पर कई तरह की खानें हैं। वहां पर तांबे की खाने हैं, जस्ते की खाने हैं और लाईम स्टोन का प्रचुर भण्डार है। लाखेरी और इन्द्रगढ़ में भी काफी स्कोप है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वहां पर बूंदी जिले में काफी मात्रा में खनिज पदार्थ वेराईटीज में एवेलेबल है तो वहां पर इनके कारखाने क्यों नहीं खोले जाते हैं। अगर उनकी तरफ ध्यान राज्य सरकार दे तो काफी विकास इन खानों का हो सकता है। वहां पर मैं आपको निवेदन कर दूं कि मारबल भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अगर वहां पर राजकीय उद्योग व प्राईवेट उद्योग लगाये जावें तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं चाहे नौजवान हैं चाहे जो रिटायर्ड लोग हैं उनको काम मिल सकता है। इसके अलावा अभी बून्दी जिले के कई वीरों ने अपने देश के लिए जान दी थी, अपने देश की प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उनके परिवार वालों को भी वहां पर काम मिल सकता है। उनकी औरतें, बच्चे वगैरह जो हैं उन्हें जीविकोपार्जन मिल जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने का विचार रखती है क्या ?

श्री कुमारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल किये हैं वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने जो यह बताया कि बूंदी जिले में काफी मात्रा में जस्ता, ताम्बा, वगैरह उपलब्ध है या मारबल व लाइम स्टोन और सीमेन्ट बहुतायत में पाई जाती है वह बात नहीं है। बूंदी जिले में ताम्बा जस्ता वगैरह प्रचुर मात्रा में एवेलेबल नहीं हैं। वहां का सर्वे किया गया जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट में उसके अनुसार तो वह तो अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसका तो अभी प्रिलीमीनरी सर्वे हुआ था। हां अलबत्ता लाखेरी व इन्द्रगढ़ में सीमेन्ट जरूर ज्यादा इन खनिज पदार्थों में पाई जाती है। तो उसके लिये कोई पार्टी आगे आवे तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। अभी तक वहां से कोई पार्टी सामने आ नहीं रही है। राज्य सरकार इसमें सिर्फ सीमेन्ट उद्योग पर फिलहाल विचार कर सकती है। बाकी तो तांबा, जस्ता, लाइम स्टोन वगैरह के लिये मैंने निवेदन कर दिया है कि वो इतनी मात्रा में नहीं है कि राज्य सरकार अभी इस स्टेज पर वहां इनके लिये विचार करे। अगर जियोलोजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे पूरी तरह से हो जायेगा और उन्होंने राय दी तो राज्य सरकार इस बारे में सोच सकती है। पर अभी तक तो सर्वे ही चल रहा है।

श्री रमेशचन्द्र : अध्यक्ष-महोदय, सीमेन्ट का कारखाना ए. सी. सी. का सन् 1913-1915 में खुला था। और अभी तक.......

श्री अध्यक्ष : आपको सवाल पूछना है तो पूछें।

श्री रमेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जिस कारखाने में चार हजार मजदूर काम करते थे, वहां पर अब डेढ़ हजार या एक हजार मजदूर रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि वहां खानों का विकास अगर आज राज्य सरकार करे तो काफी काम लोगों को मिल सकता है। आज काफी रा मैटिरियल बूंदी जिले से बाहर जाता है। और वो ही रा मैटिरियल दूसरी जगह तैयार किया जाता है। अगर मारबल की खान को प्रोत्साहित की जाय तो काफी जनता को आराम हो सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार को चाहिये कि अगर लाइम स्टोन की बूंदी जिले के अन्दर बहुतायत है उसका उद्योग धन्धा वहां खोला जाना चाहिये। मेरा राज्य सरकार को इसका निवेदन इसलिये है कि बूंदी जिला काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और चूंकि वहां पर इन पिछले सालों में राज्य सरकार का कोई उद्योग, कारखाना वगैरह नहीं है इसलिये इसे भी राजस्थान में जो 16 जिले पिछड़े हुए बजट में बताये गये हैं उसमें बून्दी को भी पिछड़ा क्षेत्र माना जाय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती भगवती देवी !

पाठ्य पुस्तकों में शहीदों का वर्णन

657. **श्रीमती भगवतीदेवी** (भिनाय): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के लिये बनी पाठ्य पुस्तकों में जंगे आजादी के लिये कितने और कौन कौन परवानों का वर्णन है और इनमें कितने राजस्थानी शहीदों का वर्णन है ?

(2) श्री जयनारायण व्यास, केसरी सिंह हाडा, श्री विजयसिंह पथिक, श्री अर्जुनलाल सेठी तथा बाबा नरसिंग दास आदि राजस्थानी सेनानियों की जीवनी क्या राजस्थान के बच्चों को पढ़ाई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या श्री चन्द्र शेखर आजाद, श्री भगतसिंह एवं श्री सुभाष बोस आदि शहीदों का पाठ्य पुस्तकों में वर्णन है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या स्वतन्त्र भारत में ऐसे आजादी के परवानों की जीवनी को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित न कर उन शहीदों के प्रति एवं भावी पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं है जब कि वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग आदि के कारनामों को तो बच्चों को पढ़ाया जाता है और आजादी के परवानों की बाबत उन्हें अनभिज्ञ रख रहे हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ?

(5) क्या सरकार आगामी सत्र में ही आजादी के लिए शहीद होने वाले व्यक्तियों की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

Page No. 4

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

(प्रश्न संख्या 658)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋण

659. **श्री जयकिशन लाल** (फागी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई है ? और इसके द्वारा आज तक किस किस वर्ष में किस किस पंचायत समिति क्षेत्र में कितना कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक में ऋण पत्रावलियां सन् 1969 से विचाराधीन हैं और बैंक का संचालन मण्डल उन किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है ? ऐसे सदस्यों की सूची पंचायत समितिवार किन किन गांवों की किस किस सदस्य की पत्रावलियां बैंक में तीन माह से अधिक समय से विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक ऋण उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(3) बैंक की स्थापना से आज तक ऐसी कितनी पत्रावलियां खारिज की गई ? सूची सदन की मेज पर मय कारणों के रखने की कृपा करें।

सहकारिता मन्त्री (श्री ओंकारलाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाये क्योंकि इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्रीमती समुन्द्र कंवर !

ग्राम बलदरा तथा गोधना में पाइप लाइन डालने की योजना

660. **श्रीमती समुन्द्र कंवर** (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील आहोर जिला जालोर के गांव बलदरा, गोधना और भूति में गांव के अन्दर पाइप लाइन की जो स्कीम पंचायत द्वारा भेजी गई है वह कब तक स्वीकृत हो जायेगी।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : पंचायत द्वारा भेजी हुई पाइप योजना विभाग में प्राप्त नहीं हुई। ग्राम योजना तो नलकूप से बनायी जा रही है। क्षेत्रीय योजना में शामिल है। योजना विचाराधीन है। अन्य गांवों के लिये अभी कोई योजना नहीं बनायी गई है।

श्रीमती समुन्द्र कंवर : मेरा निवेदन है कि गोधना वगैरह गांवों की योजना कब तक चालू होने की राज्य सरकार व्यवस्था कर देगी।

श्री चन्दनमल वैद : क्या कहा आपने ?

Page No. 5

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ये कह रही हैं कि गोधना जो आपने योजना बतायी है उसमें ग्राम गोधना भी शामिल है ।

श्री चन्दनमल बैद : ग्राम गोधना गांव के अन्दर पाइप लाइन की जो स्कीम है वह अभी तक विचाराधीन है । इसका बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि गोधना में ट्यूबवेल के बारे में जो योजना है उसके बारे में ?

श्री चन्दनमल बैद : ग्राम गोधना तो उस नलकूप से बतायी जा रही है, क्षेत्रीय योजना में शामिल है । और दूसरे गांवों के लिये...

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे गांवों के लिये अभी नहीं है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो दूसरे गांवों के लिये सारे राजस्थान में जहां जहां नलकूप लगाने की है उसके बारे में है कोई एक गांव के बारे में तो है नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती नगेन्द्र-बाला ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगरिया द्वारा ट्रैक्टर की खरीद

661. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 16-4-71 को ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगरिया के नाम से लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, कोटा से एक ट्रैक्टर की खरीद की गयी है ?

(2) यदि हां तो ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है ?

(3) उक्त ट्रैक्टर इस समय किसके पास है ? कहां काम आ रहा है और उसके द्वारा कितनी भूमि कृषि हेतु तैयार की गई है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां ।

(2) रजिस्ट्रेशन नं. 8588 है ।

(3) इसकी जांच की जा रही है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि यह ट्रैक्टर कब खरीदा गया । कौनसी तारीख को ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : तारीख तो आपने बता दी है 16-4-71 है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : तो इसकी जांच कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगरिया के नाम से कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया है, क्योंकि इस बारे का कोई रिकार्ड नहीं मिल रहा है । ट्रैक्टर खरीदने का ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगरिया के रिकार्ड में इसका इन्द्राज नहीं है । यह तो कोई दूसरी पार्टी ने खरीदा है । इसकी जांच की जा रही है कि लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, कोटा से ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगरिया के नाम से किसने ट्रैक्टर खरीदा । बाद में जांच से पता चला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट से कि

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

ग्राम सेवा सहकारी समिति सांगरिया के नाम से ट्रैक्टर रजिस्टर हुआ। जो कि इशाक एहमद नाम के व्यक्ति द्वारा रजिस्टर करवाया गया था। उसने हलफनामा दिया था व बाद में संबंधित व्यक्ति श्री इशाकएहमद से जानकारी की गयी। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि श्री इशाक एहमद उस ग्राम सेवा सहकारी समिति के मन्त्री हैं। उन्हें पूछने से उन्होंने बताया कि यह मैंने हलफ नामा नहीं दिया है मेरे नाम से किसी ने किया है इसकी अभी जांच····

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि यह इशाक एहमद उस सहकारी समिति का सेक्रेट्री है, उसने और कुछ लोगों ने मिलकर यह काम किया है। और इसमें साजिश से ही यह हुआ है। और उस ट्रैक्टर को 11 हजार रुपये का ब्लेक लेकर बेचा है। मैं इतना और निवेदन कर देना चाहती हूं कि यह ट्रैक्टर बून्दी बिक कर चला गया है। पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? इसमें राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : राज्य सरकार ने इसको पुलिस में जांच करने को दे दिया है। वह तफतीश करके जो फैसला करेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या 662

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री झावरमल सुन्डा!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल चौधरी!

सहायता कार्यों के अन्तर्गत कुचामन-घाटवा सड़क का कार्य

663. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल, बाढ़ के समय राज्य सरकार द्वारा कुचामन से घाटवा सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई थी? अगर हां, तो कब और कितने की स्वीकृति हुई?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का जो मौजूदा कार्य जीकरा डालने का करवाया जा रहा है उसी कार्य को सड़क का कार्य कहा जा सकता है? अगर हां, तो क्या यह कार्य नहीं करवाना उचित होगा?

(3) क्या यह भी सही है कि फेमिन के समय में राज्य सरकार द्वारा पांचवां ग्राम के डूंगर के पास व अन्य स्थानों पर जीकरा इकट्ठा करवाया गया था वह मौजूदा ठेकेदार उठा रहा है? यदि हां, तो क्या उसकी कोई कीमत ठेकेदार से ली गई है? अगर ली गई है, तो किस आधार पर कितनी? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री लूणाराम!

बरजांगसर बीदासर जलदाय योजना का कार्य

664. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बरजांगसर बीदासर की जलदाय योजना की लाइन पर ही बरजांगसर से 4 मील बीदासर की तरफ घनेरू ग्राम पड़ता है जहां पर विभाग द्वारा हौज (टैंक) बनाया हुआ है और पहले पानी इसी गांव के हौज में जमा होकर फिर बीदासर को जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम घनेरू का पानी विराहना (जहरीला) एवं अपर्याप्त है ?

(3) क्या यह सही है कि पानी का अभाव महसूस कर 4,5 वर्ष इस ग्राम के लिये ग्राम पंचायत बोड़ला ने विभाग को प्रार्थना-पत्र दिया और उस पर विभाग ने इस ग्राम की सर्वे करवाई तथा सर्वे के बाद योजना की कुल लागत का 5 पर्सेन्ट ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत बोड़ला को जमा कराने का आदेश दिया गया ?

(4) यदि हां, तो यह योजना कितने रुपये की बनी और विभाग ने कितने रुपये 5 पर्सेन्ट के हिसाब से ग्राम पंचायत बोड़ला से किस दिनांक को जमा करवाये गये ?

(5) क्या उक्त योजना स्वीकार कर ली गई है या नहीं ? अगर स्वीकार कर ली गई है तो उक्त ग्राम की जल समस्या कब तक हल कर दी जायेगी ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चंदनमल वैद): (1) जी हां, यह सही है कि पानी बजरांगसर से घनेरू के हौज में एकत्रित होकर बीदासर को जायेगा।

(2) घनेरू से जल स्रोतों का पानी जहरीला नहीं है परन्तु अपर्याप्त है।

(3) चूरू एक्स.ई.एन. के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ।

(4) चूरू एक्स. ई. एन. के यहां अभी तक पांच परसेन्ट के हिसाब से कोई राशि पंचायत बोड़ला से प्राप्त नहीं हुई है। योजना भी नहीं बनायी गयी है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि चूरू एक्स. इ.एन. के यहां जमा नहीं होना बताया। चूरू और बीकानेर दोनों का पहले एक ही एक्स.इ.एन. था पांच सात साल पहले जहां पर रकम जमा कराई गई है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसके अनुसार आईटम नं. 1 को तो उन्होंने भी माना है इसकी जांच कराई जाय। घनेरू गांव में पर्याप्त पानी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : चूंकि प्रश्न चूरू जिले से सम्बन्धित था इसलिये वहां से जांच की गयी। जैसा मैंने जवाब में कहा कि राशि प्राप्त होने की कोई जानकारी नहीं है। बीकानेर एक्स.इ.एन. में जमा हुई है तो इसकी जानकारी करेंगे। घनेरू के लिये पहले ही निवेदन कर चुका हूं। घनेरू गांव से पानी जायगी, उसको पानी देने की हां कर ही ली है।

श्री लूणाराम : घनेरू से पानी जाता है तो अभी से उसको कर दिया जाता है तो गर्मी में पानी की समस्या हल हो जाती है।

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो टेस्टिंग के लिये पानी दे रहे हैं। बीदासर की जल योजना शुरू नहीं हुई है। उसके साथ साथ इसको भी करने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह !

राज्य सहकारी संघ के सरप्लस सहकारी प्रशिक्षकों की नियुक्ति

665. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ के सरप्लस सहकारी प्रशिक्षकों को राज्य सेवा में लेने के लिये भूतपूर्व मुख्य मंत्री की विधान सभा में घोषणा के अनुसार क्या स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई थी ? यदि हां, तो कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चयनित प्रशिक्षकों को सहकारी विभाग में निरीक्षक के पद पर लगाने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो उनको निरीक्षक के पद पर क्यों नहीं लगाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जब जब भी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को नियमित राज्य सेवा में लिया तो उनको पुराना वेतन दिया ? यदि हां, तो उक्त सहकारी प्रशिक्षकों को पुराना वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि चयनित प्रशिक्षकों में से कुछ को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में व्याख्याता के पद पर लगाया गया तथा उनको पुराना वेतन दिया गया ? यदि हां, तो बाकी व्यक्तियों के साथ ऐसा क्यों किया गया ?

राज्य मंत्री, सहकारी विभाग (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। कमेटी की रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी हां, परन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रम एफ. 18 (139) को ऑप. 1/69, दिनांक 13-7-70 के आदेशानुसार ही चयनित प्रशिक्षकों के सहायक निरीक्षकों के पद पर लगाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। परन्तु उनको पुराना वेतन नहीं दिया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नारायणसिंह : इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनको किस पद पर लगाया गया ?

श्री जुझारसिंह : असिस्टेन्ट निरीक्षक के पद पर लगाया गया जैसा राज्य सरकार का निर्णय था। कुछ व्यक्तियों को राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव यूनियन ने अपने यहां लगा लिया इन्स्पेक्टर की ग्रेड में कहे जा सकते हैं।

Page No. 9

श्री नारायणसिंह : राज्य सरकार ने लगाया है ?

श्री जुझारसिंह : असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर की जगह पर लगाया है।

श्री नारायणसिंह : कमेटी ने रिपोर्ट की है उनको इन्स्पेक्टर के पद पर लगाया जाना चाहिये क्या राज्य सरकार इस पर कृत संकल्प है ?

श्री जुझारसिंह : वह रिकमण्डेटरी बोर्ड है। राज्य सरकार ने उनकी रिकमन्डेशन को मन्जूर नहीं किया। 4 जुलाई 70 को केबिनेट ने इन्स्पेक्टर की ग्रेड में लगाने का प्रस्ताव द्वारा फैसला किया।

श्री नारायणसिंह : मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांग पर विचार किया जायगा और इन्स्पेक्टर के पद पर लगाया जायगा।

श्री सहकारी मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : केबिनेट में इस पर विचार किया गया, यह कभी नहीं कहा कि निरीक्षक के पद पर लगाया जायगा। जिस योग्यता पर पाये गये उनके अनुसार सहायक निरीक्षक के पद पर लिया गया। सेमी गवर्नमेंट से फुल गवर्नमेन्ट के हो गये।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

जे.के. सिथेटिक्स पर कर की बकाया

666. श्री केदारनाथ (गंगानगर) [श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) की ओर से] : क्या वाणिज्य कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा को, कर निर्धारण की पत्रावली में तत्कालीन वाणिज्य कर अधिकारी श्री अर्जुनलाल कोटवानी ने कर से मुक्त कर दिया जबकि अन्य अधिकारी श्री आर. आर. गुप्ता ने सामान्य मामले में उसी जे. के. सिथेटिक्स पर एक साल का 27 लाख रुपये का टैक्स लगाया ?

(2) श्री जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा में कितने साल का कर निर्धारण शेष है और वह नियमित कर रिटर्न के साथ जमा होता रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो कर निर्धारण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य कर मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी नहीं।

(2) मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा का वर्ष 1968-69 से कर निर्धारण होना शेष है।

करदायी नियत समय पर अपने बिक्री विवरण प्रपत्र दे रहा है और बिक्री कर विवरण प्रपत्र के अनुसार कर राशि भी नियमित रूप से जमा करा रखी है।

श्री केदारनाथ : 1968-69 का कर निर्धारण नहीं हुआ इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : वे रिटर्न बराबर दे रहे हैं और कर बराबर आ रहा है। हमें यह सन्देह हुआ था कि जो माल ये

Page No. 10

(श्री चन्दनमल वैद)
अपने ऑफिसेज को भेज रहे हैं वह सेल के अन्तर्गत आ सकता है। इसके लिये स्पेशल पार्टीज बम्बई और सूरत में भेजी गई यह पता लगाने के लिये कि माल राजस्थान से बाहर भेज रहे हैं सचमुच में ये अपने ऑफिसेज को भेज रहे हैं या बाहर भेज रहे हैं। इसकी जांच चल रही है। पूरी होने पर पता लगेगा ताकि सारी चीज को ठीक किया जा सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या इसकी कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद : जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी न हो जाय कुछ भी बताना उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : किस साल गये थे और छापा मारा था ?

श्री चन्दनमल वैद : कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भेजे थे सूरत और बम्बई को यह जांच करने के लिये कि माल ब्रांच ऑफिसेज को भेज रहे हैं या एक्चुयली सेल हो रहा है।

श्री मोहनलाल छंगानी : मैं निवेदन करूंगा कि पिछले साल पार्टीज बम्बई और सूरत को भेजी थी पूरी की पूरी रिपोर्ट उनकी आगई और यह तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि रिपोर्ट उपलब्ध है और एक दो दिन में इसका निपटारा कर देंगे। मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जांच रिपोर्ट का हवाला दें और सदन को विश्वास में लें।

श्री चन्दनमल वैद : विश्वास में लेने का सवाल नहीं है। कर निर्धारण का सवाल है। 71 की बात है, जांच के लिए ऑफिसर्स गये। रिपोर्ट आयी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एक चीज यह विवादास्पद थी कि जो चीज प्रोडयूस कर रहे हैं उसको बिक्री कर देते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : वह डी. सी. एम. का मामला है और इस सदन में उस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सेल्स टैक्स की जो दर है उस दर से टैक्स लिया जा रहा है क्या कोटा में ? कानपुर में स्थिति है उसके अनुसार वसूल किया जा रहा है। स्थिति बदल गयी है। कोटा में ले आये हैं तो क्या उसके अनुसार वसूल हो रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : सेल नहीं होता है तो सेल्स टैक्स नहीं होता है। यहां से सेल करके बाहर भेजते हैं तो ले सकते हैं। ब्रान्च ऑफिसेज को भेजें, बम्बई, कानपुर और दूसरी जगह तो सेल्स टैक्स लेवी नहीं होता है। जांच यह हो रही है कि यहां से माल गया सेल बेसिस पर गया या ब्रान्च में भेजा गया ? सारी रिपोर्ट आवेगी तब ले आउट की जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऑफिसर्स ने क्या रिपोर्ट दी है ? अधिकारियों ने क्या यह कहा है कि ब्रान्च ऑफिसेज में भेजा या नहीं भेजा ? इसमें आपत्ति की बात क्या है ? बताने में क्या हर्ज है ?

श्री चन्दनमल वैद : सारा का सारा माल सेल के लिये गया हो ऐसा अधिकारियों ने नहीं माना। कुछ कागजात ऐसे

(श्री चन्दनमल वैद)
हैं जिनसे सन्देह हुआ कि सेल पर गया है। उसके लिये क्वश्चनायर लिखा है। उन्होंने रिप्लाई दिया है। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर विचार कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। छोड़ा नहीं गया है। यहां एप्लीकेशन है और दूसरी जगह भेजा गया इस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : जो माल चला गया, सेल न बता कर क्या बताया? यहां से सेल करेंगे और बता देंगे ब्रान्च से सेल हुआ। क्या तरीका है उसके लिये आपके पास ?

श्री चन्दनमल वैद : तरीका यह है, यहां से सेल करें तो सेल्स टैक्स लेते हैं और ब्रान्च ऑफिस को भेजा और वे सेल करें तो सारी स्टेटेस मजबूर हैं।

श्री शंकरलाल : यहां से सेल होता है और ब्रान्च में भी सेल होता है तो यह सेल माना जावेगा।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ऐसा हम नहीं करते हैं जब तक सेल न हो जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे एक प्रश्न पूछना है....

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान से बहुत सा माल यहां से बाहर आड़तियों के जरिये बेचने के लिए जाता है तो इस तरीके से क्या जो माल आड़तियों के जरिये कलकत्ता या बम्बई बेचने के लिए जाता है जिसकी एक्जुअल सेल वहां होती है ऐसे मामले क्या सेल्स टैक्स से फ्री हैं।

श्री चन्दनमल वैद : इस प्रश्न में यह कई बार नहीं होता है। इसमें यही है कि ब्रान्च ऑफिस दूसरी जगह कायम कर रखे हैं और वहां पर एज ए स्टाक माल बाहर भेजते हैं और हमारे यहां से सेल नहीं बताते हैं केवल यह बताते हैं कि हमने अपना माल ब्रान्च ऑफिस को ट्रान्सफर कर दिया तो ऐसे माल के ऊपर हम सेल्स टैक्स लेवी नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? आपने 'वाई' को कमिशन एजेन्ट बना दिया और वह यहां नहीं करता है और वहां जाकर सेल करता है आफटर वन ईयर तो सेल कलकत्ता में हुआ और 'दैट इज टैक्सेबल/टैक्स आप उस पर वसूल कर सकते हैं। और सेल की इन्टेन्शन है तो आपको टैक्स लेना चाहिए और सेल की इन्टेन्शन नहीं है और अपनी ही इन्डस्ट्री में कन्ज्यूम करने की इन्टेन्शन है तो नहीं ले सकते हैं लेकिन इन्टेन्शन आफ सेल है तो स्टाक करे तब भी आप सेल्स टैक्स लेने के अधिकारी है।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें फर्क है। इतना ही है कि एक तरफ आढ़तिया है और दूसरी तरफ अपना खुद का ऑफिस है। खुद के ऑफिस को माल ट्रान्सफर कर देते हैं तो उनसे सेल्स टैक्स नहीं वसूल कर सकते। Intention of sale is no sale. तो हम कोर्ट से बंधे हुए है। कोर्ट्स का कहना है कि जब तक सेल नहीं होता है आप सेल्स टैक्स नहीं ले सकते।

(श्री चन्दनमल वैद)

अभी एक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी उठा था चेकपोस्ट के बारे में। तो चेकपोस्ट से दूसरी जगह से बाहर हमारी स्टेट में माल आ रहा है और, हमने कहा कि हमें सन्देह है कि आप राजस्थान के अन्दर इसका सेल्स टैक्स नहीं चुकायेंगे इसलिए इसका टैक्स यहीं चुका दीजिए। माननीय सदस्यों ने ही इस प्रश्न को उठाया और हाईकोर्ट ने होल्ड किया है कि जब तक सेल नहीं हो जाये तब तक हम सेल्स टैक्स नहीं ले सकते। इसी तरह से यह है कि अगर ब्रान्च आफिस को माल भेजते हैं तो हम उस पर सेल्स टैक्स लेवी नहीं कर सकते।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मंत्री महोदय, कृपया स्पष्ट बतायें कि यह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : स्पष्ट जवाब है कि हमने क्वेश्चनेयर पेश किया है और उसका जवाब आ रहा है। इसके बीच में ही उन्होंने दरख्वास्त की है कि कोटा से ट्रान्सफर करके उनका केस दूसरी जगह भेज दो। उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं और हमारी कार्यवाही चालू है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी चाहता था कि जितनी भी बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं इसके ब्रान्च ऑफिसेज दूसरी जगह हैं.........

श्री अध्यक्ष : "दैट इज बाई ला"

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा था कि सेल्स टैक्स का जिक्र चल रहा है। हमारे यहां राजस्थान में 3 परसेन्ट है और वहां 2 परसेन्ट है तो हमारे यहां एक परसेन्ट का फर्क पड़ता है और लाखों, करोड़ों रुपयों की सेल बाहर करते हैं तो इसमें जो लेकुना है जिसकी वजह से राजस्थान में लाखों रुपयों की हानि हो रही है इसको दूर करने के बारे में क्या सोच रहे हैं ? क्योंकि एक दफा मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में तय हुआ था कि टैक्स की दर समान होगी ताकि चोरी करने की मनोवृत्ति रुके। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह क्या विचार कर रहे हैं ? क्योंकि यह तो फैक्ट है कि ब्रांच ऑफिसेज को ट्रान्सफर करके टैक्स की चोरी करते हैं और राजस्थान में जहां बहुत आवश्यकता है रुपये की वहां राजस्थान इससे वंचित रहता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने तो ऐसा प्रश्न उठा दिया कि जिसके ऊपर एक घन्टा भाषण हो सकता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जे. के. सिन्थेटिक के ऑफिस का झगड़ा है......

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक पूछें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ऑफिस का झगड़ा उठा और सदन में हल्ला हुआ कि जे. के. सिन्थेटिक के ऑफिसेज यहां लाये जायें। यह अधिकारियों और जे. के. सिन्थेटिक वालों की मिलीभगत है।

श्री चन्दनमल वैद : यह गलत है। आपको समझना चाहिए कि कानूनी मसला क्या है। आप कानूनी मसला

Page No. 13

(श्री चन्दनमल बैद)
समझते नहीं हैं और अधिकारियों की मिलीभगत, अधिकारियों की मिलीभगत कहते रहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें देरी क्यों की गयी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो हम कानूनी मसले को कब दूर कर रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : क्या सरकार कानून में संशोधन करने का विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : कानून में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि सेल नहीं होती तो हम सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते।

श्री शंकरलाल : इसका मतलब यह है कि इस तरह से कोई भी करे और हमको कोई टैक्स नहीं मिले और इसका कोई उपाय नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : हम संशोधन कोई नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है.......

श्री अध्यक्ष : 667

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है और वित्त मन्त्री जी ने कहा है वह ठीक नहीं कहा है।.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मामले में मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें ला डिपार्टमेन्ट की राय ली गयी है ?

श्री अध्यक्ष : 667

तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्य और मजदूरों का बकाया

667. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर में पिछले वर्षों अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों की काफी मजदूरी का भुगतान करना शेष है ? और हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा चलाए गए अकाल राहत कार्यों के कितने मजदूरों की किस वर्ष की कितनी मजदूरी का भुगतान करना शेष है ? विभागवार व वर्षवार मजदूरों के नाम तथा राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त बकाया का मजदूरों को भुगतान क्यों नहीं किया गया है और अब बकाया मजदूरी का भुगतान कब तक व कैसे कराया जायेगा ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। तहसील, सांचोर जिला जालोर में पिछले वर्षों अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों का सिंचाई विभाग एवं वन विभाग के अभिकरण से कराये गये कार्यों पर क्रमशः 6634-10 तथा 4553-73 पै. बकाया था। राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों पर कोई बकाया मजदूरी का

(श्री परसराम मदेरणा)
भुगतान करना शेष नहीं होना संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों ने बताया है। विभागवार एवं वर्षवार मजदूरों के नाम तथा राशि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त बकाया मजदूरी के लिये बकाया की सूचियां तथा धनराशि जिलाधीश के मार्फत संबंधित तहसीलदारों व विकास अधिकारियों को भेज दी गई है जो भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं। भुगतान में देरी होने का कारण सिंचाई विभाग के अभिकरण से कराये गये कार्यों के संबंध में यह बताया गया है कि मजदूर अपने निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं है इस कारण बकाया के भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। और देरी हो रही है। भुगतान की व्यवस्था चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो दो-तीन साल से बकाया मजदूरी बता रहे हैं और मजदूरों को बाहर जाना बताते हैं लेकिन बीच में जमाना हुआ था और सब मजदूर वहीं थे तो उस समय पेमेंट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे अभिकरणों से भुगतान होना था, हो गया। अब केवल इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट का मजदूरों का बकाया है और 247 फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के मजदूरों का कुल मिलाकर 546 मजदूरों का 11,19.60 बकाया है और राज्य सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि हमें समय समय पर जिलाधीश द्वारा सूचना आई कि हमें मजदूरों का आइडेन्टीफिकेशन करना मुश्किल हो रहा है इसलिए आदेश जारी किये गये हैं कि यह तीन हफ्ते से इसके भुगतान की सूचना पंचायत समिति, पंचायत को और पंचायत और पंचायत समितियों के जरिये सरपंच, ग्रामसेवक को और पटवारियों को दे दी जाये कि निश्चित तारीख के ऊपर राजस्व अधिकारी जाये जो कि री-इम्बर्समेन्ट आफिसर है और उसके साथ तहसीलदार भी जाये। उसके अन्दर जितने भी लोग वहां आते हैं और जिनका आइडेन्टीफिकेशन हो जाता है उनको पेमेन्ट होना चाहिए। अगर पेमेन्ट नहीं होता है तो जिनका एरियर बाकी रहता है इस संबंध में मीमो बनाकर जो सरपंच या एम.एल.ए. या प्रधान या तहसीलदार या विकास अधिकारी है वह तीन कापियां बनाकर एक जिलाधीश को भेज दी जाये और एक एग्जीक्यूटिव एजेन्सी को भेज दी जाये और तीसरी कापी राजस्व अधिकारी के पास रहनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भुगतान कितने निश्चित समय में करा दिया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या प्रोग्राम वहां पर बनाया गया है और राजस्व अधिकारी किस वक्त भुगतान करेगा यह जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय प्रोग्राम के मुताबिक न तो अधिकारी सूचना भेजते हैं और बहुत लम्बा अरसा हो गया है आपने आदेश प्रसारित किये हैं तो इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिए कलेक्टर से रिपोर्ट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मांगी जाये कि प्रोग्राम निश्चित किया है उसके मुताबिक पेमेन्ट की तारीख निश्चित करेंगे या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं कि समय समय पर राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं लेकिन जो अन-आइडेन्टीफाइड लोग हैं उनका अमाउन्ट बकाया है और उसको वापिस डिपोजिट कराने के लिए इस माह की 15 तारीख को आदेश दिए गए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पी. डब्लू. डी. का अमाउण्ट भी बकाया है जब कि आपने कहा है कि उनका कोई बकाया नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने मेरे प्रश्न के भाग (1) में उत्तर दे दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज भी 15 का बकाया है, आप जानकारी कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : 15 आदमी या 15 गेंग ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : 15 गेंगों का।

श्री परसराम मदेरणा : एक जगह का ही ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी सड़क ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सड़क जसाड़ा ढांग का।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जानकारी कर लूंगा। मेरी सूचना के अनुसार जो मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया है उसके अनुसार कोई बकाया नहीं है लेकिन माननीय सदस्य दूसरी इन्फार्मेशन दे रहे हैं कि एक ही सड़क का 15 गेंग का अमाउंट बकाया है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बकाया का प्रश्न एक जिले का ही नहीं है, सारे राजस्थान की यह समस्या है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि मंत्री महोदय आदेश कर देते हैं, भुगतान चला जाता है लेकिन काम करने वालों का जो मस्टर रोल है वह नहीं जाता बल्कि उसकी लिस्ट देते हैं उस लिस्ट में गांव का नाम सही नहीं लिखा होता और सही नाम नहीं लिखा होता और सही नाम नहीं लिखे जाने से सारा का सारा भुगतान रह जाता है। हमारे जिले में पचास पचास हजार का भुगतान मजदूरों का बकाया है लेकिन उनके नाम, वल्दियत और गांव का नाम सही नहीं मिलता है। इस कारण से मैं आपके मार्फत, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भुगतान के लिए जो प्रतियां भेजी जाती हैं उनकी नकलें सही प्रतिलिपि के रूप मे और उनको सही करवा कर भेजें ताकि मजदूरों को भुगतान किया जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मस्टर रोल भी साथ में भिजवा दें।

श्री परसराम मदेरणा : मस्टर रोल साथ में भेजने का प्रश्न पहले भी उठा था

Page No. 16

(श्री परसराम मदेरणा)
लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि उसकी एक डुप्लीकेट कापी भिजवा दी जाय और मस्टर रोल भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह पर शकुंनत या पेरेंट का नाम, फादर का नाम ठीक नहीं है वहां यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यह आदमी कोई दूसरा तो नहीं है। कापी करते समय जिनके गलत नाम लिख दिए गए उनको दुरुस्त कर दिया गया है।

माननीय सदस्य कहते हैं कि गांव का नाम ठीक नहीं है तो उसी से तो फर्जी हो सकते हैं और इसीलिए नियमों में अमेंडमेंट किया गया है ताकि जो असली लोग हैं वे आइडेंटीफाई हो सके हम इस मामले को वन्स फार आल फाइनल कर देना चाहते हैं और उसी के लिए यह एलोबरेट प्रोसीजर अडोप्ट किया गया है ताकि कोई मजदूर अपनी मजदूरी पाने से वकाया नहो रहे और उनको आइडेंटीफाई करके पेमेंन्ट कर दिया जावे। इसीलिए यह प्रोसीजर इतना एलोबरेट किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में माननीय सदस्य कोआपरेट करेंगे। जब कभी भी डिस्वर्समेंट के लिए आफिसर्स गए हैं, मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार उनके सामने दिक्कत रही है कि काम तो बन्द हो जाता है और काम बन्द होने के बाद मजदूर वहां से चला गया। आज जो जोधपुर का मजदूर फलोदी में काम रहा है तो वह काम बन्द होने के बाद जोधपुर चला गया और जब डिस्बर्समेंट एजेंन्सी वहां गई और उन्होंने आस पास इत्तला करवाई तो भी वे लोग पहुंच नहीं सके। मैंने स्वयं ने देखा था कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के मजदूर फलोदी में काम कर रहे थे और अब उनका आइडेंटीफिकेशन नहीं हो रहा है जिससे उसमें डिफिकल्टी रही है।

श्री लूणाराम : गांवों के नाम दिए ही नहीं गए हैं मस्टर रोल तक में, इसी से यह समस्या आ रही है। कहीं पर गांवों के नाम भी हैं तो सही नाम नहीं मिल पाते जिससे यह समस्या इस रूप में सामने आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर गांव का नाम लिखा हुआ नहीं है और माननीय सदस्य यह कहते हैं कि आदमी को पेमेंन्ट हो जाना चाहिए। इसके अलावा 68-69 के अन्दर राज्य सरकार और सहायता विभाग के ध्यान में यह बात आई थी कि जो मस्टररोल तैयार किए जा रहे हैं उनमें सकूनत नहीं है और इस पर ही यह आदेश दिए गये हैं और उसके बाद में हर मस्टररोल के नम्बर लग गये और नम्बर के साथ में 69-70 में जो फेमिन लगातार चला था उसमें एक फेमिली कार्ड बनाया गया ताकि कोई फोर्जरी नहीं हो सके, एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह नहीं लग सके। फेमिन कार्ड बनने के बाद एक्जीक्यूटिव एजेंसी द्वारा स्क्रूटिनि होती है पेरेंटेज और उसके गांव के बारे में। इसके बाद में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की भावना तो शुद्ध है यह तो मेरी निश्चित धारणा है, किन्तु मैं यह जानकारी चाहूंगा कि आप भुगतान का, मजदूरों के भुगतान का आदेश तो देते हैं

(श्री लक्ष्मणसिंह)
लेकिन आपने यह कभी चैकिंग किया कि आपके आदेशों का पालन हुआ या नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : आदेश नहीं अमाउण्ट भेजते हैं। फिर जितना अमाउण्ट बनता है पूरा का पूरा ट्रांसफर किया है। अमाउण्ट ट्रान्सफर करने के बाद भी कलेक्टर उसको डिस्बर्स नहीं कर सके। इसमें उनकी डिफिकल्टी यह रही कि पहले तो कुछ सेंसस का वर्क आ गया, फिर इलेक्शन आ गए जिससे वे ड्राईव नहीं चला सके इसका। कलेक्टर्स ने अमाउण्ट 31 मार्च को ड्रा कर लिया और अब वह कलेक्टर्स के पास में है और इसलिए फिर उन्हें आदेश दिया गया है कि इमीजियेटली इसका डिसबर्समेंट करावें। कलेक्टर बांसवाड़ा की तरफ से भी इस प्रकार का रेफरेंस आया था कि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए 15-4-72 को आइडेंटिफिकेशन के बारे में एलोबरेट प्रोसीजर बना कर भेजा गया है और उनको कहा गया है कि मेमो बनाकर जो आइडेंटिफाई हो जावें उनका पेमेंट तुरन्त कर दें लेकिन जो अमाउण्ट पेमेंट नहीं हो सके उसको ट्रेजरी में जमा करा दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेड जब तक नहीं मिलते हैं और उनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तब तक पेमेंट नहीं होता है, इसके बारे में भी आप कुछ व्यवस्था करावें।

श्री परसराम मदेरणा : मेड़ भी कहां होंगे, वहीं पर होंगे। आप कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। अगर मेड़ों से आइडेंटिफिकेशन मजदूरों का नहीं हो पाता है तो गांव के जो रेस्पेक्टेड आदमी हैं, सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं ये लोग आइडेंटीफाई कर दें।

प्रश्न संख्या 668

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया !

राज्य में खोले गये मिडिल स्कूल

669. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य भर में जुलाई, 1971 में कुल कितने मिडिल स्कूल खोले गए थे ?

(2) जिला नागौर, बीकानेर तथा भीलवाड़ा व जोधपुर में कुल कितने कितने मिडिल स्कूल जुलाई, 1971 में खोले गए ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) वर्ष 71-72 में राज्य में 400 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसके अलावा 90 उच्च प्राथमिक विद्यालय जो पंचायत समितियों द्वारा अपने व्यय पर चलाए जा रहे थे उन्हें राज्याधीन किया गया।

(श्री जुझारसिंह)

(2) सूची संलग्न है। सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती गौरी पूनिया : यह जो पहले प्रश्न में बताया है कि पंचायत समितियों के द्वारा चलाई गई 90 स्कूलों को टेक-ओवर किया है तो मैं यह जानकारी चाहती हूं कि केवल 90 स्कूलें ही थीं या कुछ ज्यादा भी थीं ? अगर ज्यादा थीं और उनमें से केवल 90 को ही लिया है तो इसका आधार क्या है ?

श्री जुझारसिंह : यह ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मेरे पास सूचना 90 की ही है और 90 को ही अपग्रेड किया गया है।

श्रीमती गौरी पूनिया : मैं आपकी सूचना के लिए बताती हूं कि दो साल से पंचायत समिति डेगाना कडुकलां स्कूल को चला रही है लेकिन अभी तक उसको टेक-ओवर नहीं किया है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें।

श्री जुझारसिंह : इस वर्ष जो नई स्कूलें खुलेंगी उस वक्त इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह !

श्री लूणाराम : डेगाना पंचायत समिति के अलावा भी और स्कूलें हैं उन पर भी आप ध्यान दें।

श्रीमती गौरी पूनिया: अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न रह गया है। आपने जो सूची दी है उसमें भीलवाड़ा में 35 स्कूलें खोली गई हैं जब कि बीकानेर में केवल 11 ही हैं। इस असमानता का कोई आधार, कोई कारण है तो वह स्पष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : यह सही है कि भीलवाड़ा में ज्यादा हैं, 37 हैं और इसके लिए भी कोई बेसिस तो रहा होगा लेकिन इसमें जो असमानता रह गई हैं, आगे जो स्कूल खोले जायेंगे उस समय इसको देख लेंगे और जहां पर असमानता हो गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : असमानता तो बहुत जगह हैं। कहीं पर छः मील के एरिया में हाई स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, मिडिल स्कूल भी हैं लेकिन कहीं कहीं पर पूरी तहसील मे एक हाई स्कूल तक नहीं है। क्या मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह !

बदनौर तथा दौलतगढ़ आसोन्द ग्रामों की नल योजना का कार्य

670. श्री किशनसिंह (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द ग्राम की नल योजना शुरू कराने हेतु सरपंच आसीन्द द्वारा आठ माह पूर्व श्रमदान की राशि जमा कराई गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने नल योजना का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं कराया ?

(श्री किशन सिंह)

(2) बदनौर ग्राम की अधूरी नल योजना का काम राज्य सरकार का कब तक पूरा कराने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि दौलतगढ़ ग्राम के जिस कुए से गांव वालों को पानी दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार अभावग्रस्त गांवों में नल योजना का पब्लिक कण्ट्रीब्यूशन माफ करने का विचार रखती है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) आसीन्द ग्राम की जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत 3,12,000 और ढाई परसेंट के अनुसार जन सहयोग की राशि 7800) होती है जबकि पंचायत ने केवल 5000) रुपये ही जमा कराये हैं। अतः जन सहयोग की बाकी की रकम 2,800) रुपये जमा न कराने के कारण अभी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। योजना की स्वीकृति पर ही कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

(2) बदनौर ग्राम की जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है किन्तु जन सहयोग की बकाया राशि रुपया 2367) जमा होने पर ही योजना से पानी देना प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) ग्राम दौलतगढ़ में जिस कुए से अभी पानी दिया जा रहा है उसमें पानी की कमी आ जाने के कारण आगे खुदाई का कार्य राजस्थान भू-जल-मण्डल, भीलवाड़ा द्वारा कराया जा रहा है।

(4) राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों से तथा 4 जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जन सहयोग की धनराशि पहले से ही प्राप्त नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त अभावग्रस्त इलाकों में अभावग्रस्त वर्ष में समय समय पर जन सहयोग की धन राशि की वसूली स्थगित की जाती रही है।

श्री किशनसिंह : क्या यह सही है कि आसीन्द गांव की जो नल योजना बनी थी वह पहले दो लाख की ही थी और उसको बाद में तीन लाख का कर दिया गया। इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह योजना 3 लाख 12 हजार की थी। यहां सूचना मेरे पास में है।

श्री किशनसिंह : जो पांच हजार का कन्ट्रीब्यूशन कराया गया था वह किस आधार पर कराया गया था।

श्री पी. के. चौधरी : आसीन्द का काम आपने पूरा नहीं कराया जबकि वहां से पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन भी जमा नहीं हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि काम कराया जायेगा। यह किस आधार पर है।

श्री चन्दनमल बैद : कुछ काम इसलिए किया गया कि लोगों ने कहा कि आप काम शुरू कर दो पैसा जमा करवा दिया जावेगा। हमने वहां पर काम शुरू करवा दिया। माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं वे स्वयं यदि अपने क्षेत्र के किन्हीं गांवों के बारे में विश्वास दिलाते हैं तो पैसा मिल जायेगा तो हम वहां पर काम शुरू करा देंगे।

Page No. 20

श्री पी. के. चोधरी : आसीन्द में क्यों नहीं हुआ।

श्री चन्दनमल वैद : अब माननीय सदस्य विश्वास दिला देंगे तो काम हो जायेगा ।

श्री किशनसिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप काम शुरू करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल !

नगरपालिकाओं द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को रियायती दर पर जमीन

671. **श्री जेठमल वरवड़** (परवतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नगरपालिका द्वारा रियायती दर पर रिहायशी जमीन के पट्टे देने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे। नागौर जिले में किन किन नगरपालिकाओं ने उक्त जाति के लोगों को पट्टे दिये और कितने रुपयों में ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि फुलेरा जिला जयपुर की नगरपालिका से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने रिहायशी जमीनों के पट्टे मांगे थे ? यदि हां, तो कितने अर्से पूर्व और क्या उन्हें पट्टे मिले या नहीं ? यदि नहीं, तो पट्टे अब कब तक मिल जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित ।

श्री नानालाल ।

ग्राम कुरज व कुंवारिया की नल योजना का कार्य

672. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(i) क्या यह सही है कि उदयपुर जिला तहसील राजसमन्द में गांव कुरज व कुंवारिया की नल योजना का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इसका कितना कार्य हो चुका है।

(2) क्या यह कार्य वर्षा काल के पूर्व ही पूरा हो जायेगा।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, कुरज कुआ क्वार्टर व टंकी का कार्य प्रगति पर है । पम्प्स प्राप्त हो चुके हैं। कुंवारिया टंकी और क्वार्टर्स का काम पूरा हो चुका है। कुए का निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) जी नहीं। कार्य को पूरा करने में लगभग एक वर्ष की अवधि और लगने की संभावना है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह पानी की समस्या है। वहां पर पीने के पानी की समस्या है। यह कहा गया है कि कार्य प्रगति पथ पर है और वहां पर अभी कार्य नहीं चल रहा है और इस समय कार्य रुका हुआ है। वहां पर ऐसी हालत है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य को तुरन्त शुरू करवाया जाये इसके लिए व्यवस्था हो।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसा भी कार्य है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। पम्प्स आ रहे हैं। हमारे सामने तो कार्य प्रगति पर है। इसके आर्डर्स दे दिए गए हैं, कुछ रेल में चल रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं। और उनको गन्तव्य स्थान पर भेजना है माननीय सदस्य कह सकते हैं कि कार्य प्रगति पर नहीं है। इसको अभी एक साल लगेगा।

श्री नानालाल : कल शाम तक की सूचना दे दूं कि तीन महीने से पम्प पड़े हुए हैं और उनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रश्न संख्या 673

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 674

श्रीमती निर्मला कुमारी शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री भैरुलाल !

अकलेरा तहसील के ग्रामों में फसल को क्षति

675. **श्री भैरुलाल (अकलेरा)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जिस ग्राम को फसल 50 प्रतिशत या इससे अधिक दैविक प्रकोप से नष्ट हो गयी हो, तो उस ग्राम को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील अकलेरा के 189 ग्रामों में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षति हुई है और जिसकी रिपोर्ट दिनांक 27-11-71 को तहसील अकलेरा द्वारा जिलाधीश झालावाड़ को भेजी गई है तथा अकलेरा तहसील के इसी क्षेत्र में शीत लहर से भी रबी की फसल में 50 प्रतिशत की क्षति हुई जिसकी रिपोर्ट भी तहसील अकलेरा द्वारा जिलाधीश झालावाड़ को भेज दी गई है। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार अकलेरा तहसील के अभाव ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को जिनमें अधिकतर आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोग हैं के हितार्थ राहत कार्य खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां तो ऐसे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार इन राहत कार्यों पर कार्य आरम्भ करवाने में उन

(श्री भैरूलाल)

अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देगी जो दो वर्ष पूर्व अकाल के समय प्रारम्भ किए गए थे पर अधूरे छूट गए तथा जिनका पूरा करवाना जनहित में आवश्यक है ?

श्री परसराम मदेरणा (कृषि एवं अकाल राहत मन्त्री) : (1) किसी गांव को अभाव ग्रस्त घोषित करने के लिए केवल 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नष्ट हो जाना ही काफी नहीं है। उसके साथ साथ अन्य बातों को भी देखना होता है तथा पीने के पानी की स्थिति, सिचाई के लिए उपलब्ध पानी, चारे की उपलब्धि पशुओं एवं मनुष्यों का स्वास्थ्य, मनुष्यों के लिए आजीविका वैकल्पिक साधन आदि।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा !

पचपदरा का नमक बेचने का कार्य

676. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पचपदरा नमक के बेचने हेतु प्रधान प्रबन्धक ने पिछले चार सालों में नमक के लिए कितने ठेकेदारों की नियुक्तियां की व उनको समय के पहले प्रत्येक को क्यों हटाया गया ?

(2) कितने इकरारनामे व्यापारियों के उद्योगों से किन 2 तारीखों को कितनी कितनी अवधि के लिए किए उनमें से प्रत्येक की क्या प्रगति हुई ? क्या उन्हें काम छोडने पर बाध्य होना पड़ा ? प्रत्येक को सालाना कमीशन कितना देना पड़ता था ? प्रत्येक को कितनी सिक्यूरिटी दी गई ? कितनों की सिक्यूरिटी जप्त की गई ?

(3) क्या यह सही है कि प्रधान प्रबन्धक ने सिक्यूरिटी जब्त न करके राज्य सरकार को लाखों रुपयों की आय से वंचित रखा ? विगतवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : (1) पचपदरा नमक के बेचने हेतु पिछले चार सालों में प्रधान प्रबन्धक के द्वारा किसी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसी स्थिति में उनको समय से पहले हटाने का प्रश्न ही नही उठता है।

(2) पचपदरा नमक के बेचान हेतु 28 इकरारनामे व्यापारियों व उद्योगों से जिन जिन तारीखों को जिस दिन अवधि के लिए किए गए उनकी पूर्ण विगत प्रगति सहित संलग्न तालिका में अंकित है। उन्हें काम छोड़ने पर सरकार द्वारा बाध्य नहीं किया गया। प्रत्येक को जितना कमीशन दिया गया वह भी संलग्न तालिका में अंकित है। नमक के बेचान हेतु जो सिक्यूरिटीयां ली गईं व जप्त की गईं उनकी विगत भी संलग्न तालिका में अंकित है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के द्वारा जो सिक्यूरिटी जप्त की गई उनकी विगत तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय यह जो तालिका दी गई है वह पढ़ने में कठिन है, डिम है और अस्पष्ट है।

श्री चन्दनमल वैद : कठिन है और अस्पष्ट है। आपका प्रश्न भी अस्पष्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्पष्ट तो आप दिखाई दे रहे हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय जितने भी अधिकतर व्यापारियों की सिक्यूरिटीज जप्त की गई है और माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न के दूसरे भाग का जो उत्तर दिया है वह गलत है। अध्यक्ष महोदय इसका आपस में कोई तालमेल नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : तालमेल बैठता है। आपके प्रश्न को समझने में मैं असमर्थ हूं। आपका ऐम क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय के पहले नहीं उठाया गया तो उन ठेकेदारों को हटाया गया और सिक्यूरिटिज जप्त की गई है।

श्री चन्दनमल वैद : आपने पूछा है बेचान हेतु कितने ठेकेदार नियुक्त किये गये ? हमने कहा है हमने कोई नियुक्त नहीं किया। सिर्फ माल ढोने के लिये ठेकेदारों को नियुक्त किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितने व्यक्तियों को समय के पहले हटाया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने पहले ही कहा है कि दुलाई के लिये ठेकेदारों को नियुक्त किया था और उनको हटाया गया है। बेचान हेतु कोई ठेकेदार नियुक्त नहीं किये गये हैं क्योंकि वहां पर 32 मील के एरिया में काम फैला हुआ है इसलिये एक जगह से दूसरी जगह पर माल ढोने के लिये ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके नमक बेचने की प्रणाली क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो निर्धारित रेट है उस हिसाब से पैसा जमा करा दें और ले जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लिस्ट किस काम के लिये है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो 4500 क्वीन्टल से अधिक का माल लेते हैं उनको 15 पैसे प्रति क्विन्टल का कमीशन देते हैं इस बात का अनुबन्ध उनसे करा लिया जाता है कि जो एक वर्ष में 4500 क्वीन्टल से अधिक का माल उठा लेंगे तो यह कमीशन दे देते हैं और नहीं उठा पाते हैं तो जप्त कर लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टर्म्स वैरी करती है। चार साल का है, तीन साल का है और एक एक साल का भी।

श्री चन्दनमल वैद : जो 4500 क्विन्टल से अधिक एक वर्ष में उठा लेते हैं उनको कमीशन देते हैं वरना जप्त कर लेते हैं। किसी ने चार वर्ष के लिये यह एग्रीमेन्ट किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आप अपनी मर्जी के अनुसार ही करते हैं या इसके लिये कोई रूल्स है ?

श्री चन्दनमल वैद : हमारी रेट निर्धारित है। उसके हिसाब से कोई एक

(श्री चन्दनमल वैद)
वर्ष में 4500 क्विन्टल के हिसाब से उठायेगा तो हम उससे एग्रीमेन्ट कर लेते हैं और 15 पैसा प्रति क्विन्टल कमीशन उसको हम अलाऊ कर देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक व्यक्ति यदि दस साल के लिये चाहेगा तो आप देंगे।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि० द्वारा कपड़े की खरीद

677. **श्री जगमोहनसिंह** (छावड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, कोटा द्वारा धारीवाल एवं रेमण्ड मिलों के गरम कपड़े की कितनी मात्रा में खरीद कब की गई थी ?

(2) उक्त कपड़े में से कितना कपड़ा बिक चुका है और कितना स्टाक में मौजूद है।

(3) क्या स्टाक में जो गरम कपड़ा है वह स्टाक के हिसाबानुसार उन्हीं मिलों का उसी कीमत और उसी किस्म का है जो खरीदा गया था ?

(4) इस समय भण्डार का व्यवस्थापक कौन है और वह कब से कार्य कर रहा है ?

(5) उक्त भन्डार में कितने रुपये का घाटा है और इस घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., कोटा द्वारा रेमण्ड मिल से माह अक्टूबर-नवम्बर, 1965 में 273.90 मीटर ऊनी कपड़ा खरीदा।

(2) उपरोक्त समस्त कपड़ा विक्रय हो चुका है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) भंडार में व्यवस्थापक का पद नहीं है। श्री रामेश्वर प्रसाद विभागीय निरीक्षक अधिशासी अधिकारी 10-1-70 से काम कर रहे हैं।

(4) भण्डार में 30-6-71 तक 2,27,811-47 पैसे का घाटा रहा है। जिम्मेदारी ठहराने के लिये जांच कराई जा रही है।

श्री जगमोहनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो कपड़ा बिका है वह किस तारीख को बिका था और स्टाक कब खत्म हो गया था।

श्री जुझारसिंह : इस की तारीख तो नहीं बता सकता हूं जितना कपड़ा खरीदा गया था वह बिक चुका है।

श्री जगमोहनसिंह : यह मेरी जानकारी है कि जो कपड़ा स्टाक में था उसको बदलकर हल्की क्वालिटी का कपड़ा वहां पर रख दिया गया और इस तरह से गड़बड़ी की गई। क्या आप इसको जांच करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री कुम्भारसिंह : इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो जांच की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव !

संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. फतहनगर

678. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड फतहनगर द्वारा 36 लाख का सॉलवेन्ट एक्सटेन्शन प्लान्ट जो फतहनगर के पास स्थापित किया जा रहा है उसमें राज्य सरकार का कितना आर्थिक सहयोग है एवं नेशनल को-ऑपरेटिव डवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव के माध्यम से इसे अब तक कितना ऋण दिया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण से जो मशीनरी खरीदी गई है वह प्लान्ट के कार्य आरम्भ करने के समय उपयोग में आने वाली न होकर प्लान्ट के निर्माण के अन्त में ही उपयोगी हो सकती है। उक्त मशीनरी कब खरीदी गई और क्या प्लान्ट का कार्य आरम्भ हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि संजीवन सहकारी समिति के मैनेजर ने इस प्लान्ट के लाभप्रद न होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट रिज़र्व बैंक उदयपुर को दी है ? यदि हां, तो उनका विवरण प्रस्तुत करें।

(4) अब तक उक्त प्लान्ट के सम्बन्ध में कितना खर्चा किस किस में कब कब हुआ ? सॉलवेन्ट एक्सटेन्शन प्लान्ट राजस्थान के किन किन स्थानों पर लगाया गया है और उनकी क्या स्थिति है ?

श्री कुम्भारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कब तक उत्तर मिल जायेगा ?

श्री कुम्भारसिंह : अतिशीघ्र।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री रामसिंह !

जोधपुर जिले के अकाल ग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

679. श्री रामसिंह (लूनी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में सम्वत् 2025 व 2026 में कितने गांवों में अकाल था व इस क्षेत्र के कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ी ? इस व्यवस्था में राज्य सरकार को कितनी राशि खर्च करनी पड़ी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस वर्ष इस जिले में कितने गांवों में अकाल घोषित किया है व कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामसिंह)

(3) क्या इस जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कौन कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

प्रश्न संख्या 680

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

अलवर जिले के मिडिल स्कूल

681. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में पिछले पांच साल में किस किस तहसील के किस किस स्थान पर नये मिडिल स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई। कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या अलवर जिले में ऐसी कोई तहसील है जिसमें 1967 से अब तक कोई मिडिल स्कूल खोलना मंजूर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, शिक्षा) : (1) विभाग में तहसीलवार शालाओं की सूची नहीं रखी जाती है। अलवर जिले में गत 5 वर्षों में क्रमोन्नत मिडिल स्कूलों की पंचायत समितिवार सूचियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। बानसूर एवं तिजारा पंचायत समितियों में शालाएं क्रमोन्नत नहीं की गईं। यह धनाभाव के कारण हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह सवाल के जवाब में कहा गया कि चार स्कूल खोले गये हैं तो मेरी जो पंचायत समिति में उसमें तो 5 साल से न कोई सड़क का काम हुआ है और न कोई स्कूल खुला है। जो सड़क 6 साल पहले बन चुकी है वह कैन्सिल हो गई है और बाकी 5 साल में कोई मन्जूर नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आइन्दा के लिए आश्वासन दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 5 साल कौन से गिन रहे हैं आप ?

श्री चन्दनमल बैद : 6 साल पहले काफी काम करवा लिया है।

प्रश्न संख्या 682

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 683

श्री गोरधन सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

Page No. 27

सहकारी विभाग के अधिकारी

684. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के सहकारी विभाग में उच्च स्तरीय राजपत्रित पदों पर कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है ? इन अधिकारियों की नियुक्ति व वरिष्ठता के बारे में हाई कोर्ट द्वारा जो अभी निर्णय हुआ है, उसकी क्रियान्विति करने के बारे में क्या कार्यवाही हुई है ? यदि कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है तो अब कब तक हो जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि शीर्ष सहकारी स्तर की संस्था राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में एक निम्न स्तर का अधिकारी (निरीक्षक की ग्रेड का) प्रधान व्यवस्थापक के पद पर कार्य कर रहा है, जब कि अन्य राज्यों में ऐसी संस्थाओं में संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों के पद का व्यक्ति उस पर कार्य करता है।

(3) राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी संस्था आन्दोलन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को घटाने में क्या योगदान दिया है ? राजस्थान स्तर की शीर्ष संस्थाएं व सुपर बाजारों में लाखों रुपयों की हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और इसके घाटे के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

(4) राजस्थान में किन किन ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं में गबन व घोटाले हैं और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, और इसकी वसूली में क्या प्रगति हुई है, समस्त विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री कुम्भार सिंह) : इसका भी, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

प्रश्न संख्या 685

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल !

लालसोट पंचायत समिति द्वारा सहकारी समितियों के विरुद्ध की गई शिकायतें

686. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति ने पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाली सहकारी समितियों द्वारा अत्यधिक अनियमितता करने के बारे में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां तथा उच्च अधिकारियों के पास कई बार शिकायतें भेजी हैं ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(2) क्या यह सच है कि अभी तक उक्त दोषी समितियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और यदि कार्यवाही की है तो क्या और कब ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : (1) जी हां, ब्यौरा संलग्न है।

(2) जी नहीं। की गई कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट के कालम नम्बर सात में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल एक ही तहसील का मामला उठाया है। उसमें भी एक एक सोसाइटी में 20-20 हजार रोकड़ बाकी और 18-18 हजार रोकड़ बाकी निकलते हैं, और इसमें भी अभी तक लगभग जो माननीय मंत्रीजी मानते हैं इस स्टेटमेंट के आधार पर 70 हजार का किया है, और उन पर भी जब ऑफिसरों के पास में इसका नोटिस पहुंचा उस समय उन्होंने एन्क्वायरी की, उस समय उसकी जांच करना शुरू किया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो ऑफिसर्स उनसे मिले हुए हैं तो उन लोगों ने उन सोसाइटीज के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो क्या कारण था, और जो इतना विलम्ब करके जांच की कार्यवाही कर रहे हैं तो कब तक इसकी रिकवरी हो जायेगी, और अब तक जांच नहीं की तो उन ऑफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं और जांच काफी विलम्ब से हुई है। जब आपका प्रश्न आया तब तक करीब करीब जांच शुरू हो चुकी थी और बहुत सों पर एक्शन लिया गया है और जिसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जांच शीघ्र कराने की कोशिश की जायेगी।

श्री मीठालाल : आपने जो धाराएं दी हैं कि उनके तहत जांच की गई है तो दोषी पाये गये हैं तो किस किस धारा में पाये गये हैं उसके बारे में सदन में आप रखने का कष्ट करें।

श्री जुझारसिंह : विस्तृत जांच करा रहे हैं और जांच कराने के बाद जिस तरह का निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दूंगा।

श्री मीठालाल : माननीय मंत्रीजी ने अभी तक कितनी सोसाइटियों को भंग कर दिया है और जांच करने के पश्चात् कितनी कितनी भविष्य में करने जा रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : भविष्य में भंग करने का तो जांच पर डिपेन्ड करेगा, और जो भंग हो गई हैं तो इसमें 11 समितियां हैं जिनके बारे में अनियमितताओं की जानकारी मिली है। उन सब के आगे लिखा हुआ है कि किसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। बहुत सों पर कुर्की चल रही है, बहुत सों को पुलिस में दिया हुआ है, और बहुत सों में जांच की कार्यवाही अभी सेक्शन 74 के तहत चल रही है। इसमें जरूर विलम्ब हुआ है। पुरानी अनियमितताएं हैं और समय पर जांच नहीं हो सकी है। देर हुई है इस बात से सरकार भी अवगत हुई है। इसमें शीघ्र ही इस तरह की कार्यवाही करके जल्दी ही जांच पूरी कर दी जायगी और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया उसकी पूरी कोशिश की गई है।

श्री मीठालाल : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि एक एक सोसाइटी में 25 हजार, 19 हजार, 24 हजार का गबन है। इसके बाद में भी समझ में नहीं आता है कि जांच की बात क्या रह गई है? उसके पश्चात् आपने इसमें लिखा है नं. 5 में कि जांच के आदेश दिनांक 13-3-72 को हो गये हैं और व्यवस्थापक ने जांच हेतु 15-5-72 तक का समय चाहा है, तो वह 15-5-72 भी निकल गई है, और अभी तक कैन्सिल नहीं की गई हैं, और आज तक कोई वसूली नहीं की गई है, और अगर वसूली करने के आर्डर निकाले हैं तो वह सदन तक ही सीमित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही पोजीशन तो यह है कि किसी भी सोसाइटी से कोई रिकवरी नहीं हुई है। यह केवल इसी पंचायत समिति का मामला नहीं है सारे राजस्थान की सोसाइटीज की यही स्थिति है इसलिए इन पर विशेष ध्यान देकर ऐसी सोसाइटीज को जो कि खाने पीने के काम आती है उन चीजों को ध्यान में रखकर इन सोसाइटीज को खत्म करें, और रिकवरी करें, और उस पैसे को विकास के कार्य में लगायें, वर्ना खाने-पीने के प्रोग्राम तो चलते ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि आखिर कोई व्यक्ति को आपने दण्ड भी दिया? इतनी भारी रकम की वसूली या अनियमितता के संबंध में सरकार ने जांच की और जांच करने के पश्चात् सरकार ने किसी दोषी को दण्ड भी दिया? क्या सरकार यह बात नहीं मानती कि अधिकांश को-ऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल बोगस है?

सहकारी मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : बोगस सोसाइटीज को रिऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम चल रहा है और दण्ड देने के लिए कोर्ट में कई जगह पर केसेज चल रहे हैं। दण्ड जिस प्रकार उचित समझेंगे देंगे। बाकी जो इस प्रकार की सोसाइटीज हैं उनको रिऑर्गेनाइज और दुरुस्त करने का और भी नियमों के अनुसार सोसाइटीज में अनियमितताएं पाई जायेंगी तो उनको कन्ट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिए विचार किया जायेगा।

श्री मीठालाल : अभी तक 63 से शुरू किया गया है और जानकारी ही कर रहे हैं। इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 63 से गबन मन्जूर कर लिया। उसके बाद न रिकवरी की गई है और न जांच की गई है और न सोसाइटीज को बन्द किया गया है।

श्री नारायणसिंह : कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके अन्दर काफी विलम्ब हुआ है और विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारियों पर रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करने का प्रयत्न किया गया है।

श्री मीठालाल : पंचायत समिति बराबर लिख रही है कि इन सोसाइटीज के खिलाफ एन्क्वायरी कराइये। उनमें गबन है, अनियमितताएं हो रही हैं। वे बराबर लिख रहे हैं। उसके बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। न जांच करा रहे हैं, न रिकवरी कर रहे हैं। आज 8-8, 10-10 साल से मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह : जो कर रहे हैं वह आपको लिस्ट में दी गई है, और बाकी में जो इस प्रकार विलम्ब हुआ है और ऑफिसरों की गलती के कारण विलम्ब हुआ है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जायगी और उनसे एक्स्प्लेनेशन कॉल किया जायगा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : इस बारे में और कितने आदमियों को दण्ड दिया गया है?

श्री नारायणसिंह : मैंने कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जायेगी और उसके बाद में उनके ऊपर एक्शन लेने के लायक होगा तो लिया जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर किसी की अनियमितता हो तो उसको सजा तो दें। यह सरकार का परम कर्त्तव्य है। इनमें तो करोड़ों रुपयों की आपाधापी है। अधिकांश कोऑपरेटिव सोसाइटी बोगस हैं। मन्त्री महोदय खुद जानते हैं। क्या सरकार की नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दबी हुई है? अगर दबी हुई नहीं है तो सरकार कुछ न कुछ कार्यवाही इस सम्बन्ध में करना चाहती है? यह महत्त्वपूर्ण विषय है, सहकारिता का विषय है। आप क्या क्या कह रहे हैं? आखिरकार सदन में बार बार प्रश्न पूछते हैं। आपका जवाब लहतलाली का जवाब होता है कि जांच की जा रही है। क्या यह समुचित व्यवस्था है?

श्री कुम्भारसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न पूछा गया है उसमें एक मामला 63 का है और दो 66, और 67 के हैं और सब मामले अभी के हैं। जो जानकारी हुई है तो आपने प्रश्न पूछा होगा...

श्री मीठालाल : वहां पर प्रश्न उठा है उसके बाद में की है।

श्री कुम्भारसिंह : यह जो 11 हैं उनमें 3 मामले हैं और बाकी 71-72 के करीब जांच हो रही है। कुछ सोसाइटीज की जांच करा रहे हैं डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर के द्वारा। इसमें यह बताया गया है। इसलिए यह कहना कि डिपार्टमेंट ने बिलकुल कुछ नहीं किया यह बिल्कुल सही तो नहीं है।

श्री श्री राम गोटेवाला : 62 वाली समिति को तो अभी 9 ही वर्ष हुए हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कितने समय में यह जांच हो जायेगी, यह तो बता दें।

श्री लक्ष्मणसिंह : रिकवरी करना शुरू भी किया या नहीं।

श्री कुम्भारसिंह : इसको सीरियसली लिया जायेगा और इस प्रश्न पर तमाम अनियमितताओं पर जांच करवा कर....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप मेरे सीधे प्रश्न का उत्तर देंगे कि निश्चित रूप से यह जांच कितने दिनों में हो जायेगी? शीघ्र अतिशीघ्र इन दो शब्दों को तो कोष में से निकाल दें।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस 'अति' की परम्परा को आपने इनहेरिट कर लिया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि इस को सीरियसली लिया जायेगा तो इसका मतलब यह है कि और प्रश्न को वे सीरियसली नहीं लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : जहां पर गबन हुआ है वहां पर सब जगह पर रिकवरी हुई या नहीं ?

श्री जुझारसिंह : किसी में केस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है, किसी में प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं, और किसी में कुछ कार्यवाही चल रही है।

श्री मीठालाल : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गलत जवाब न दें आपने सवाल के उत्तर में फरमाया कि कुर्की का आर्डर हो गया है, लेकिन मैं आपको बतौर सूचना के निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इसकी जांच तो करिए, और जांच करने के पश्चात् कम से कम रिकवरी तो भी पैसा निकले जो गबन निकले, और रोकड़ बही में निकले उसको वसूल करेंगे।

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य आप को जो कुछ उत्तर दिया गया है उसमें कोई बात गलत है तो आप उसको प्वाइण्ट आउट कर दीजिये। बाकी जो सरकार की ओर से कार्यवाही चल रही है, वही दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

687. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं ?

(2) इन सहकारी समितियों ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है व उस पर कितने अनधिकृत मकानों का निर्माण हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि अनधिकृत निर्माण यू. आई. टी. अधिकारियों की मिली भगत के कारण हुए हैं ?

(4) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) राज्य सरकार इन कब्जों के लिये किसे जिम्मेदार मानती है ?

(6) राज्य सरकार की इन समितियों के बारे में अब क्या नीति है ?

(7) क्या सरकार इन समितियों के कब्जों को वैध करार देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

नगर आयोजन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित !

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

Page No. 32

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गिड़ा-कुंपलिया की जल-योजना का कार्य

654. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(1) ऊंड्ड नल कूप से गिड़ा–कुंपलिया की जल-योजना पर हीरा-की-ढाणी से खोखसर और खोखसर से परेऊ तक का काम सबसे पहले किस ठेकेदार को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार काम पूरा किये बिना ही चला गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार ने गांव खोखसर, परेऊ और कुंपलिया के मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया ?

(4) क्या राज्य सरकार इन मजदूरों को ठेकेदार की सिक्योरिटी के रूप में जमा रकम में से मजदूरी का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) हीरा की ढाणी से खोखसर तक का कार्य मैसर्स केदारसिंह चौहान जोधपुर को सौंपा गया। खोखसर से परेऊ तक मैसर्स आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. बाड़मेर को।

(2) जी नहीं, कार्य कर रहे हैं।

(3) इस विभाग के पास ऐसी कोई अधिकृत सूचना नहीं है।

(4) एग्रीमेन्ट के अनुसार विभाग इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता।

सवाई माधोपुर में लटाया नाले से नुकसान

655. श्री फारूक हसन (सवाई माधोपुर) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर शहर में लटाया नाले में कई बार भारी बाढ आई है और उसके कारण काफी नुकसान जन व धन का हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस नाले के आबादी के बीच में होकर निकलने के कारण हर बरसात के मौसम में सैलाब का खतरा रहता है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार इस सैलाब के खतरे को टालने की कोई योजना रखती है या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। सवाई मधोपुर शहर में लटाया नाले से सन् 1968 में बाढ़ आई थी जिसके कारण कुछ धन हानि हुई थी जन हानि की कोई सूचना नहीं।

(2) जी हां।

(3) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

रोजगार देने की व्यवस्था

658. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने किन किन योजनाओं अथवा कार्यक्रमों द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की है ? प्रत्येक योजना की निर्धारित धनराशि और काम पाने वालों की संख्या बताने का कष्ट करें।

(2) काम पाने वालों की संख्या के आंकड़ों का आधार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने आंकड़े एकत्रित करने हेतु दांतवाला कमेटी का निर्माण किया था और इस कमेटी ने राज्य सरकार को आंकड़े एकत्रित करने की विधि को उपयोग में लाने के निर्देश दिए थे ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उन निर्देशों की निरन्तर अवहेलना कर रही है और गलत आंकड़ों के आधार पर अपनी योजना एवं कार्यक्रम निश्चित कर रही है ?

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित योजना एवं प्रगति में एकत्रित किए गए आंकड़ों को गलत माना था ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा सही आंकड़े एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

(1) राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा काम पर लगाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय योजना, 1966-69 की योजनाओं व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की निर्धारित धनराशि व काम दिलाए गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित थे:—

योजना	निर्धारित धन राशि (करोड़ रु.)	काम दिलाए गए अतिरिक्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
प्रथम योजना	64.50	उपलब्ध नहीं
द्वितीय योजना	105.27	3.77 लाख
तृतीय योजना	236.00	6.69 लाख
1966-69 की योजनायें	132.60	3.48 लाख
1969-70	44.10	उपलब्ध नहीं
1970-71	55.90	
1971-72	65.60	

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा चुका है, इसके अनुमान नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियुक्त दांतवाला समिति ने इस प्रकार अनुमानों के बनाने की पद्धति को बेरोजगारी की सही स्थिति से अवगत कराने के लिए उपयुक्त नहीं बताया है अतएव उपयुक्त पद्धति निश्चित होने तक इन अनुमानों का बनाना स्थगित कर दिया गया है।

(2) काम पाने वालों की संख्या के आंकड़े भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा निर्धारित कुछ सामन्यकों के आधार पर अनुमानित किए जाते रहे हैं।

(3) भारत सरकार ने दांतवाला समिति देश भर में बेरोजगारी सम्बन्धी समस्याओं का वृहत् अध्ययन करने हेतु बनायी थी व इस कमेटी ने राज्यों व योजना आयोग दोनों ही द्वारा प्रयोग की जाने वाली पद्धति को सही स्थिति को अवगत कराने में उपयुक्त नहीं माना है।

(4) आंकड़े एकत्रित करने की विधि बताते हुए अभी कोई निर्देश राज्य सरकार को नहीं मिले हैं। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार निर्देशों की अवहेलना कर रही है न गलत आंकड़ों पर योजना कार्यक्रम निश्चित कर रही है क्योंकि ऐसे कोई निर्देश राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हैं। जो पद्धति भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी उसी के अनुसार कार्य हो रहा था और अब जब तक नए निर्देश न आ जावें, यह कार्य स्थगित है।

(5) जहां तक ज्ञात हो सका है यह सही नहीं है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री ने प्रकाशित आंकड़ों को गलत माना था।

ग्राम खिरोड़ की चूने की पत्थर की खान

662. श्री झाबरमल सुडा (फतेहपुर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम खिरोड़ के जिला झुन्झुनू में चूने की पत्थर की पहाड़ी है व आसपास के क्षेत्र के लिए यही एक मात्र चूने का पहाड़ी स्रोत है?

(2) यह पहाड़ी कब से बन्द पड़ी है? बन्द होने के क्या कारण हैं व इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इसे चालू करने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) राज्य सरकार को इससे जो लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेवारी किस पर है?

उत्तर

(1) खिरोड़ ग्राम में चूने को पत्थर की पहाड़ी है। परन्तु यह सही नहीं है कि आसपास के क्षेत्र के लिये यही एक मात्र चूने के पत्थर का क्षेत्र है।

(2) तारीख 1-9-66 से बन्द (बगैर खनन पट्टे के) पड़ी है। पूर्व ठकेदार श्री दीनदयाल का खनन पट्टा रद्द होने से खान बन्द हुई और उसके बाद कोर्ट द्वारा दुबारा नीलाम करने के विरुद्ध स्थगन आदेशानुसार बन्द पड़ी है। कोई व्यक्ति के जिम्मेवार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) कोर्ट के स्थगन आदेश withdraw कराने के प्रयत्न किये जारहे हैं।

(4) कोर्ट के आदेशों को देखते हुए किसी व्यक्ति विशेष के जिम्मेवार होने का प्रश्न नहीं उठता।

भीलवाड़ा जिले के अभावग्रस्त ग्राम

668. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में इस समय कितने ग्राम अकालग्रस्त हैं ?

(2) क्या गत माह में अकालग्रस्त क्षेत्रों के जिलाधीशों की बैठक आमंत्रित की गई थी जिसमें अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने हेतु विचार-विमर्श हुआ था ?

(3) क्या उक्त बैठक में जिलाधीश, भीलवाड़ा को आमन्त्रित नहीं किया गया ?

(4) यदि हां, तो क्यों नहीं बुलाया गया ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में इस समय 83 गांव तहसील आसीन्द के अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(2) जी हां। केवल भूतपूर्व जोधपुर एवं बीकानेर डिविजन के जिलाधीशों से ही विचार-विमर्श हुआ था।

(3) जी नहीं।

(4) भीलवाड़ा चूंकि उस क्षेत्र में नहीं आता इसलिये भीलवाड़ा जिलाधीश को नहीं बुलाया गया।

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा प्लॉटों के आवंटन में अनियमितताए

673. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर के विरुद्ध तत्कालीन सचिव एवं नागरिकों ने भू-खण्ड आवंटन में अनियमितताएं बरतने, पक्षपात करने निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां करने, ठेकेदारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से लाभ करके स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक निर्माण न कराने एवं अन्य इसी प्रकार निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं करने के आरोप राज्य सरकार को भेजे थे ? अगर हां, तो इन आरोपों पर राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

जी हां। कुछ आरोपों की जांच सतर्कता आयोग द्वारा कराई गई जिनका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है व राज्य सरकार के विचाराधीन है। बाकी आरोपों की जांच जिलाधीश, बीकानेर द्वारा की जा रही है।

भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिये गये ऋण

674. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ द्वारा जनवरी, 1970 से मार्च, 1972

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत) तक कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों को दी गई ?

(2) ऋण मुख्य रूप से किन किन उत्पादन कार्यों के लिये दिया गया ?

(3) अनुसूचित जाति तथा जन-जातियों को कुल कितना ऋण इस वर्ष (1972-73) में देने का प्रावधान है तथा वह किस आधार पर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ द्वारा जनवरी, 1970 से मार्च, 72 तक अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों को 2,08,450 रु. की धनराशि ऋण के रूप में दी गई है।

(2) ऋण मुख्य रूप से नये कुएं खोदने, आयल इंजिन, बिजली की मोटर, पम्पसेट आदि के लिये दिया गया है।

(3) वर्ष 72-73 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को कितना ऋण दिया जावेगा। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

राइकों की ढाणी में पीने के पानी की व्यवस्था

360. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पाली नगर के समीप राईकों की ढाणी के लिये जलप्रदाय विभाग द्वारा पीने का पानी देने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि, हां, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

उत्तर

जी हां, 79,500 रुपये की लागत वाली एक योजना बनाई गई है। जिसकी जांच की जा रही है।

ग्राम चाड़वास में पीने के पानी को व्यवस्था

682. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम चाड़वास जिला चूरू के लिए विभाग ने कोई पीने के पानी की योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि छापर जल योजना से ही इस ग्राम को पानी दिया जायेगा ? यदि हां, तो चाड़वास के अलावा और कौन कौन से गांवों को इस योजना से पानी दिया जायगा ?

उत्तर

(1) चाड़वास के लिए कोई योजना अलग से नहीं बनाई गई है किन्तु ग्राम चाड़वास छापर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना में सम्मिलित है।

(2) जी हां, इस योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

Page No. 37

सीकर कस्बे में गन्दगी

638. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर कस्बे में वर्षा से तथा सार्वजनिक टोंटियों से गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है और गन्दा बदबूदार पानी नाले में से बहता रहता है जिससे वहां के आस-पास के रहने वाले गन्दगी व मच्छरों से परेशान हो रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर नगर में दूजोद दरवाजा नया से सूरजपोल दरवाजे की तरफ से कल्याणजी के मन्दिर व सीतला माता के पास होकर एक गन्दे पानी का नाला बहता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस गन्दे व बदबूदार नाले के पानी से वहां के आस पास के रहने वाले आमतौर से गन्दगी से परेशान रहते हैं ? तथा इससे उत्पन्न गन्दगी को रोकने व इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की मांग वहां के निवासियों द्वारा बहुत अर्से से की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक योजना बना कर इस समस्या का कब तक हल निकालने का विचार रखती है ताकि वहां के निवासी स्वच्छ व प्राकृतिक हवा का सेवन कर सकें ?

(4) क्या सरकार इस गन्दे नाले को जो पक्का बना हुआ है, को खुदवा कर ऊपर से बन्द करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

बरसात व टोंटियों से गन्दा पानी नहीं आता है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

परिषद् द्वारा निरन्तर सफाई की जाती है। जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत योजनानुसार कार्य किया जावेगा।

दाने की खरीद

685. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सघन पशु विकास योजना बीकानेर में उप-निदेशक द्वारा पशुओं के लिए मिश्रित दाना (फीड) नमूने के अनुसार नहीं खरीदा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस फीड को इस विभाग की प्रयोगशाला में जांच करवाने को तैयार है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

सघन पशु विकास योजना बीकानेर में उपनिदेशक द्वारा पशुओं के लिये मिश्रित दाना विभागाध्यक्ष की अनुमति से ठेकेदार से खरीदा गया था। संतुलित आहार निर्धारित नार्म (Norm) का था या नहीं इसकी जांच की जा रही है। खरीदे गये मिश्रित दाने के नमूने की जांच अब प्रयोगशाला में की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज विभाग की बकाया राशि

257. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज विभाग की दिनांक 31-3-72 तक की क्या बकाया राशि है ?

(2) खनिज विभाग की बकाया के जो मामले न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने से दिनांक 31-3-72 तक बिना वसूली के रहे हैं, उनका विवरण, स्थगन आदेश जारी करने वाले न्यायालय का नाम, तारीख, पार्टी जिसमें बकाया है, उसका नाम, वल्दियत सकूनत सहित एवं रकम जो बकाया है, रकम किस बाबत बकाया है, सरकार की तरफ से वकील कौन है, उन्हें कब नियुक्त किया आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्थगित किया गया

सिलेक्शन ग्रेड के एरियर के भुगतान का मामला

258. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री गफूर खां, पेंशनर कम्पाउन्डर, पशुपालन विभाग जिसको कि सन् 1970 में कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दिया गया था के सिलेक्शन ग्रेड के एरियर के भुगतान का मामला सन् 1965 से पेंडिंग चला आ रहा है ? यदि हां, तो इसका भुगतान करने में क्या कठिनाई है और भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। दिनांक 8-5-72 के द्वारा श्री गफूरखां, रिटायर्ड कम्पाउन्डर का समायातीत बिल रु. 394.08 का (अवधि 1-9-61 से 31-1-67 तक का) महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को प्रि-ऑडिट हेतु भेजा जा चुका है। महालेखाकार से पास होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।

गंगानहर क्षेत्र में उन्नत नस्ल की गायों की ब्रीड

259. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार गंगानहर क्षेत्र में जरसी जैसी उन्नत नस्ल की गायों की ब्रीड के लिये अच्छे सांडों की पदमपुर व कुन्दनपुर में व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जरसी नस्ल के उन्नत सांडों के अभाव के कारण पदमपुर व कुन्दनपुर में जरसी सांड नहीं रखे जा सकते हैं।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मामले

260. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69 एवं 1969-70 वर्ष में

Page No. 39

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली एवं जोधपुर जिलों में कितने भ्रष्टाचार के मामले राज्य सरकार के समक्ष आए तथा इन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त भ्रष्टाचार के मामलों में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी दंडित किए गए और कितने मामले उनके विरुद्ध पेंडिंग हैं ? उपरोक्त जिलों के सम्बन्ध में सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69, 69-70 वर्ष में बाड़मेर, जैसलमेर, पाली व जालौर जिलों में भ्रष्टाचार के 120 मामले राज्य सरकार के समक्ष आए। इनमें से 52 मामले पुलिस को दे दिए गए और 68 मामलों में विभागीय जांच चल रही है।

(2) उक्त भ्रष्टाचार के मामलों में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को अभी तक दण्डित नहीं किया गया है, क्योंकि मुकद्दमात कोर्ट्स में चल रहे हैं और तफतीश की अलग अलग स्टेजेज पर हैं।

नागौर जिले की राजकीय पाठशालाओं में फर्नीचर की खरीद

261. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की विभागीय राजकीय पाठशालाओं में दिनांक 31-3-72 को समाप्त होने वाले वर्ष में कितना कितना क्या क्या फर्नीचर दिया गया ? यह फर्नीचर कब तथा किस अधिकारी ने किस फर्म से किस तारीख को किस किस रेट से खरीदा पाठशाला वार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है। सूची में अंकित है।

(सूची विस्तुत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सहकारी सदस्य शिक्षा

262. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में सहकारी सदस्य शिक्षा कब से और क्यों बन्द की गई ? क्या यह समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब से पुनः चालू कर रही है ?

उत्तर

राज्य में सहकारी सदस्य शिक्षा दिनांक 1-4-70 से मितव्ययता के कारण बन्द की गई थी। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के लिए सहकारी शिक्षा तो उपयोगी है, पर क्या सदस्य शिक्षा को बन्द की गई पद्धत्ति फिर प्रारम्भ की जाये यह विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

भूमि बन्धक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

263. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भूमि बन्धक बैंकों द्वारा तहसील हिन्डौन में कितने किसानों को ऋण दिया गया है ? और इनमें से कितने किसान अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील हिण्डौन में सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 347 किसानों को ऋण दिया गया जिनमें 157 किसान अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं—सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

शिक्षकों की बकाया राशि का भुगतान

264. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 1-9-61 से पूर्व हुई है तथा जिनका 10 साल का सेवाकाल हो गया है उनको तृतीय ग्रेड में दक्षता अवरोध समाप्त कर दी गई ?

(2) यदि हां, तो क्या इससे विकास विभाग (पंचायत समितियों) में सेवारत अध्यापकगण लाभान्वित होंगे या नहीं ?

(3) क्या सरकार उनकी सीनियोरिटी के अनुसार उनको सिलेक्शन ग्रेड देगी ?

(4) क्या सरकार ट्रेंड मिडिल शिक्षकों की जहां से ई. बी. पार हुई है वहां से अब तक की बकाया राशि का ऐरियर भी दिलवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां !

(2) इससे विकास विभाग के अध्यापक भी लाभान्वित होंगें।

(3) यह मामला विचाराधीन है।

(4) जिस तिथि से ई. बी. पार हुई है वहां से 31-8-71 तक का बकाया देय नहीं होगा। बढ़ा हुआ वेतन 1-9-71 से देय होगा।

पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिये दिया गया विज्ञापन

265. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिए कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र-पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किन किन तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) इन विज्ञापनों के लिए कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है, और कितना कितना शेष है?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के संबंध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों, अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिए गए थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुंचीं? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) निदेशालय संस्कृत शिक्षा, निदेशालय कालेज शिक्षा, निदेशालय प्रावैधिक शिक्षा, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल, निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा 71-72 एवं 72-73 में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया।

निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा निदेशालय एन. सी. सी. से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) (3) (4) एवं (5) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा नल कूप का परीक्षण

266. श्री नत्थीसिंह (नदबई): क्या भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम ईशापुर—कटारा पंचायत समिति, नदबई में जनवरी, 1970 में राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा एक नल कूप का परीक्षण किया गया है?

(2) क्या यह नल कूप जिस पर लाखों रुपया व्यय हुआ है, सिंचाई के लिये प्रारम्भ किया जावेगा? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम ईशापुर-कटारा पंचायत समिति नदबई में जनवरी सन् 1970 में भू-जल मण्डल द्वारा एक प्रायोगिक नलकूप यहां की जल क्षमता के परिक्षण हेतु बनाया गया है।

(2) इस नल कूप को बनाने के लिए रुपये 34,060.00 का खर्चा हुआ। प्रारम्भिक नलकूप सर्वेक्षण के लिये बनाये जाते हैं तथा उन्हें स्टेट ट्यूब वैल बनाने से पूर्व उनके डिस्चार्ज, भूमि की कृषि क्षमता तथा बजट प्रावधान की दृष्टि से विचार करना होता है। इस नल कूप को स्टेट ट्यूब वैल स्कीम के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जल-प्रदाय योजनाओं का सुव्यवस्थित संचालन

267. **श्री भंवर लाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या जल-प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिले में कितनी जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृति होने पर उनके सुव्यवस्थित संचालन के लिए अधिशासी अभियन्ता का पृथक दफ्तर स्थापित किया जा सकता है ?

उत्तर

जल प्रदाय योजनाओं की संख्या अनुसार अधिशासी अभियन्ता, का पृथक मण्डलीय-दफ्तर स्थापित नहीं किया जाता मण्डलीय दफ्तर की स्थापना कार्यभार व सुविधा के हिसाब से किया जाता रहा है। अभी कार्यभार निर्धारित नहीं किया गया इसको तय किया जा रहा है।

तहसील नादोती के गांवों की मीठे पानी की जल-प्रदाय योजनाएं

268. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नादोती (जिला सवाई माधोपुर) के जिन जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है, क्या ऐसे गांवों को पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने की कोई जल-प्रदाय योजनाएं बनाई गई हैं ? यदि हां, तो किन किन गांवों के लिये, और यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील नादोती के ढ़हरिया, बरदाला शहर, गुड़ली, खुड़ा आदि गांवों में गर्मियों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है ? यदि हां, तो इन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या क्या योजनायें हैं ?

उत्तर

(1) तहसील नादोती के कुछ गांवों के लिए जिनमें पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, के लिए एक क्षेत्रीय जल योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। योजना पर कार्य सन् 1969-70 में शुरू किया जा चुका है।

(2) ग्राम बरदाला एवं शहर क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना नादोती सोप-शहर में सम्मिलित है, ग्राम ढ़हरिया एवं गुड़ली खुड़ा की आबादी सन् 1961 की जन गणना के अनुसार 2000 से कम है अत: इन ग्रामों में जल योजनाएं लागू नहीं की जा सकती हैं, ऐसे ग्रामों में पेय जल व्यवस्था हेतु विकास विभाग द्वारा कुए आदि के निर्माण के लिए कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

Page No. 43

बीकानेर स्थित गिनानी नाले की योजना

269. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित गिनानी नाले की योजना सन 1967 में स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना की प्रगति के नाम पर अब तक एक जगह गंदा पानी दूसरी जगह पर डाला जाता रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस नाले को ढकने की योजना के अभाव में इसमें कभी मवेशी व कभी बच्चे भी गिर जाते हैं और एक 6 वर्ष की लड़की इस नाले में गिरने के कारण मर भी चुकी है।

(4) क्या यह सही है कि इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान बार बार आकृष्ट करने एवं सरकार द्वारा भारी व्यय करने पर भी इन्जीनियरों की लापरवाही एवं शिथिलता के कारण यह योजना संतोषजनक ढंग से पूर्ण नहीं हो पा रही है।

(5) सरकार इस नाले को अब कब तक पूरा करा देगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर स्थित गिनानी नाले की योजना फरवरी सन् 1968 में स्वीकृत की गई थी।

(2) योजना अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः गन्दे पानी के लिये अन्तरिम निकास प्रबन्ध किये गये हैं।

(3) नाले को पूर्ण रूप से ढकने का मूल योजना में कोई प्रावधान नहीं है। दुर्घटनाओं की विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(4) योजना के लिये प्रतिवर्ष बजट प्रविधान के अनुसार व्यय किया जा रहा है व योजना अब पूर्ण हो जावेगी।

(5) इस नाले का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जावेगा।

ग्राम भांडारेज की जल-प्रदाय योजना

270. मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम भांडारेज (तहसील दौसा) की जल-प्रदाय योजना के लिए कुल कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

(2) अब तक इसमें से कितना धन-राशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) इस योजना के लिये सन 1972-73 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा अब कितना कार्य बाकी है ?

(4) इस योजना के द्वारा कब से नियमित रूप से ग्रामवासियों को पानी दिया जावेगा ?

(5) इसमें देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ग्राम भाण्डारेज की जल-प्रदाय योजना 3 लाख रुपए के लिए स्वीकार की गई है।

(2) इस योजना पर अब तक लगभग 2.99 लाख रु. की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(3) इस योजना के लिये वर्ष सन् 1972-73 के लिये 10,000 रु. का प्रावधान है। कुछ 3" पाइप लाइन डालना बाकी है।

(4) शीघ्र ही आंशिक रूप से सार्वजनिक नलों द्वारा पानी ग्रामवासियों को दे दिया जावेगा।

(5) देरी का कारण केवल कुछ पाइप स्पेश्ल्स एवं वाल्व का न होना था किन्तु अविलम्ब ही प्रयास किया जा रहा है एवं कार्य शीघ्र ही पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

स्थगित-प्रश्न

दिनांक 28-4-72)

प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की क्रमोन्नति

36. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में ऐसे कितने मिडिल स्कूल हैं जो पिछले 20 वर्षों से मिडिल स्कूल के रूप में ही चल रहे हैं ?।

(ख) इन स्कूलों को अब तक उन्नत क्यों नहीं किया जा सका ?

(ग) ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनको पिछले 20 वर्षों में क्रमोन्नत कर हाईस्कूल, हायर सैकण्ड्री अथवा कॉलेज बना दिया गया है ?

उत्तर

(क) अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर जिला करौली, जैसलमेर व चित्तौड़ को छोड़ कर राज्य में करीब 162 ऐसे मिडिल स्कूल हैं जो पिछले 20 वर्ष से मिडिल स्कूल के रूप में ही चल रहे हैं।

(ख) धनाभाव के कारण शालायें क्रमोन्नत नहीं की गई।

(ग) करौली, जैसलमेर व चित्तौड़ को छोड़कर राज्य में करीब 307 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो गत 20 वर्षों में हाई स्कूल से हायर सैकेण्डरी स्तर में क्रमोन्नत किये गये हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा, शान्तिलाल कोठारी, श्रीराम गोटेवाला, पी. के. चौधरी, केदारनाथ, मोहम्मद गफ्फार अली व पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य विधान सभा ने रामबाग पैलेस होटल में दिनांक

Page No. 45

(श्री अध्यक्ष)

1-4-1972 से तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(2) श्री गुरदयालसिंह संधु, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर क्षेत्र में पोंग डेम के विस्थापितों के लिए 9,400 परिवारों के स्थान पर 20,722 परिवारों को सिंचित व बारानी जमीन का आवंटन व धनराशि के रूप में मुआवजा देने व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर में सिरह ड्योढ़ी बाजार व मोती कटला बाजार में पी. डब्लू. डी. द्वारा दुकानों की नीलामी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने कोटा जिला के पीपलदा तहसील के ग्राम पीपलदा खुर्द के किसानों की पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) श्री केदारनाथ और श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा भरतपुर में स्कूटरों के कारखाना लगाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त एक अन्य स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(6) श्री गोपाल जोशी और श्री भीमसेन, सदस्य विधानसभा द्वारा बीकानेर शहर में गन्दे पानी के निकास के लिए बनाये जाने वाले नाले की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री भीमसेन और श्री गोपाल जोशी, सदस्य विधान सभा, ने सघन पशु योजना, बीकानेर के अन्तर्गत 8 नल कूपों में से 7 नल कूपों के बन्द रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं माननीय कृषि मन्त्रीजी से चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री जगमोहनसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बेंक, जयपुर द्वारा इस वर्ष सहकारी बेंकों को ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय भी अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रामबाग पैलेस होटल के सम्बन्ध में मेरे और दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। उसके सम्बन्ध में आपने सरकार से

(श्री रामानंद अग्रवाल)

जानकारी मांगी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस होटल में लॉक आउट पिछले 1 अप्रैल से चल रहा है। 250 मजदूर जो इस होटल में काम करते थे बिल्कुल बेकार हैं। वह धरना दिये हुये इस होटल के सामने बैठे हैं। उनके परिवार भूखग्रस्त हैं। आज उनकी जिन्दगी पूरे तौर से खतरे में है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। रामबाग पैलेस होटल, यह भू. पू. महाराजा थे, उनके लड़के भवानीसिंह जयसिंह, पृथ्वीसिंह और जो चौथे लड़के हैं, उन चारों की पार्टनरशिप में आमेर कार्पोरेशन बना हुआ है, उनकी ओनरशिप में यह होटल चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मालिकान का कहना है, उन्होंने इसका एग्रीमेण्ट इण्डिया होटल कम्पनी जो कि ताजमहल को चलाती है, जिसके कि मालिक टाटा हैं, उनके साथ में इसका एग्रीमेण्ट किया है। इस एग्रीमेन्ट की कॉपी आजतक नहीं दी गई है। यह जो एग्रीमेण्ट हुआ है उसकी अधिकृत कापी सरकार को नहीं दी है। लेबर डिपार्टमेण्ट को बार बार कहा गया है. उनकी यूनियन ने कहा है, लेकिन उन्होंने एक टाईप कॉपी दी है। उसमें उनका कितना वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, कौन सी तारीख से है। इस एग्रीमेण्ट में उन्होंने एक क्लाज ऐसा जोड़ा है....

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जनकारी सरकार के पास सब कुछ है। अध्यक्ष महोदय, इतने दिन हड़ताल चलने को बाद भी श्रम विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 1-4-72 को लॉकआउट किया गया है। यह इल्लीगल लाकआउट किया गया है। उनके खिलाफ उनके जो मालिकान है, भवानीसिंह, जयसिंह, पृथ्वीसिंह उन चारों के खिलाफ मुकदमा दायर होकर फौजदारी मुकद्दमा कायम हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार, बेशक राजा महाराजा खत्म हो गये, लेकिन यह उनके अवसर में चलती है। यह सरकार उनके असर में होकर चलती है। इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह होटल को खोलने का आदेश दे। मजदूरों से काम चालू करा दे। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम उठाया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि काफी दिन हो गये हैं। यह हड़ताल बिल्कुल शान्ति पूर्ण तरीके से चल रही थी। तो सरकार ने वहां पर पुलिस भेजी है। जबकि उसे इल्लीगल लॉक आउट में मजदूरों की मदद करनी चाहिए, उलटे मालिकों की मदद कर रही है। बजाय इसके जो कानून को तोड़ता है। उसको पकड़े, मजदूरों को पकड़ रखा है। मदद के बजाय पुलिस वहां पर जाकर तंग करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मजदूर वहां पर तम्बू लगाये बैठे हैं। एक दफा उसमें आग लगा दी गई है। एक दफा पिटाई कर दी गई है। मुख्यमन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि पुलिस हटाली जायेगी, लेकिन नहीं हटाई गई है। मैं खुद वहां गया था। लेकिन अब तक पुलिस नहीं हटाई गई है। पुलिस वाले वहां बुरा व्यवहार करते हैं। मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
निवेदन करता हूं कि यह मैनेजमेन्ट को ट्रान्सफर नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके जो फाईनेन्सेज हैं, पूरे एकान्ट पर अब उनका कण्ट्रोल है। मजदूर लटके हैं इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी मांग है, उनका रामबाग पैलेस होटल उनकी एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। उनको ट्रान्सफर का कोई हक नहीं है। सरकार इसके लिए कदम उठा सकती थी। होटल को खोलने का आदेश दे सकती थी। सरकार होटल को टेकओवर कर सकती है, होटल कॉर्पोरेशन है, उसके जरिये से इसका संचालन कर सकती थी। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उनको बाध्य करे। आज ही सरकार वक्तव्य दे और इसको मंजूर करके आज इस विषय में बहस चलाये। सदन की अन्य कार्यवाही को स्थगित करके इस पर बहस की जाये।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीख 19 को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, देवलाल की हत्या के बारे में, उसके बारे में आपने कहा था····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आमेर होटल कॉर्पोरेशन के संबंध में एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : अभी तक उसके बारे में मालूम नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं एक मिनिट अर्ज करना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : जस्ट ए मिनिट।

श्री जगमोहनसिंह : आपने फर्माया था कि उसके बारे में सरकार से जानकारी चाही है····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह दूसरा स्थगन प्रस्ताव है। मैं आमेर होटल कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : जस्ट ए मिनिट।

श्री जगमोहनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 19 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था देवलाल की हत्या के बारे में, उसके बारे में आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार से जानकारी चाही है। उसके बारे में जानकारी आज तक नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आते ही अर्ज कर दूंगा।

श्री जगमोहन सिंह : कबतक आ जायेगी?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह आमेर होटल कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है यह इस सदन में पहली बार नहीं आया है····

श्री अध्यक्ष : मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं इसकी वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थिति बता दी है, वह आ गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे, एक दो तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था, एक सात तारीख को दिया था....

श्री अध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रिजेक्ट तो सारे स्थगन प्रस्ताव होते हैं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीज नहीं है जो राज्य सरकार की जानकारी में नहीं हो। अब इसके बारे में नई परिस्थिति पैदा हो गई है। आमेर होटल कॉर्पोरेशन के इस राम बाग पैलेस होटल, जो महारानी गायत्री देवी की साझेदारी से चल रहा है, तालाबन्दी करा दी है। यह तालाबन्दी मई के महीने के लिए ही नहीं है बल्कि सारे जून माह के लिए तालाबन्दी कर दी गई है। आज अपने आपको समाजवादी सरकार कहलाने वाली सरकार, जन कल्याणकारी सरकार, कहलाने वाली राज्य सरकार, समाजवादी नीतियों की दुहाई देने वाली सरकार है, और राज्य के-क्या देश के सबसे बड़े करोड़पति इजारेदार इस होटल का रहस्यमय समझौता करके बैठे हैं, जिन पर दस्तखत नहीं है, जो डीड है बीस साल के लिए, दे दी, वह रजिस्टर नहीं हुई है, उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, मिस्टीरियस डीड है...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जब तक सामन्त समाप्त नहीं होते तब तक मेरी बात समाप्त नहीं हो सकती है। यह राज्य सरकार सामन्तों का साथ देती है, इजारेदारों का साथ देती रही है, इसलिए मेरा प्रश्न समाप्त होने वाला नहीं है। इस राज्य सरकार की नाक के नीचे ढाई सौ कर्मचारी बेरोजगार हो जायं। अध्यक्ष महोदय, इन ढाई सौ कर्मचारियों में बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जो पच्चीस पच्चीस साल से नौकरी कर रहे हैं, अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं इन ढाई सौ कर्मचारियों में से, और आधे से काफी ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं पूरी संख्या में से जो कि स्थाई कर्मचारी है, केवल पचास कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थाई कर्मचारी हैं। ऐसी हालत के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर हो जाता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इस राज्य की पुलिस उन इजारेदारों की और राजाओं की मदद कर रही है, राजस्थान का श्रम विभाग इन इजारेदारों की इमदाद कर रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उनकी झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं। वहां पर नल है जहां पर ढाई सौ मजदूरों के परिवार पानी पीते हैं, इस चिलचिलाती दोपहरी के अन्दर तड़पाने के लिए उस नल का कनेक्शन राजा ने काट दिया है। इतना ही नहीं, उनके टैन्ट लगे हुए थे, उनको आग गिरा कर जलाने की कोशिश की गई सामूहिक रूप से। अशोक नगर के थाने के वहां पर डी. एस. पी. और थानेदार खुले आम जाते हैं और मजदूरों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका चालान करने की धमकी देते हैं। उन कर्मचारियों के बच्चों का सामान उठा कर सड़क पर फेंक दिया गया है, झोंपड़ियों में से कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जो कर्मचारी जी हुजूरी किया करते थे, अन्नदाता, खमा अन्नदाता कहा करते थे, आज वह मजदूर अपना हक मांगते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

Page No. 49

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मिरजा तो गुजर गये हैं लेकिन उनके लड़के पृथ्वीसिंह और जयसिंह और गायत्री देवी ने मजदूरों का सामान उठा कर सड़क पर फिकवा दिया है। राज्य सरकार को इसके बारे में जानकारी दी गई है, श्रम मंत्री के सामने यह मामला आता रहा है, मुख्य मंत्री जी से बात होती रही है और उन्होंने मजदूरों को प्रोटेक्शन देने का आश्वासन दिया है, श्रम मंत्री जी से मिले हैं, तो श्रम मंत्री ने बार बार कहा है कि मुझे राज्य सरकार इशारा करे तो मैं इस होटल को टेक ओवर कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि आज हम जब सामन्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी मुख्य लड़ाई इजारेदारों के खिलाफ है, इसलिए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस गम्भीर प्रश्न को विचार के लिए लिया जाना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेने की अवधि

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : सरकार को फैक्ट्स की जानकारी देने के लिए कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका जवाब कब आयेगा ? अध्यक्ष महोदय, आज या कल का समय वक्तव्य के लिए निर्धारित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, जल्दी ही आ जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देखिये, विधान सभा का 26 तारीख तक का प्रोग्राम निर्धारित है और यदि

श्री अध्यक्ष : उससे पहले ही आ जायेगा स्टेटमेंट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है, वहां ऐसी लू और धूप में लोग बाहर पड़े हुए हैं, आप पधार कर देखें, उनकी दिक्कत आप महसूस कीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर सरकार को दिक्कत क्या है ? सरकार के सामने सारे फैक्ट हैं तो कल स्टेटमेंट दे दे।

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा है कि 26 तारीख से पहले आ जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस पर स्टेटमेंट तो आ जाना चाहिए।

श्री केदारनाथ : आप स्टेटमेंट के लिए कह दें एक दिन में, दो दिन में।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट जल्दी आना चाहिए।

श्री पी. के चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर डिबेट एलाऊ नहीं करूंगा।

श्री पी. के चौधरी : डिबेट नहीं, मेरा निवेदन है, यह सवाल हाउस में दो तीन बार आ चुका है और यह हड़ताल दो तीन

Page No. 50

(श्री पी. के. चौधरी)

माह से चल रही है। अब पॉइन्ट एट इश्यू यह है कि जो तालाबन्दी की है वह तालाबन्दी लीगल है या इल्लीगल है? दूसरे इसका इंडिया होटल कॉर्पोरेशन मालिक बनता है या रामबाग पैलेस होटल का आमेर होटल कॉर्पोरेशन बनता है? इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की राय क्या है, एटीट्यूड क्या है—यह मालूम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब जवाब आयेगा तब मालूम हो जायेगा।

श्री शंकरलाल : इसका मालिक कौन है। मजदूरों को बड़ी पीड़ा हो रही है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में तो अब निर्णय ले कि पुलिस का वहां पर प्रयोग नहीं हो। जो वहां पर पच्चीस-पच्चीस साल से नौकरी कर रहे हैं, वह महीनों से रामबाग पैलेस होटल के सामने बाहर बैठे हुए हैं, उनके नल का कनेक्शन काट दिया गया है, उनको पानी भी नहीं मिल सकता है। उनके टेण्ट को जलाया जा रहा है। यह राज्य सरकार राजा के खिलाफ मजदूरों की रक्षा के लिए पुलिस को भेजे, यह मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : तशरीफ़ रखिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पुलिस का प्रयोग कहां किस प्रकार से राज्य सरकार करना चाहती है—इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी कर लीजिये।

श्री शंकरलाल : स्टेटमेंट राज्य सरकार कल दे दे, इसमें क्या आपत्ति है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

यह रामबाग पैलेस होटल है, इसके बारे में निवेदन है कि यह मामला पहले भी दो तीन बार आ चुका है और उस वक्त मैंने निवेदन किया था और एक दफा फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई सौ कर्मचारी आज वहां बाहर गर्मी में बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट है, पच्चीस वर्ष से वह वहां रहते थे, वहां सर्विस करते थे, उनको सूचना दिये बिना हटा दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं, रामबाग पैलेस होटल राजस्थान का सबसे बड़ा होटल माना जाता है, फाइव स्टार होटल, वह बन्द पड़ा है, लेकिन सरकार के द्वारा मजदूरों के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसमें इतनी संख्या में लोग काम कर रहे हैं इसलिए किसी प्रकार कार्यवाही करके इस होटल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाय और कर्मचारियों को काम पर लगाया जाय, इस होटल को चालू करवाया जाय। मैं निवेदन करता हूं कि मजदूरों का जो इस सम्बन्ध में विवाद है, मेरी निश्चित मान्यता है कि अवैध रूप से उनको हटाया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि यह समाजवादी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करके इस होटल को चालू कराये।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय..........

श्री अध्यक्ष : मैं इसको क्लोज करता हूँ। वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने की अवधि।

श्री केसरीमल : मैं एक मिनिट में निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री केसरीमल : इस होटल के मामले में........

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस स्टेटमेंट की तारीख मुकर्रर करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर चुका हूँ।

श्री शंकरलाल : कल स्टेटमेंट आने के लिए कह दीजिये, कल वक्तव्य आ जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने दोनों बातें कह दी हैं। इसका डिस्पोजल 26 तारीख के पहले हो जायेगा.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वक्तव्य कब होगा?

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले कहा है, मैं पहले कह चुका हूँ।

श्री शंकरलाल : कल स्टेटमेंट आ जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्टेटमेंट आने से ही काम नहीं चलेगा। श्रम मंत्री, राज्य मंत्री गृह इस सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दें।

श्री अध्यक्ष : मेरे निर्णय का इन्तजार कीजिये, पहले ही क्यों परेशान हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप निर्णय दीजिये, स्पष्ट निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय को सुन लिया है। मैं निर्णय दे दूंगा। आपके नेता को समझ लिया है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह जयपुर शहर का मामला है, इसमें देरी क्यों हो रही है?

वित्तीय समितियों से नामों की वापसी

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने की अवधि।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने वित्तीय समितियों के लिए नाम निदेशपत्र प्रस्तुत किये हैं वे 23 मई, 1972 को सायं 5 बजे तक किसी भी समय सदन में घोषणा करके भी अपना नाम वापस ले सकते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
रेजगारी समस्या सम्बन्धी

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय........

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि तीन चार बोलने वाले हैं इसलिए टाईम निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह आप पर छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी कर दें खत्म।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा प्रश्न नहीं है, जल्दी हो जायगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, रेजगारी की समस्या बहुत गहरी समस्या हो गई है। मुझे दुःख हुआ यह जान कर कि बस वाले ने माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा को बस से बाहर निकाल कर धकेल दिया। आज कहीं भी बाहर सामान लेने जाते हैं तो खुले पैसे नहीं देते, चिट्ठा मिलता है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : योगेन्द्रनाथ हाण्डा बस वाले से लड़े नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह मजाक की बात दूसरी है, लेकिन यह गहराई से सोचने का प्रश्न है। पिछले साल, डेढ़ साल से बाजार में रेजगी नहीं मिलती है। पान तक की दूकान पर रेजगी नहीं मिलती है, और पान खाने को नहीं मिलता है, और सामान भी लेने जाते हैं तो यह रेजगी की समस्या आती है....

श्री अध्यक्ष : I have sympathy

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस प्रकार रेजगी की स्थिति रहेगी तो क्या हालत होगी। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, वह पता लगा कर बतायें कि क्या राजस्थान को रिजर्व बैंक कम रेजगी रिलीज कर रहा है, रिजर्व बैंक से बैंकों को कम रेजगी आ रही है या रिजर्व बैंक रेजगी सप्लाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा रेजगी का इकट्ठा करने के स्रोत बन चुके हैं रेजगी के आल्टरनेटिव यूसेज निकल चुके हैं। राज्य सरकार इस प्रकार के कार्य को सख्ती से रोक कर रेजगी मुहैय्या कर सकती है और इस रेजगी की समस्या को हल किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि कोई भी सामान लेने जायं, खुले पैसे नहीं मिलते हैं। अगर रुपया लेकर जायं तो वापिस चिट्ठा पकड़ा देते हैं बाकी के पैसे का। यहां कैन्टीन की स्थिति देखें यहां पर घासलेटी चाय मिलती है, यहां पर रुपया दें तो चिट्ठा पकड़ा देते हैं, इस कारण दूसरे दिन फिर चाय पीनी पड़ती है। इससे रोजमर्रा का काम करने में, रोजमर्रा की चीजें मुहैय्या करना मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री पूरा पूरा दबाव डालकर आदेश दें और किसी तरह से इस रेजगारी की समस्या को शीघ्र हल किया जाय, अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरी समस्या को तो हल करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रेजगारी के संबंध में निवेदन करना है। वैसे तो यह सवाल भारत सरकार से संबंध रखता है, लेकिन चूंकि सन् 1965 के बाद रेजगारी की समस्या विशेष रूप से देश के सामने ज्यादा आई है, और वैसे हालांकि जो रेजगारी बनी है वह 1965 के अन्दर 10545 लाख रुपए की बनाई गई और 1970-71 में 13,361 लाख रुपए की रेजगारी बनाई गई, लेकिन ज्यों ज्यों ज्यादा रेजगारी बनती है, जैसे 1965 में छोटे तांबे के सिक्के चले, वे गायब हो गए। उसके बाद में जिस सहज ढंग के सिक्के बने जैसे कभी भारी सिक्के आये वे गायब हो गए, हल्के सिक्के आए वे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

गायब हो गए। आज स्थिति यह है कि जैसे माननीय सदस्य बता रहे थे चाहे बस हो, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे नमकीन, चाहे खुदरा की दुकान हो, चाहे बैंक में भी रुपए जमा करवायें। मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए मेरे पास रसीद पड़ी हुई है 27.50, वहां भी कह दिया कि 50 पैसे खुले लायें। अगर 28) रु. देते हैं तो 50 पैसे वापिस नहीं देना चाहते। इस संबंध में जयपुर शहर में तो पिछले दो सालों से ऐसी भयंकर स्थिति हो रही है कि इस बारे में जगह जगह झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। जयपुर शहर में विशेष है। जोधपुर में मुझे जहां तक जानकारी है इतनी समस्या नहीं है। बिहार में तो 5 पैसे का सामान खरीदो, एक रुपये का नोट देकर 95 पैसे वापिस ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे दिए हुए भी काफी अर्सा हो गया। सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? सरकार ने कभी इस बारे में सोचा नहीं या सरकार ने उन लोगों को, उन मुनाफाखोरों के हवाले छोड़ दिया है? आज एक रुपए की रेजगी 85 पैसे के हिसाब से 5 हजार रुपए की मिल सकती है।

इंडियन कॉइन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान हैं उनके अन्दर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, मुकद्दमे चलाए जा सकते हैं, सजायें दी जा सकती हैं। सरकार ने अभी तक कष्ट नहीं किया और खुले आम छूट हो रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। 80 पैसे का सामान लेने के बाद भी 20 पैसे नहीं मिलते हैं तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस संबंध में राज्य सरकार और वित्त मंत्री सही स्थिति की जानकारी सदन को करायें कि भविष्य में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं जिससे लोगों को कष्ट न हो और इसके साथ ही यह सुझाव वित्त मंत्री रिजर्व बैंक या संबंधित अधिकारियों को भेज दें तो उस समस्या के समाधान के अन्दर बहुत बड़ा सहायक होगा।

मेरा निवेदन है कि इस समय एक रुपये के नोट का प्रचलन है, वह तो रहे ही, लेकिन उसके साथ 1.25, 1.50 व 1.75 के अगर नोट और प्रकाशित किए जायं तो मैं मानकर चलता हूं कि रेजगारी की समस्या हल हो सकती है और जो मुनाफाखोर हैं, जो कमाने वाले लोग हैं और सिक्के के धातु को लेकर गलाने का काम करते हैं और इस प्रकार जनता के सामने संकट पैदा कर रखा है और सरकारी रुपए की कीमत जो 85 पैसे कर रखी है, आपकी नाक के नीचे यह सारा काम हो रहा है, वह समस्या भी हल हो जायेगी और जगह जगह झगड़े और लड़ाई और अशांति जो पैदा होती है वह भी रुकेगी। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं कि वित्तमंत्रीजी इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान दें और जो कार्यवाही करना चाहते हैं उससे सदन को अवगत करायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्लास्टिक के सिक्के चलाइए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी और रेजगारी एक के मुकाबले एक गंभीरतम समस्या है, बेरोजगारी की समस्या तो सारे देश में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है, राजस्थान के हर गांव और शहर में है, सारे भारतवर्ष में है। लेकिन रेजगारी की समस्या कहीं कम और कहीं ज्यादा है। सारे राजस्थान में घूम लीजिए। राजस्थान की राजधानी ऐसा स्थान है जहां पर रेजगारी की समस्या गंभीरतम है। राजस्थान के दूसरे शहर भी हैं, उनमें भी रेजगारी का संकट है लेकिन जो स्थिति जयपुर शहर की है रेजगारी के संबंध में, वह सारे राजस्थान में कहीं दूसरे शहर की नहीं है। मैं गंगानगर की कह सकता हूं, वहां इतनी गंभीर स्थिति नहीं है। एक समय आदमी को टेम्पो से उतरना पड़े, टेम्पो आदि रास्ते में रोक लिया जाए और टेम्पो वाला रास्ते में पूछले कि जेब में खुले पैसे हैं या नहीं, अगर सवारी कह दे कि खुले पैसे नहीं हैं तो वहां पर टेम्पो रोक दे और कमीज उतरवाए। बस में प्रवेश करते ही कंडक्टर पूछे कि आपकी जेब में रेजगारी है या नहीं, यह कहां तक उचित है? अगर पहले बता दें कि खुले पैसे नहीं हैं तो चढ़ने नहीं दें और कहीं चढ़ जायं तो आधे रास्ते में आपसे प्रश्न पूछे कि रेजगारी है या नहीं। नहीं है तो आधे रास्ते में ही उतार दे। इस प्रकार की स्थिति इस शहर में है जिससे सफेदपोश कहलाने वाले लोगों को तो बहुत दिक्कत है, उनको अपनी टोपी उतरवानी पड़ती है, अपने कपड़े उतरवाने पड़ते हैं। अगर आप कहें कि सारे का सारा संकट रेजगारी की कमी के कारण है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इतना ही गंभीर संकट जोधपुर में क्यों नहीं है, गंगानगर में क्यों नहीं, जितना जयपुर में है? यह स्पष्ट बात है कि जयपुर में रेजगारी का एक धंधा चल रहा है। आप जौहरी बाजार में चले जायें। वहां एक बाजार है जहां पर रेजगारी के ढेर पड़े रहते हैं और एक रुपये के 85 पैसे मिलते हैं। यह धन्धा खुले आम चल रहा है और जो एलॉयज है वह विशेष कर एलूमियन और थोड़ा सा टंगस्टन है उसको ढालकर धातु बनाते हैं, उससे बरतन बनाते हैं। जो एक पैसा है वह 10 पैसे में बिकने लग गया क्योंकि वह वाशर के काम में आने लग गया, जगह जगह साईकिलों में और दूसरी मशीनरी के वाशर्स की जगह वह सिक्का फिट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए कोई भी कानून नहीं राजस्थान में जिससे रेजगारी की समस्या को रोका नहीं जा सकता। इन्डियन कॉइन्स एक्ट 1906 का है जो 1-5-69 तक अमेंडेड है। इसमें हर प्रकार की व्यवस्था है:—

"provisions—to cut, diminish or deface the silver coins.

Procedure in regard to it under Section 16.

Procedure in regard under the Act under Section B-1.

Procedure in regard to coin which is liable to cut under clause B and Section 10......

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अध्यक्ष महोदय, सारे प्रावधान मौजूद हैं। कोई भी वेट जब कम हो जाए तो उसका पूरा प्रोसीजर है। उस दशा में वह कॉइन किट या डिमिनिश किया जा सकता है और वेट कम होने के बाद क्या प्रोसीजर है वह कॉइन डिमिनिश किया जाएगा उसका कॉइन एक्ट में प्रोसीजर मौजूद है और एक कॉइन जो लाइट कॉइन है जिसका पूरा वेट है, जो कॉइन किसी तरह से रिड्यूस नहीं हुआ है, अगर उस कॉइन को डिस्ट्रॉय करते हैं, मिसयूज करते हैं, कट करते हैं, डिफेस करते हैं, ब्लैक करते हैं, किसी तरीके से मिसियूज करते हैं, इसके लिए इस एक्ट में पूरे प्रावधान मौजूद हैं और उनके अन्तर्गत एक्शन लिया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता वित्त मन्त्री को क्या मजा आ रहा है कि हम लोगों की टोपियां उतरवा रहे हैं। रेजगारी की समस्या आज नहीं काफी अर्से से चल रही है लेकिन राज्य सरकार इस बारे में आंख मूंदकर सो रही है। यही केवल कहती है कि सिक्के भारत सरकार से कम आ रहे हैं लेकिन आज तक कितने सिक्के जारी हुये हैं भारत सरकार से? केवल इस साल ही 13361 लाख के सिक्के एक पैसे से 100 पैसे के जारी हुए। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा कॉइन इश्यू किया गया है। लेकिन इतना होने के बाद भी आज बाजार में रेजगी नहीं है। वो सारे का सारा बाजार से गायब हो गया। आज रेजगी का इस जयपुर में सरे आम ब्लैक होता है—पर कोई सुनता नहीं है। राजस्थान का पुलिस विभाग सो रहा है। राज्य के गृह मन्त्री और वित्त मन्त्री जी सो रहे हैं। जनता परेशान है, समाज का सभ्य समाज परेशान है, मैं तो यह कहूंगा कि आज छोटे से लेकर बड़े तक सभी परेशान हैं। इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। इसलिए इस सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है ताकि राज्य के मन्त्री महोदय पुलिस को फोर्स करें कि जो लोग रेजगारी का ब्लैक करते हैं, उन्हें इन्डियन कॉइनेज एक्ट के तहत दण्डित किया जाय ताकि उन लोगों को दण्डित होने पर पता लगेगा कि इसका नतीजा कितना बुरा होता है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर !

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने रेजगारी के बारे में इस सदन में अपने विचार व्यक्त किये। मैं भी आपसे इस बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज रेजगारी की जयपुर में सबसे बड़ी समस्या है। आज जयपुर की जनता को इसकी बहुत ही दिक्कत है। आज रेजगारी की, अध्यक्ष महोदय, जितनी रेजगारी के लिए राजस्थान में दूसरी जगह प्रॉब्लम नहीं है उतनी जयपुर में है। आज जयपुर में यह स्थिति है कि अगर कोई आदमी एक रिक्शा वाले से 70-80 पैसे तय करता है तो उसे एक रुपया देना पड़ता है क्योंकि बाकी के पैसे उसे रिक्शा वाला रेजगी नहीं होने की वजह से नहीं देता है इस प्रकार की समस्या आजादी के पहले भी सरकार के सामने आई

(श्री सांवरमल मोर)

थी पर उस वक्त सरकार ने, इस मसले को हल कर लिया।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज दूसरे प्रान्तों में जितनी समस्या रेजगारी की नहीं है उतनी हमारे राजस्थान में और खास तौर से जयपुर में है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने, कहा कि आज सफेद पोश लोगों की इज्जत इसे रेजगारी के खातिर उतार ली जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस राज्य में आज रेजगारी भी नहीं मिलती। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रश्न को गम्भीरता से सोचें। आज हमारे लिये यह जरूरी है कि इस रेजगारी की समस्या को पूरी तरह हल करें। दूसरे प्रान्तों में तो अगर आप दस पैसे का सामान लोगे तो आपको 90 पैसे वापिस मिल सकते हैं, लेकिन जयपुर में अगर आप 80 पैसे का सामान खरीदो तो भी आपको एक रुपये के बचे हुए पैसे नहीं दिये जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न पर राज्य सरकार को सोचकर गम्भीरता से कार्यवाही करने की जरूरत है।, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रेजगारी की समस्या को जल्दी से जल्दी हल करने की व्यवस्था हो सके ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय आज रेजगारी की समस्या केवल सफेद पोश लोगों को है, और न काले कपड़े वाले लोगों के लिये आज रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो या चाहे दुकान करने वाला हो आज प्रत्येक नागरिक को रेजगारी की समस्या घेरे हुए है। आज जनता रेजगारी की समस्या से बहुत चिन्तित है। और यही कारण है कि इस समस्या का समाधान हो इसके लिये राज्य सरकार के सामने इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर में खुले आम रेजगारी का व्यापार चल रहा है। इसके अलावा आज एक बात और चल रही है कि लोगों के पास अगर खुले पैसे नहीं होते हैं तो वे पोस्ट कार्ड देते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि दुकानदार आपको पोस्ट कार्ड या लिफाफा रेजगी के बदले में दे तो देते हैं परन्तु वापिस अगर आप पोस्ट कार्ड या लिफाफा उन्हें देकर कोई चीज खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको बिना पूछे रेजगी के बदले पोस्ट कार्ड लिफाफा तो दे देते हैं परन्तु वापस आपके पोस्ट कार्ड को दुकानदार लेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी विकट बन गई है कि आज जयपुर में रेजगी का ब्लैक किया जाता है। आपको एक रुपये के 85 पैसे रेजगी के देते हैं, जयपुर के जौहरी बाजार में आपको रेजगी की ऐसी कई दुकानें मिलेगी। यहां पर रेजगी का एक धन्धा चलाया जा रहा है। आज कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग रेजगी के अभाव में कागज के टुकड़े पर लिखकर दे देते हैं। कोई टुकड़ा पांच पैसे का कोई दस पैसे का कागज के टुकड़े पर लिखकर दे देते हैं—और आप वापस जाकर उनसे सामान खरीद सकते हैं। पर इसमें मैं

(श्री शंकरलाल (पाली)

यह तो नहीं कह सकता है कि वह लोग कानूनी ऐसा कर सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसा करना गैर कानूनी है। तो आज इस प्रकार की समस्या जयपुर में है। जो लोग ऐसी स्लिपें वगैरह काटकर देते हैं वे दूसरे दुकान वाले इसे रिकगनाइज करें या नहीं यह मुझे पता नहीं। पर, अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार से लोगों ने इन्टमीनियरीज बना लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब कि भारत सरकार इतने ज्यादा कॉइन्स बनाती है फिर भी यह पता नहीं कॉइन्स कहां चले गये हैं? पता नहीं लगता। मैं समझता हूं कि आज जो कोइन्स भारत सरकार द्वारा बनाये जाते हैं वे उसको बाजार से पहले ही गायब कर दिया जाता है और बाद में उसमें जो मेटल है उसको गला लिया जाता है। और फिर उसको दूसरे काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर यह नहीं होता तो लोग रेजगी हेडिंग करते हैं और बाद में इसका ब्लैक मार्केट होता है। वह नहीं होता तो मेरा निवेदन है कि कॉइन्स को गलाना; और रेजगारी का ब्लैक मार्केट करना और रेजगी के बदले कुछ स्लीप पर पैसे लिखकर देना यह सभी कानून के खिलाफ कार्यवाही है जिनका बन्द होना निहायत जरूरी है, इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि सख्त कार्यवाही करे। और आज जो लोग रेजगारी का भारी मात्रा में होडिंग कर रहे हैं वहां पर राज्य सरकार को चाहिये कि छापा मारे और वह रेजगी बरामद कर जनता में जो रेजगी की अव्यवस्था आज फैली हुई है उसे रोका जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि लोगों को रेजगारी की असुविधा न हो। अगर आप इसमें यह कह दें कि यह भारत सरकार के हाथ में है ज्यादा कॉइन बनाना है वो तो ठीक है पर कॉइन्स् का ब्लैक मार्केट को रोकना तो राज्य सरकार के हाथ में है। जो गैर कानूनी चीज है उसे तो राजस्थान सरकार रोक सकती है। आज जो लोग रेजगी का व्यापार करते हैं उन पर राज्य सरकार को चाहिये कि छापा मारे और इस प्रकार की कार्यवाही को सरकार को चाहिये कि लोगों में बतादे कि रेजगारी का ब्लैक मार्केट करना कोगनीजिबल ऑफेन्स है: To hoard and blackmarket a coin is a cognisable offence. अगर आप यह नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप जनता की परवाह नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करके कदम उठाने चाहिये। आपको ब्लैक मार्केट को खतम करना चाहिये। इसके अलावा एक बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया है कि एक रुपये के साथ साथ राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार को निवेदन करे कि वह ऐसे कॉइन्स, एक रुपये के नोट की तरह डेढ़ रुपये और सवा रुपया, पौने दो रुपये के कागज के नोट चलाने चाहिये ताकि जनता को असुविधा नहीं हो। आज सरकार के पास मैटल नहीं हो तो कोई बात नहीं उसे चाहिये कि पांच पांच पैसे या दस दस पैसे के कागज के टुकड़े निकाल दे ताकि इस अव्यवस्था को खतम किया जा सके। आज सरकार तो यह व्यवस्था कर नहीं रही है पर दूसरे दुकानदारों ने ऐसे स्लिप के टुकड़े देने शुरू

(श्री शंकरलाल)

कर दिये हैं जो कि कानूनी गलत है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये क्योंकि कॉइन्स निकालने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को ही है और किसी को नहीं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकाला जाना चाहिये। और राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रश्न को महत्वपूर्ण माने और गम्भीरता से इस पर सोचकर अमल किया जाना चाहिये ताकि जनता को सुविधा हो। इसलिये यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पांच सदस्यों ने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर दस्तखत किये थे पर अभी स्थिति ऐसी है कि उनमें से चार तो सदन से उठकर बाहर चले गये हैं। पिछले वर्ष ····

श्री शंकरलाल : इससे समस्या का महत्व नहीं घटता है।

श्री चन्दनमल बैद : कितना महत्व है ··

श्री शंकरलाल (पाली): जयपुर में रहते हैं उन सब की और आम जनता की यह समस्या है, केवल सदस्यों की नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मार्च, 1971 में सदन के कुछ सदस्यों ने राज्य में रेजगारी के अभाव के सम्बन्ध मे एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। क्योंकि रेजगारी का मामला राज्य सरकार से सीधा सम्बन्धित नहीं है राज्य सरकार केन्द्र सरकार को निवेदन करने के अलावा इस समस्या को सुलझाने के लिए विशेष कदम नहीं उठा सकती है।

इस सम्बन्ध में शिकायतें जिला कांग्रेस कमेटी कोटा व नगरपालिका, बीकानेर के जनसंघ के नेता से भी प्राप्त हुई। लोक सभा में भी कुछ सदस्यों ने यह मामला उठाया और केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये उसका ब्यौरा पूछा गया। राज्य सरकार ने जो केन्द्र को निवेदन किया था उसके उत्तर में जुलाई 1971 में यह जवाब आया कि केन्द्र सरकार छोटे मूल्य के सिक्कों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित प्रबन्ध कर रही है। तारीख 22 अक्टूबर, 1971 को केन्द्र सरकार ने "स्माल क्वाइन्स (ऑफेन्सेस) ऑर्डिनेन्स, 1971" निकाला जिसके अन्तर्गत छोटे मूल्य के सिक्कों का जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना या सिक्कों को गलाना अपराध घोषित किया गया जिसके लिये तीन महीने से पांच वर्ष तक की सजा रखी गई। इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत यह जुर्म काग्नीजेबल व बेलेबल माना गया परन्तु कम्पाउन्ड करने योग्य नहीं रखा। वह एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल की जा सकती है। दिसम्बर, 1971 में इस ऑर्डिनेन्स को एक एक्ट का रूप दे दिया गया है।

इस सदन के सदस्यों ने यह मामला उठाया है। इस सन्दर्भ में यह बताना आवश्यक है कि गृह विभाग ने 2 फरवरी को केन्द्र सरकार ने

Page No. 59

(श्री चंदनमल बैद)

पुन: निवेदन किया है कि रेजगारी की कमी की वजह से जनता में काफी दिक्कतें हैं। वित्त विभाग ने भी केन्द्र सरकार को इसी महीने में लिखा है कि केन्द्र सरकार छोटे मूल्य के सिक्कों को इस राज्य में शीघ्र ही काफी तादाद में उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि जनता की दिक्कतें दूर हों। क्योंकि यह केन्द्र के आधीन मामलों में से है राज्य सरकार केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित बार बार करती रही है और करती रहेगी।

श्री शंकरलाल : आपने गलाने के लिये कहा है कि ऑफेन्स है लेकिन हार्डिग और ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने के लिये कदम उठा नहीं सकते इसीलिये यह समस्या हो रही है। आपने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के लिये कुछ नहीं कहा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाया है क्या राजस्थान सरकार ने किसी का चालान किया है?

श्री चन्दनमल बैद : इसकी जानकारी गृह विभाग से करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस सन्दर्भ में पहले भी निवेदन किया था।

श्री चन्दनमल बैद : मैं गृह विभाग से कहूंगा कि इसका कड़ाई से पालन करें।

श्री शंकरलाल : होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के लिये ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें शामिल हैं।

श्री शंकरलाल : पुलिस से पकड़वाइये ताकि असर तो पड़े।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:-स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्व मन्त्री।

विधायी कार्य

पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिधृत्ति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृत्ति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर निवेदन करना है। At the time of introduction, I can oppose it.

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र चौधरी !

श्री शंकरलाल : I can do it.

श्री अध्यक्ष : I cannot deny your right. If you press it I will allow you.

श्री शंकरलाल : I am pressing it, Sir. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्स बिल लास्ट सेशन में भी लिया गया था और रेवेन्यू ला कमीशन बना था उसके

(श्री शंकरलाल)
तहत ही टिनेन्सी बिल लाया गया और सिलेक्ट कमेटी को सिपुर्द किया गया। उसकी रिपोर्ट भी आ गयी। वापिस ला कमीशन की रिकमन्डेशन्स के बेसिस पर लिया जा रहा है और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को विड्रो किया जा रहा है और रिकमन्डेशन को रिजेक्ट कर दिया सिलेक्ट कमेटी की। सारा समय हाउस का इस प्रकार से गया।

श्री अध्यक्ष : That has already lapsed.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही है कि बिल लेप्स हो गया। सरकार का काफी पैसा उस सिलेक्ट कमेटी पर खर्च हुआ, काफी समय उस पर लगाया गया। पहले जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वे उसके चेयरमैन थे और उनकी अध्यक्षता में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। यह बिल यहां पर पेश किया जा रहा है सिलेक्ट कमेटी ने जिस रूप में रिकमन्ड किया उस रूप में इन्ट्रोड्यूस किया जाता तो जो जी मेहनत की और पैसा खर्च किया उसका उपयोग हो जाता। माननीय मंत्रीजी, सब चीज तैयार है। इस सदन में अवश्य पेश करें लेकिन उस बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी ने रिकमन्डेशन देकर रिपोर्ट दी है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्ट्रोड्यूस करें।

श्री शंकरलाल : Otherwise, it will again be referred to the Select Committee and time will be wasted.

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिलेक्ट कमेटी के प्रोपोजल्स सब माननीय सदस्यों को दे दिये जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर गवर्नमेंन्ट उससे डिसएग्री क्यों करती है? नई गवर्नमेन्ट है इसलिये करती है? इसके पीछे रहस्य क्या है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पुराना लेप्स हो गया। नये सदस्य आये हैं। सबकी राय जान ली जाय इसलिये ऐसा किया है।

श्री शंकरलाल : राय तो जान ली जावेगी लेकिन जनता के चुने हुए मेम्बर थे और राय दी थी...

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी बिल को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिल पुरःस्थापित किया गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी !

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 (राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 को और संशोधन करने के लिये विधेयक) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

श्री अध्यक्ष : क्या राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

Page No. 61

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं पुनः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

यातायात मंत्री !

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, यह विश्वास दिलाया जावेगा कि न केवल रूरल सीलिंग बिल बल्कि अर्बन सीलिंग बिल भी इन्ट्रोड्यूस कर दिया जावेगा। आज नहीं किया जा रहा है। 25-26 को डिस्कशन रखा गया है। कब इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कब कर रहे हैं यह बतायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दर असल बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई थी। जानकारी लेकर मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों बिल साथ साथ लिये जायें।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले बिल। यातायात मंत्री।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

श्री केसरीमल !

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यातायात के इतने साधन हैं उसमें कई बाधायें खड़ी हैं। करारोपण में चोरियां होती हैं और जिस तरह की गाड़ियां चल रही हैं उनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। गाड़ियों के परमिट दिये जाते हैं उनमें ऐसी अव्यवस्था है कि कुछ लोग तो लगातार परमिट लिये ही जाते हैं और कुछ लोगों को परमिट दिये ही नहीं जाते हैं। कुछ लोगों की ठेकेदारी हो गयी है और वे ही लोग परमिट ले रहे हैं। उन लोगों को तो बहुत फायदा होता है और पब्लिक को बहुत कठिनाई और तकलीफ होती है। राजस्थान रोडवेज की गाड़ियों को वहां भेज दिया था लेकिन उनको नहीं चलने दिया और प्राईवेट बस ऑनर्स ने उनको वहां से हटाने के लिये मजबूर कर दिया और वे चली नहीं। सरकार जानबूझ कर ऐसी अव्यवस्था रखती है। कमियां रखती है ताकि प्राइवेट बस ऑनर्स को फायदा मिलता रहे। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि कई बसेज तो इतनी पुरानी हो गयी हैं, उनके न तो पुर्जे मिलते हैं और न पार्ट्स मिलते हैं कई गाड़ियां लाइन पर ऐसी लगा दी जाती है कि बैठने वाले यदि खड़े हों तो उनके सिर फूट जाते हैं। कई छोटी

(श्री केसरी मल)

गाड़ियां हैं, कम संख्या ही बैठ सकती हैं लेकिन ज्यादा लोग भर लेते हैं और छत पर लोगों को बिठा लेते हैं। कहने पर कहते हैं कि परमिट छत का भी है और छत पर बैठने के लिये भी दिया जाता है। बाकी अन्दर बैठने के लिये तो जगह होती ही है। तो ऐसी मजाक सरकार की बनती है और एक एक गाड़ी में 70-70 आदमी भर कर ले जाते हैं और यदि एक्सीडेन्ट हो जाये तो इतने आदमियों की डेथ हो जाती है और उसका पता भी नहीं चलता कि इतने आदमी थे। फिर कहते हैं कि गाड़ी तो 30 की है इसमें 70 कैसे भर सकते हैं। तो रोडवेज की गाड़ियां हैं उनकी भी बड़े मजेदार हालत है। यदि नींद लेने के लिए ताल और तबले की आवाज सुननी हो तो इन रोडवेज की गाड़ियों में बड़े मजे से आवाज आती है और कई तरह की राग रागनियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी गाड़ियां चलती हैं कि जिनको देखकर मान होता है कि यह सरकार की गाड़ियां हैं या मजाक है। मेरा निवेदन है कि गाड़ियों की देखभाल इतनी बेतुकी है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ब्यावर गया जब यहां का सेशन खतम हुआ था उसके बाद तो जिस गाड़ी से मैं यहां से रवाना हुआ वह गाड़ी दूदू में खराब हो गयी, दूसरी गाड़ी किशनगढ़ के पास खराब हो गयी और तीसरी गाड़ी अजमेर के पास—याने ब्यावर तक पहुंचने के लिए मुझे 4 गाड़ियां बदलनी पड़ी। यह हालत हमारे रोडवेज की गाड़ियों की है। इन गाड़ियों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं होती है। अगर टैक्स का हिसाब लगाया जाये तो लाखों रुपयों की चोरी टैक्स के जरिये से होती है। टैक्स दिन प्रति दिन बढ़ता है यह सही है और टैक्स इसलिए बढ़ता है कि सरकार को पैसा मिले लेकिन सरकार को पैसा नहीं मिलता है और उस टैक्स की चोरी हो जाती है। एक एक गाड़ी में 70-80 आदमी भर लेते हैं और 30 सवारियों का टिकट काटेंगे और बाकी के पैसे जेब में रहेंगे। इससे सरकार के पास टैक्स का पैसा आने वाला नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : जनमत के लिए भेजा जाये इसके लिए बोलें।

श्री केसरीमल : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की अव्यवस्थायें हैं और ऐसी अव्यवस्थाओं को ठीक करना जरूरी है और इसके साथ ही टैक्स टैम्पों पर लगाया है, स्कूटरों पर लगाया है, बसेज के ऊपर लगाया है- यह टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जनता की सवारियां हैं। अगर प्राईवेट ट्रक वालों के ऊपर टैक्स लगाते तो उनके ऊपर लगता तो वह इसका बोझ उठा सकते थे। इसलिए इन टैक्सों को नहीं लगाया जाये और इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

Page No. 63

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान मोटर व्हीकल्स टेक्सेशन अमेन्डमेन्ट बिल, 1972 आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस बिल का मकसद जो मौजूदा टेक्सेशन की रेट्स हैं रोड टैक्स की, चाहे ट्रक्स हैं चाहे बसेज हैं, चाहे कार, ट्रेक्टर्स हैं—उन सब का जो शिड्यूल है उस पुराने शिड्यूल के बजाय नया शिड्यूल प्रस्तुत किया गया है जिसमें पुराने रेट्स को बढ़ाकर जो मेक्सिमम ऊंची लिमिट है वह निर्धारित की गयी है। इसका मकसद जो रेट्स हैं, यह लागू नहीं होकर सरकार के हाथ में अधिकार है कि उस सीलिंग के अन्दर अन्दर सरकार चाहे जितना टैक्स निर्धारित कर सकती है और निश्चित तौर से सरकार का मकसद इन लिमिट्स में टैक्स की वर्तमान मात्रा को बढ़ाना है और इसके अनुसार सरकार ने टैक्स की मात्रा बढ़ा भी दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जब कि सरकार टैक्सेसन के संबंध में यह बिल प्रस्तुत कर रही है यह आवश्यक है कि इस सरकार की ट्रान्सपोर्ट के संबंध में नीति, उस पर टैक्स लगाने की नीति से एक साथ जुड़ी हुई है और इस रूप में सरकार जब टैक्स बढ़ाने के बारे में सोच रही है तो मैं समझता हूं कि इससे जो संबंधित मुद्दे हैं, जो विचारणीय हैं और उसका संबंध टैक्स के ऊपर किस प्रकार से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उनके ऊपर लगातार उसके अन्दर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा वह निवेदन करना है कि जो रोड टैक्स बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिये हैं उसमें एक बात तो बड़ी अजीब लगी कि सरकार का दृष्टिकोण मोनोपालीज जो भी इस ट्रान्सपोर्ट के धंधे में हैं उन मानोपालीज को न केवल कायम रखना है बल्कि उसको प्रोत्साहन देना है, उनको आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूं कि इस सरकार को अपनी घोषित नीति के अनुसार जब कि इस नारे को लेकर यह सरकार पावर में आई है कि गरीब और अमीर के फर्क को कम करना है, बेरोजगारी को हटाना है तो इस उद्योग में भी जिस प्रकार से सरकार की नीति के कारण कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत सी बसेज और बहुत सी ट्रक्स होने की वजह से अमीर बनते जा रहे हैं, इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए था मुझे आश्चर्य हुआ बिल की धारा 2 में प्रपोज्ड सेक्शन 4 है उसके सब-क्लाज (3) को पढ़िये:

"A person who keeps more than 100 motor vehicles for use solely in the court of trade and industry shall be entitled to deduction of 5% on the aggregate amount of tax to which he is liable."

जिस आदमी के पास 100 या उससे अधिक गाड़िया होंगी उसको यह सरकार 5 परसेन्ट टैक्स में कन्सेशन देगी। अगर 99 गाड़ियां हैं तो वह कन्सेशन नहीं मिलेगा। तो माननीय जोशी जी मुझे माफ करेंगे उनके द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है और उनकी समझ समाजवाद के बारे में किस प्रकार की है वह इस बिल से प्रस्तुत होती है। मैं कई बार जब इस सदन में यह कहता हूं कि माननीय जोशीजी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की राजनैतिक, आर्थिक धारणायें उनकी अपनी हैं, समाजवाद के संबंध में उनकी कल्पनायें अपनी हैं जो इस नयी कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, पुरानी सिन्डीकेट कांग्रेस से मेल खाती हैं। जो समाजवाद की बात कहते हैं और बढ़ोतरी मानोपालिस्ट्स को देते हैं। बात बराबर करने की कहते हैं लेकिन इस तरीके के कानून बनाते हैं जिनमें प्रोत्साहन बड़ों को मिले। यह छोटा सा बिल है लेकिन इसी बिल से दृष्टिकोण माननीय जोशी जी का पूरी तरह से प्रतिबिम्बित होता है।

(1 म. प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष पीठासीन)

जो मैंने एक क्लॉज पढ कर दिखाई कि आज जो सौ मोटरें रखता है ज्यादा मोटरें रखता है तो उसको टैक्स का कंसेशन सरकार देगी। जितना बड़ा मोटर मालिक उतना बड़ा कंसेशन। दो सौ मोटरें रखें तो ज्यादा भी हो सकता है, उसको ज्यादा कंसेशन देने की बात माननीय जोशी जी सोच सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की थी कि यह जो मोनोपोली सिस्टम है इस ट्रांपोर्ट के अन्दर, इसको तोड़ा जाना चाहिए था और मैं समझता हूं कि उससे टैक्स की आमदनी में घटाव होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और आपका जो स्लोगन गरीबी और अमीरी के फर्क को कम करने का है उस दिशा में भी आगे बढ सकते हैं। बेरोजगारों को रोजी देने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप आज सर्वे करायें, मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं कि राजस्थान में कितने ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स के पास कितनी 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी वाले कितने हैं- दो गाड़ी वाले कितने हैं और इस तरह से आप सर्वे करावें तो मैं समझता हूं कि काफी लोग इस प्रकार के हैं कि जिनके पास एक फ्लीट ऑफ व्हीकल्स है और अभी भी आपके नियम जो परमिट देने के हैं, जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं वह रूल्स भी इस किस्म के हैं जो ऐसे लोगों को, जिन लोगों के पास अधिक गाड़ियां हैं उन लोगों को आप प्रायरिटि देते हैं परमिट देने में। यह आपकी घोषणा गरीबी और अमीरी के फर्क को कम करना या है बेरोजगारों को काम दिलाना है, यह बिल्कुल उससे विपरीत है। मसलन, मेरी जानकारी के अनुसार आप जो ट्रक्स को इण्टर स्टेट रूट्स के परमिट देते हैं, मान लीजिए राजस्थान और गुजरात उसमें प्रायरिटि आप ऐसे ऑपरेटर्स को देते हैं जिनके पास कम से कम सात ट्रकों का फ्लीट होना जरूरी है। जिनके पास सात ट्रकों का फ्लीट है उसको आप इण्टर स्टेट परमिट देने में प्रायरिटि देते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से हमने यह देखा है कि वसेज के परमिट्स में जो लोग परमिट ले रहे हैं, एक्सपीरियन्स की बुनियाद पर। एक्सपीरियन्स की बुनियाद पर आप उनको प्रायरिटि देते हैं ऐसे लोग जिनके पास पहले से ही इस धन्धे में हैं उन लोगों को आप प्रायरिटि देते हैं। इसका मतलब यह है कि नए लोगों के लिए रास्ता बन्द। कुछ ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा धन्धा, उसके हाथ में कंसन्ट्रेट कर देना चाहते हैं। इस दिशा में यह आपका सारा कार्य चल रहा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। मैं समझता हूं कि सरकार को यह चाहिए कि इस नीति में बुनियादी परिवर्तन करके और हर एक लोगों को परमिट उतने ही दिए जायं जितना एक परिवार का गुजारा उसमें हो सके। इस धन्धे के जरिए एक मिडिल क्लास के एक परिवार के लिए, मैं समझता हूं कि एक गाड़ी से उसका गुजारा चल सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप बैन लगा दीजिए। उसके लिए अगर मोटर व्हिकल एक्ट में तरमीम करने की जरूरत हो तो आप तरमीम कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट कांकरेंट सब्जेक्ट है, राजस्थान विधान सभा को उसके अन्दर अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो मोटर व्हिकल एक्ट में राजस्थान सरकार इस प्रकार का अमेंडमेंट करे कि जिसके जरिए इस प्रकार से एक मोटर, एक व्हिकल्स से ज्यादा का परमिट दूसरा जो भी सप्लाई करता है पब्लिक कैरियर या पब्लिक कैरिजेज, उनका किसी को न मिलें ताकि यह मोनोपोली खत्म हो सके। इस तरह से आप देखेंगे कि राजस्थान के अन्दर आप कम से कम दस हजार नए लोगों को रोजगार दे सकेंगे। दस हजार नए लोगों को रोजी दिला सकेंगे। अभी जितनी आपके पास बसेज हैं इसके हिसाब से आपके पास पब्लिक कैरियर्स 16707 हैं और आपके पास स्टेट कैरिजेज 7595 हैं तो दोनों मिला कर करीब 24 हजार बसेज और ट्रक्स जो पब्लिक हैं, ये 24 हजार के करीब आते हैं। अगर आप इनका एक एक परमिट एक एक परिवार के नाम करें तो, वह आंकड़े तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दस हजार नए लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। आप आंकड़े मंगवा कर देखिए कि यह 24 हजार परमिट कितने लोगों के अन्दर डिस्ट्रीब्यूट हैं। एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था अगले दिन जब टैक्सेज के ऊपर बहस हो रही थी तो जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड का जिक्र किया था। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि यह कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली की लिमिटेड कम्पनी है और इसके जो कृष्णमुरारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यह सब जगह के रेजीडेंट हैं। यह दिल्ली का रेजीडेंट, यह जयपुर का रेजीडेंट, लखनऊ का रेजीडेंट, भोपाल का रेजीडेंट और अहमदाबाद का रेजीडेंट है। और सब जगह के रेजिडेन्ट बन कर परमिट लेते हैं। यह गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लिमिटेड जो कि राजस्थान की रेजिडेन्ट कम्पनी नहीं है, डोमीसाइल कम्पनी नहीं है, दिल्ली की है, वह दिल्ली से जयपुर का परमिट कृष्णमुरारी दिल्ली का रहने वाला, कनाटप्लेस में रहने वाला होने के नाते लेता है और जयपुर से दिल्ली का परमिट चान्दी की टकसाल का रहने वाले के नाते लेता है। तो इस तरह से वह व्यक्ति अनेकानेक रूपाय: बन कर अनेक जगह के उन्होंने इण्टर स्टेट परमिट लिए हुए हैं। उनके पास डेढ सौ ट्रकों का फ्लीट है जिसमें राजस्थान में अकेले के 70 या 80 ट्रक्स अकेले इस कम्पनी के पास है, जो इण्टर स्टेट रूट पर भी चलती हैं और अपने राजस्थान के इण्टरनल रूट्स पर भी चलती हैं। तो आपकी इस पॉलिसी की वजह से यह मोनोपोली क्रियेट होती है और इन मोनोपोलीज के मुकाबले में जब कोई कम्पनी बना कर बैठ जाता है तो

Page No. 66

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फिर एक ड्राईवर, जिसने मुश्किल से एक ट्रक खरीदा, उसने फाइनेंस कम्पनी से या बैंक से कर्जा लेकर एक ट्रक चलाया तब उसके किराये के मुकाबले गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी गलत ढंग से ज्यादा सस्ते किराये पर माल लेजा सकती है और उस ड्राईवर को बाहर निकाल देगी और आज यही हो रहा है। आज राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक ट्रक वाला भी वायबल यूनिट हो सकता है अगर अनफेयर कम्पीटिशन नहीं रहे तो एक ट्रक से एक परिवार का गुजारा हो सकता है। लेकिन इस गवर्नमेंट की मोनोपोली क्रियेटिंग नीति के कारण और इस प्रकार के जो एक एक ट्रक वाले हैं, जो कम साधन वाले हैं, वह मुकाबले में टिक नहीं सकते। इन कम्पनियों के और आउट ऑफ फील्ड हैं। इस तरह के कच्चे रूट्स पर चलते है कि जहां पर उनके टायर थोड़े ही समय में खत्म हो जाते हैं और टायर खत्म हो जाय तो ग्यारह सौ रुपये हों तो दूसरा टायर आवे। रुपये उनके पास होते नहीं, और वह इस प्रकार से लुट जाते हैं। ठण्डे हो जाते हैं।

तो मेरा निवेदन यह है कि आपकी यह चुनाव घोषणा आपके हर अंग और आपके हर डिपार्टमेंट में उसको लागू करने की जरूरत है और इस दिशा में और यह जरूरत है कि आप उस नीति में परिवर्तन करें और उसी तरह से इस टैक्सेशन के अन्दर भी वह दृष्टिकोण आप रखते।

मैं समझता हूं कि जो टैक्स प्रपोजल आपने दिए हैं उसमें भी आपने यह ध्यान नहीं रखा कि कौन सी व्हिकल सामान्य लोग काम में लेते हैं, कौन सी व्हिकल पर टैक्स बढ़ाने से इसका इम्पैक्ट सामान्य लोगों पर पड़ेगा और कौन सी व्हिकल ऐसी हैं जिनको वैल ऑफ लोग इस्तेमाल करते हैं और उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाय तो उस टैक्स बढ़ाने से बड़े लोगों पर असर पड़ेगा और वे बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से इस टैक्स प्रपोजल में आपने टैम्पोज, ऑटो-रिक्शाज और टैक्सीज जो चलती हैं उनके ऊपर आपने टैक्स बढ़ाने का इसमें प्रपोजल रखा है। नेचुरली इसका असर जो सामान्य जनता है, जो दस दस पैसे देकर, 15-15 और 25-25 पैसे देकर इनमें ट्रैवल करती हैं उन पर इसका इम्पैक्ट होगा और वे भी इस बात के लिए जस्टीफाई हो जायेंगे कि वह अपना किराया बढ़वा सकें और नेचुरली ऐसी स्थिति में वह किराया बढ़ाने के रूप में जो पैसेंजर हैं उनके ऊपर इसका टैक्स पड़ता है इसके मुकाबले में यह जो प्राइवेट केरियर्स हैं, कार हैं, जीप्स हैं, इनको वेल ऑफ लोग रखते हैं, इनकी दरें आपने बढ़ाई हैं, यह मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन इनके बढ़ोतरी की जो मात्रा है, उसके अन्दर काफी ऊंचा आप बढ़ा सकते हैं। अगर एक कार पर 500) रुपया सालाना रोड टैक्स लगावें तो वह अनजस्टिफाइड नहीं होगा। सोलह, सतरह हजार की एक एम्बेसडर कार होती है, तो अगर वह 500) रुपया का टैक्स दे तो कोई मुसीबत नहीं हो सकती है! वे जो कारों में चलते हैं, उनका रोड टैक्स पांच सौ के बजाय एक हजार भी कर दिया जाये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो भी वे कारों में चलेंगे। रिक्शा में नहीं बैठते हैं क्योंकि यह उनकी प्रेस्टिज का सवाल है। उनको अपनी प्रेस्टिज को कायम रखना है, उस हिसाब से उनको कार में ही जाना होगा। इस प्रकार वे लोग अपना स्टेटस मेन्टेन करते हैं और उसका एडवेन्टेज भी उठाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो कारें हैं, उनके ऊपर आप टैक्स ज्यादा बढ़ा सकते थे। आपने शायद 40/- रुपया प्रति तीन महीने का प्रपोज किया है। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आपको 500/- रुपया एनुअली, मोटर कार के ऊपर लगाना चाहिये। जीप पर थोड़ा कम इससे लगाना चाहिये। जीप और मोटर कार में फर्क है और दोनों के रखने वालों में भी फर्क है। दोनों के कम्फर्ट में भी फर्क है। इसलिए उसके मुकाबले में इसमें भी फर्क होना चाहिये। आपके प्रपोजल्स में इस बात का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखा गया है, आपने प्राइवेट कैरियर्स और पब्लिक कैरियर्स के ऊपर एक ही रेट रखी है। यह जो प्राइवेट कैरियर्स हैं यह आम आदमी नहीं रख सकते हैं, इनको बड़े लोग ही रखते हैं जिनका धन्धा बड़ा होता है, अपने माल ढोने के लिए ज्यादा जरूरत रहती है पब्लिक कैरियर्स रखते हैं और वो आम आदमियों के माल को ढोते हैं उसका इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ता है। अभी तक सरकार की पॉलिसी यह रही है कि पब्लिक कैरियर्स पर वह ज्यादा टैक्स लगाती है और प्राइवेट कैरियर्स पर कम टैक्स लगाती है। अबकी बार जहां तक मैं समझ पाया हूं इनको पैरिटी पर ले लिया गया है। पहिले भी ली दिया था। मैं समझता हूं कि प्राइवेट कैरियर्स पर अगर टैक्स आप ज्यादा लगायेंगे तो वो ज्यादा मालदार आदमियों के पास में होने की वजह से उस टैक्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि परमिट के बारे में, यह किन को दिया जाये, यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल है। खास तौर पर यहां ट्रैक्टर ट्रक के बारे में आप देखें। आपको, मैं समझता हूं कि यह नीति बनानी चाहिए कि जो लोग खुद चलाने वाले हैं जो ड्राईवर्स हैं, उन लोगों को आपको ट्रक्स, बसेज के परमिट देने चाहिये। पहले इसको लेने के वे लोग ही अधिकारी हैं। अभी तक यह पब्लिक कैरियर्स का परमिट आप चाहे जिनको दे रहे हैं। यहां तक कि ये अनफेयर कम्पीटीशन करते हैं। जो लोग खुद चलाने वाले नहीं हैं उनको आप परमिट दे रहे हैं। एक तरह इस प्रकार की सोसायटी को, मिडिल मैन की सोसायटी को, जो एक्सप्लॉइट करने वाली है, उस सोसायटी को जन्म दे रहे हैं। इधर आप सोशलिज्म की बातें करते हैं। अतएव इस प्रकार के लोगों को हटाकर उन लोगों को लाना चाहिये जो कि खुद का धन्धा करते हैं। यह नीति कन्ट्राडिक्टरी है। एक समस्या, इस किस्म की, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में भी होगी और सम्भवतः वह माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में भी होगी, अभी अलवर के अन्दर, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में और जो व्यापारी हैं उनके बीच में टसल के रूप में आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में ट्रक ऑपरेटर्स ने अपनी एक योजना बना रखी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, दो यूनियन भी शायद वहां पर बन गई हैं, एक लोकल राजस्थान के अन्दर प्लाई करती है और दूसरी दिल्ली और अलवर के बीच में प्लाई करती है। उन्होंने रेट्स निर्धारित किए हुए हैं और उस आधार के ऊपर माल ले जाते हैं और लाते थे। कुछ व्यापारियों के पास भी ट्रक्स का परमिट है। तो ये करीब 60/70 व्यापारी हैं, जिनके पास कि ट्रक्स का परमिट है। तो इन व्यापारियों का यह इन्टरेस्ट है कि ट्रकों की कोई यूनियन न हो। उनमें अनहैल्थी कम्पीटिशन हो तो फिर चाहे जिस भाड़े पर वे उनको चलावें। दूसरा यह इन्टरेस्ट है कि यह जो 60/70 व्यापारी हैं, यह चाहते हैं कि यूनियन टूट जावे तो इन व्यापारियों के ट्रक ही अधिकतर काम में आवें, उनको ही चलाया जावे और उनके पास सारी आमदनी आ जावे और दूसरे जो 500 ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वे भूखे मरें। इस तरह से वहां पर तनाव बढ़ रहा है और झगड़े बढ़ गये हैं, और वहां भी 15/20 रोज या करीब एक महीने से यह झगड़ा चल रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार को वहां पर इन्टरवीन करने की जरूरत है। यह सही है कि ट्रक ऑपरेटर्स ने रेट वगैरह काफी हाई कर दी है जिसकी वजह से ट्रेड इफेक्टेड होता है। यह सही है। आज उनकी रेट्स को फिक्स करने के लिए ऐसी कोई रेजेन्सी नहीं है जो ट्रेड इन्डस्ट्रीज और ट्रक ऑपरेटर्स का ध्यान रखे और उनकी एक रेट्स मुकर्रर कर दे। इस प्रकार मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ लोग अपनी मोनोपोली कायम करके इस तरह से बिजनेस को खतम करना चाहते हैं। इस तरह से जिस तरह से आर. टी. ओ. इन्टरवीन करता है बसेज के अन्दर, उनके नम्बरिंग करता है, इसी तरह से इस मामले में स्टेट इन्टरवीन करे या अपनी कोई ऐजेन्सी कायम करें ताकि इस तरह का झगड़ा उत्पन्न न होवे। ये दोनों ही समस्यायें हैं और इनको खुली छूट दी जायगी तो अनहैल्थी कम्पीटीशन होगा और इसमें बड़े बड़े ऑपरेटर्स को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो सिंगल ट्रक आपरेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वे आउट ऑफ मार्केट हो जायेंगे और भूखों मर जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार इन्टरवीन करे, दोनों को बिठाकर कोई समझौता करावे, उनकी कोई एक रेट्स तय करा दे, लोड वगैरह के हिसाब से रीजनुबल रेट्स तय करा दे परन्तु अभी तक सरकार की ओर से कोई इन्टरवीन नहीं किया गया है बल्कि इन्टरवीन भी किया गया तो उस तरीके से कि पुलिस इस यूनियन को तोड़ने की कार्यवाही कर रही है और व्यापारियों के ट्रक्स के साथ पुलिस का एस्कोर्ट चलता है। इस प्रकार व्यापारी अपने ट्रकों से माल ढो रहे हैं और जो दूसरे ड्राईवर वगैरह है वे भूखों मर रहे हैं। इस प्रकार वहां पर तनाव बढ़ रहा है और यह भी खतरा है कि यदि यह तनाव बढता ही गया तो यह और कोई ज्यादा गंभीर स्वरूप न ले ले। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय, या उनका विभाग इस मामले में इन्टरवीन करे और किसी प्रकार इन दोनों पार्टीज को पास में बिठाकर कोई हल निकाले। कोई ऐसा मामला नहीं है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसका कोई हल या नतीजा न निकल सके हमने प्रयत्न किया था और दूसरे जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी प्रयत्न किया था और मैं समझता हूं कि इससे उनके डिफरेन्स नारो डाउन हुए थे। अभी तक पुलिस तो यह रोल अदा कर रही है उनके व्यापारियों के जो ट्रक है उनके साथ पुलिस की एस्कोर्ट को भेजकर माल बाहर भिजवा रही है। इस प्रकार इससे तनाव ही पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह जो ट्रक आपरेटर्स हैं उनके मामले को और व्यापारियों के मामले को सरकार को सुलझाना चाहिये। यह समस्या आज इसलिये पैदा हो गई है कि सरकार ने व्यापारियों को भी परमिट दे दिये हैं। अगर सरकार व्यापारियों को परमिट नहीं देती है तो यह समस्या पैदा नहीं होती। मैं यह चाहूँगा और जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है, आज हो यह रहा है कि एक आदमी कारखाना चला रहा है, उसी आदमी के पास पत्थर की खान है, उसी के पास सोड़ा की फैक्टरी है, उसी के पास पैट्रोल पम्प है, तेल का कारखाना है, और उसके पास दुकान भी है। तो इतने प्रकार के धन्धे एक ही आदमी के पास हैं और दूसरी ओर.......

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि आप इस बात पर विचार करें कि आज नये विचारों के अनुसार यह कहां तक मुनासिब होगा कि एक परिवार के पास उद्योग भी है, व्यापार भी है, और धन्धे भी हैं और उसी को आप पब्लिक केरियर के परमिट भी देते हैं तो वह आदमी आज उस ड्राइवर को जिसके पास केवल एक धन्धा है उसके मुकाबले में कम्पीटीशन में उसको बिल्कुल मैदान से निकाल देगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट को यह नीति अपनानी चाहिए कि ऐसे लोगों के पास जिनके पास पहले से ही धन्धा है उसके मुकाबले में प्रोयोरिटी उन्हीं को दें जो कि खुद चलाने वाले चालक हों, दूसरे प्रयोरिटी उनको दें जिनके पास कोई धन्धा नहीं हो, जो बेरोजगार हों, जो उस प्रायोरिटी में आते हों जिनको सामाजिक रूप से प्रायोरिटी देना चाहिए, जैसे कि एक्स-सर्विस मैन हैं या जो ग्रेजुएटस हैं जो कि बेरोजगार हैं, और या कोई समाज के इस तरीके के अंग हैं, को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके लिए, हरिजन हैं, आदिवासी हैं इस प्रकार के जो कि इकोनामिक बेकवर्ड तबके हैं, उनको आप दे सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही एफलुएन्ट हों, पहले से ही बहुधन्धी हों उनको नहीं दें। मैं निवेदन करूंगा की अलेवर में यह प्राब्लम क्रियेट हुआ है.......

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

आज बहुत बोलने वाले नहीं है, इसलिए कुछ समय दें.......

श्री हरिदेव जोशी : आज तो मैं ही मैं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। खैर, समय ज्यादा नहीं

Page No. 70

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात कहकर जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूंगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो आप टैक्स लगा रहे हैं इसके सम्बन्ध में एक रोड ट्रान्सपोर्ट टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी, केसकर कमेटी बैठी थी, इस कमेटी ने इस उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, और वह सिफारिशें इस किस्म की थी कि जिसमें उन्होंने यह कहा कि इस टैक्स के लगने के साथ साथ हम को यह देखना पड़ेगा कि कामर्स, इन्डस्ट्रीज, कम्युनीकेशन्स, इसके ऊपर इसका कोई एडवर्स असर न पड़े। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी की पहले ही इस उद्योग पर बहुत ज्यादा टैक्स लग चुके हैं, इनके आंकड़े उन्होंने खुद ने बताये हैं आल इण्डिया के कि 50-51 में कुल टोटल टैक्सेशन का 6.18 पर्सेंट इसके ऊपर, ट्रान्सपोर्ट के ऊपर रोड टैक्स था। यह 65-66 में 13.33 पर्सेन्ट आल इंडिया में हो गया। मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह पर्सेन्टेज और भी अधिक होगा। तो इस पर उन्होंने यह रिकमण्ड किया था कि यह जो पर्सेन्टेज है यह पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो कुछ टोटल टैक्स हैं यह तो मैंने रोड टैक्स का बताया है, उपाध्यक्ष महोदय, और अगर सब टैक्सेज का खयाल रखें जिसके अन्दर यात्रीकर भी शामिल है, जो भी टैक्सेज ट्रान्सपोर्ट के ऊपर पड़ते है वह टैक्सेज 50-51 के मुकाबले में 6.45 पर्सेन्ट बढ़ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पहले 100 था अब 645 हो गया है, साढ़े छः गुना हो गया। तो उसमें केसकर कमेटी की यह रिकमन्डेशन थी कि आप अव्वल तो इन टैक्सेज को घटाने की कोशिश करें, अगर घटा नहीं सकें तो कम से कम इससे आगे इन टैक्सेज को न बढ़ायें। अब उस रूप में हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको किस रूप में इम्प्लीमेण्ट किया है, इस पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि राजस्थान में रोड टैक्स से 51-52 में 24 लाख 75 हजार की आमदनी हुई और यह आमदनी 70-71 में बढ़ कर 24 लाख के मुकाबले में 3 करोड़ 48 लाख 35 हजार हो गई जो कि साढ़े चौदह गुना है। आल इन्डिया में पूरे टैक्सेस साढ़े छः गुने हुए हैं और राजस्थान में 50-51 के मुकाबले में खाली रोड टैक्स साढ़े 14 गुना हुआ है टोटल आमदनी का, जो भी सरकार को इसके अन्दर हुई है। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स का पर्सेन्टेज ही इतना बढ़ा है। गाड़ियां भी बढ़ी होंगी और उस रूप में टैक्स बढ़ा हो, और अब जो आप प्रपोज कर रहे हैं, जिसके अनुसार बसेज के ऊपर 100 रुपया पर सीट है, उसके अनुसार जो कि अनुमान लगाया है, आपने जो अनुमान दिये हैं उसको लोग कम मानते हैं कि अन्डर-एस्टीमेट है, उससे पूरी आमदनी इस बात से करें तो 7 करोड़ हो जायेगी इन टैक्सेज के काम से। ऐसी आम तौर से व्हिकल्स जो चलाने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की जो कि नॉन-ऑफिशियल्स हैं उन लोगों की यह राय है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे केसकर कमेटी ने साढ़े 6 गुना बढ़ाने पर ही चिन्ता व्यक्त की थी और यह कहा था कि इसका कामर्स, इन्डस्ट्रीज और कम्युनिकेशन्स पर असर पड़ेगा वहां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान के अन्दर इतना साढ़े 14 गुना तो पहुंच जाय वह कहां तक रीजनेबल लिमिट कही जायगी, इस बात को खुद सरकार के सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स कलेक्शन करने का सिस्टम है, उसके लिए आपकी जो एजेन्सीज हैं—आपका जो रोड टैक्स है वह आपका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट वसूल करता है, आपका जो पेसेन्जर टैक्स है यह कामर्शियल टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट वसूल करता है। आप इस पर विचार करें कि यह दोनों टैक्स एक ही एजेन्सी के द्वारा अगर वसूल हो तो इस बात से ट्रान्सपोर्टस को बहुत बड़ी सुविधा है और आपको उसमें कोई असुविधा नहीं है, आपकी उसमें टैक्स की कोई चोरी नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था की जा सकती है तो अपनी जनता को उसमें आराम मिले और गवर्नमेन्ट को दिक्कत नहीं हो तो उस काम को विचार करके करना चाहिए।

एक नई बात जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा माननीय मन्त्री जी का कि अभी कुछ दिन पहले एक समाचार अखबारों में पढ़ने को मिला था कि उत्तरी भारत की जितनी स्टेट्स हैं—काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यू.पी., राजस्थान, दिल्ली और शायद मध्यप्रदेश भी जिनमें है, इन तमाम का एक जोन बनाने का निर्णय सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एजेंज के अन्दर लिया गया है। इस तरह से देश में 4-5 जोन बनाने का निर्णय हुआ है। उस निर्णय के अनुसार एक ही जोन में एक ही तरह के यूनिफार्म टैक्सेज होंगे और एक जोन में एक जगह पर टैक्स जमा कराने में कोई रुकावट नहीं होगी, और उनके तमाम स्टेटस के टैक्स एक जगह ले लिये जायेंगे। एक ही पूल होगा। इस प्रकार का निर्णय लिया गया था। मैं समझता हूं यह एक अच्छा कदम है। यदि ऑल इन्डिया के तौर पर इस प्रकार का हो सके तो निश्चित तौर से अपने ट्रान्सपोर्टस को उसके अन्दर बहुत फायदा भी है, और आम जनता को इसमें बहुत लाभ है। लेकिन एक पहले कदम के रूप में अगर एक जोन से ही इसकी शुरुआत की जाय तो यही उचित होगा, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई। यह मामला हमारे विचाराधीन है। इसको लेंगे या नहीं लेंगे उसके बारे में माननीय मन्त्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह काफी मुद्दे हैं जिन पर इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान मोटर-गाड़ी करारोपण संशोधन विधियां अधिनियम में जो संशोधन विधेयक, 1972 का आया है इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के वित्त मन्त्री जी ने 1972-73 के बजट में ट्रकों पर

श्री उपाध्यक्ष : मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस पर जनमत जानने के लिए 5 लोगों ने प्रस्ताव किया है और मेरा जो प्रस्ताव है वह इसको प्रवर समिति को सौंप देने के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : वह विधेयक का नाम आपने दूसरा ले लिया था।

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मैं निवेदन कर रहा था कि ट्रकों पर करों की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि असामयिक कही जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने 1970 में एक कमेटी नियुक्त की थी। वह कमेटी डॉ. केसकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी। उन्होंने सिफारिश की थी, उन्होंने यह कहा था, कि ये कर लगे हुये हैं, उनमें राहत दी जानी चाहिए। और कर लगाने की बात तो अलग है। उन्होंने कहा कि भारत के अन्य प्रान्तों में टैक्सेज लगे हुये हैं, वह वर्तमान ट्रकों पर बहुत ज्यादा हैं। इस हालत को देखें तो डॉ. केसकर की सिफारिश को देखते हुये राजस्थान सरकार ने 32% अधिक कर वृद्धि कर दी है। आज हम विचार करें तो राजस्थान के अन्तर्गत जो टैक्स हैं, वह बहुत ज्यादा हैं। जो दूसरे प्रान्त हैं, राजस्थान के पास में उनमें बहुत कम हैं। उनमें इतना कर भार नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कर वृद्धि और कर दी है वृद्धि करने के अलावा जो सुविधा प्रत्येक प्रोपराइटर को दी जानी चाहिए, वह भी नहीं दी गई है। आज आये दिन पुलिस वाले किसी भी मार्ग पर ट्रक वालों को परेशान करते हैं। चैकिंग के नाम पर, मन्त्री महोदय कभी आमेर रोड पर चले जायें, उनको जब भी कोई चन्दा इकट्ठा करना हो, तो पुलिस वाले वहां खड़े हो जायेंगे। लाखों रुपया ले लेंगे। ये ट्रक वाले चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गरमी का हो, कितना श्रम करते हैं। उनको जो लाभ होता है, वह अन्य विभाग वाले हजम कर जाते हैं। जिस प्रकार कि उनके परिश्रम के आधार पर उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिलता है। फिर जो लोग परिश्रम में लगे रहते हैं। रात और दिन कुछ नहीं देखते हैं। जिस समय देश पर संकट आता है तो चाहे वह रसद भेजने का काम हो सीमा पर, किसी भी आक्रमण के समय पर, ट्रक वाले किसी भी देश भक्त से पीछे नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान आज उद्योगों की दृष्टि से बहुत पीछे है। यहां पर ट्रक वालों को ढोने के लिए पत्थर मिट्टी और अनाज मिलेगा। राजस्थान में अनाज के लिए अकाल है। तो गरीब ट्रक वाले पत्थर ढोयेंगे, मिट्टी ढोयेंगे। आज कोटा को हम औद्योगिक मानते हैं। वह भी शिशु अवस्था में है। आज हम विचार करें तो राजस्थान में गल्ला ढोने का काम ट्रक वालों द्वारा शून्य के बराबर किया जा रहा है। हमें चाहिए तो यह था कि हम ये टैक्स बढ़ाने के बजाय उनको राहत देते। राज्य सरकार ने राहत दी नहीं है। अन्य राज्यों में टैक्स कम हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ट्रक वाले राजस्थान में अपने ट्रकों का रजिस्ट्रेशन न कराके पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश और यू. पी. में करायेंगे। राज्य सरकार ने डॉ. केसकर की रिपोर्ट के आधार पर कोई विचार नहीं किया है। इससे राज्य सरकार के उद्योग का नुकसान होगा। नतीजा यह होगा कि ट्रक वाले राजस्थान के आसपास के प्रान्तों में रजिस्ट्रेशन करायेंगे। आज आप 9 टन पर 2320 रु. वार्षिक लेते हैं। 12 टन से ऊपर वाले ट्रक पर 3280 रु. है। इसी प्रकार डीजल पर 1680 रुपया कर दिया है। यानी 230 रुपया वार्षिक की वृद्धि की है। 1530 के स्थान पर 280 रु. किया है। 750 अधिक वार्षिक बढ़ाये हैं। इस प्रकार से हरियाना में 1 हजार रु. प्रति वर्ष है। पंजाब में एक हजार रुपया प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश में 2 हजार रुपया प्रतिवर्ष है। जब कि वहां काफी उद्योग हैं। काफी उद्योग होने के कारण ट्रक वालों को काम करने का मौका मिलता है। मजदूरी भी मिलती है। दिल्ली में 1800 रु. प्रति वर्ष लिया जाता है। दिल्ली में रोड टैक्स केवल लिया जाता है। गुड्स टैक्स नहीं लिया जाता है। राजस्थान में दोनों टैक्स वसूल किये जाते हैं। राजस्थान में आज तो खाली ट्रकों पर तौल के आधार पर आर.एल.डब्ल्यू. के नाम से टैक्स लिया जाने लगा है। इस प्रकार से खाली ट्रकों पर टैक्स लेने की नयी पद्धति राजस्थान सरकार ने अपनाई है। दूसरे प्रान्तों में लोगों को काफी सुविधायें हैं। खाली ट्रकों पर भी राजस्थान सरकार ने टैक्स लिये जाने की घोषणा की है। अगर कर वृद्धि के प्रस्तावों को वापिस नहीं लेंगे तो राजस्थान का उद्योग बढ़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से मालिक मालिक होता चला जायेगा और धनाढ्य धनाढ्य होता चला जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि एक एक ट्रक पर 25 आदमियों का पालन होता है। एक ट्रक के पीछे 15 बेरोजगार आदमियों को काम मिलता है। इस प्रकार की नीति से उद्योग पनपेगा नहीं। अन्य प्रान्तों में रजिस्ट्रेशन होने से राज्य सरकार की आर्थिक हानि होगी। इसके साथ साथ आज सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात करती है। अगर राजस्थान में बेरोजगारी को रोकना है, राजस्थान का विकास करना है, आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, तो जो ये राजस्थान सरकार ने टैक्सेज बढ़ाये हैं उनको वापिस लेना चाहिए। और डॉ. केसकर की सिफारिश के आधार पर ट्रक वालों को राहत देनी चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह ऐसा उद्योग है ट्रक वालों का इसमें राज्य सरकार को पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ट्रक उद्योग वालों को पैसा देती हो, मदद देती हो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन दिलवाने की बात करती हो-ऐसी बात नहीं है। यह स्वयं का उद्योग है, जो ट्रक चलाते है उसमें गरीब सुबह से शाम तक और शाम तक ही नहीं जब दुनिया सोती रहती है, ट्रक वाले गरीब रात को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है-इस प्रकार का यह धन्धा है, यह विचित्र धन्धा है जो सरकार की बिना मदद से चलता है-ऐसे उद्योग पर इतना टैक्स लगाना उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह ट्रक उद्योग है, इसके ट्रक सड़कों पर चलते हैं,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बसेज सड़कों पर चलती हैं-उन सड़कों की हालत आप देख लीजिये, उन सड़कों की हालत आपको दयनीय मिलेगी। कई स्थान पर पुलियां टूटी हुई मिलेंगी, ट्रक को कई मील तक कच्चे रास्ते पर जाना पड़ता है, कई स्थान पर ट्रक को पानी में होकर चलना पड़ता है। राजस्थान में सड़कों की यह हालत है, आप राजस्थान में किधर भी चले जाइये, सड़कों की दयनीय हालत मिलेगी। राज्य सरकार को आय होती है, टेक्सेज लगाने के आधार पर लेकिन आप बजट को देखिये, दस पन्द्रह पर्सेन्ट भी सड़कों की दशा को ठीक करने पर खर्च नहीं करते हैं। इसके अलावा जब चाहे, पुलिस इन्हें परेशान करती है. जब चाहे आर. टी. ओ. इन्हें परेशान करता है और इन ट्रक ड्राईवर और मालिकों से, राज्य सरकार जब चाहे पैसा एंठ सकती है। इस तरह से इन्हें परेशान किया जाता है लेकिन इस ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। कभी मन्त्री महोदय इनकी स्थिति को देखें, राजस्थान का दौरा करें और यह देखें कि ट्रक वालों को आर. टी ओ. और पुलिस कैसे परेशान करते हैं। इसी प्रकार सेल्स टैक्स के अधिकारी हैं, चाहे चुंगी के अधिकारी हों-वह सब ट्रक वालों को परेशान करते हैं। मैं समझता हूं इसका अनुभव राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री को होगा क्योंकि वह त्रिलोकसिंह इन्क्वायरी कमेटी के सदस्य हैं। मैं समझता हूं, इस इन्क्वायरी कमेटी के सदस्य होने के कारण इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। राज्य सरकार ने चार सीट वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया है-यह अनुचित है। इसके अलावा भयंकर जुर्माना किया जाता है। जो टैक्स जमा न कराये तो पच्चीस रुपये एक हफ्ते के बाद जमा कराने पड़ेंगे। यह पच्चीस रुपये का जुर्माना है, एक सप्ताह के बाद, वह काफी बड़ा जुर्माना है। इसके अलावा चार सीटर पर जो राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ाया है यह ठीक प्रकार से नहीं बढ़ाया है। इन टैक्सों का जनता पर असर पड़ेगा। जो बसेज पर बढ़ाया है, उसका भार भी जनता पर पड़ने वाला है। पैसेन्जर टैक्स जो है वह बस वाले उगाई कर लेते हैं, उस बढ़े हुए टैक्स को वसूल कर लेते हैं लेकिन वह वसूल किया हुआ टैक्स राज्य सरकार नहीं ले पाती है। यह शोचनीय स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमे जनमत जानने वाली बात में नहीं कहना चाहता, जनता को इन बातों से लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय सदस्य को.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय........

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या माननीय सदस्य का लेना देना भी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आम जनता की शिकायत है तो आम जनता में प्रसारित करेंगे, लेकिन आप मोटर वालों का मत जानना चाहेंगे तो वह प्रवर समिति के सामने अपनी दिक्कत है, वह पेश करेंगे। प्रवर समिति बारीकी के साथ जो डॉक्टर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पेशकर कमीशन की रिपोर्ट है, त्रिलोक सिंह एन्क्वायरी कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर विचार करेगी, अन्य प्रान्तों में टैक्स किस प्रकार का है उसकी जानकारी करेगी। अन्य प्रान्तों में टैक्स कम है और वहां इस उद्योग का काफी विकास हुआ है, राजस्थान में विकास नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस उद्योग को आर्थिक सहायता देती नहीं है, राजस्थान के अन्दर सड़कों की हालत खराब है, ट्रक वालों को पुलिस परेशान करती है, आर. टी. ओ. परेशान करता है। इन ट्रकों पर कितने लोगों की आजीविका निर्भर है, कितनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान इससे होता है इन सब पर विचार करने के लिए एक प्रवर समिति बना दी जाय, और इस प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रवर समिति दो माह में इस पर डिटेल में विचार करके और प्रान्तों से जो जानकारी प्राप्त करनी है, जो खतो किताबत करनी है वह करके, वहां से पत्रावली मंगा कर, वहां जाकर ट्रक मालिकों से मिल कर इस उद्योग की जो समस्या हैं, उनका हल, उचित हल उनसे सम्पर्क करके निकालने का प्रयास करेगी, उससे ट्रक मालिकों को राहत मिलेगी जनता को राहत मिलेगी। यह जो टैक्स बढ़ाया गया, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह डाइरेक्ट टैक्स नहीं है, इन्डाइरेक्ट टैक्स है, यह इन्डाइरेक्ट टैक्स जनता पर बढ़ाया है, चाहे आपने बसेज पर बढ़ाया हो, चाहे मोटर गाड़ियों पर बढ़ाया हो, ट्रकों पर बढ़ाया हो, आखिरकार तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। आपने जो ऑपरेटर्स पर किराया बढ़ाया है, उससे सामान महंगा हुआ है और लोगों ने वह वसूल करना शुरू कर दिया है इससे ट्रक वालों को और जनता को परेशानी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें जो दो माह में इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रह गये हैं दो तीन आदमी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी मीटिंग चल रही थी, हम लोग आपकी मीटिंग में थे।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं थोड़े सुझाव दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर रोशनी डालते हुए मैंने आमतौर से यह गुजारिश की थी कि टैक्सों का भार इस तरह का होना चाहिए जो ऐसे लोगों पर पड़े जो उन टैक्सों को बर्दाश्त कर सकते हों। जहां तक हो सके, इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन की प्रणाली है वह अवॉइड की जाय, डाइरेक्ट टैक्सेज लगाये जाएं और जहां इन्डाइरेक्ट टैक्सेज लगाने की आवश्यकता हो वहां टैक्सेज का भार इस तरह से पड़े जिससे जो साधारण व्यक्ति है, वह उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो। इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की थी, जब हम समाजवाद की बात करते हैं समाजवाद की तरफ हम कदम उठाने चले

Page No. 76

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं और उस दिशा में आज बढ़ रहे हैं, हमें यह सोचना होगा कि जो मोनोपोली हर व्यापार में होती चली जा रही है उस मोनोपोली के रैकिट को किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उसको खत्म किया जाय किस तरह से विकेन्द्रीकरण किया जायगा, हर उस व्यापार का, हर उस चीज और साधन का, जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे लोगों का शोषण हो रहा है, इस सिलसिले में गुजारिश की थी, आज भी ऐसे ट्रक ओनर्स हैं जिनके पास पांच दस नहीं बल्कि जिनके पास सौ, डेढ़ सौ ट्रक हैं, उनको आपके द्वारा जो अमेंडमेंट लाया गया है, उस अमेंडमेंट में उनको प्रोटेक्शन दिया है, सब सेक्शन तीन के अन्दर यह लिखा है:—

"A person who keeps more than 100 motor vehicles for use solely in the course of trade and industry shall be entitled to a deduction of 5% on the aggregate amount of tax to which he is liable".

इसका मतलब यह है कि जो मोनोपोलिस्ट हैं, उन मोनोपोलिस्टों को और सहूलियत दी जा रही है। मेरी गुजारिश थी, उस वक्त कि जो मोनोपोलिस्ट हैं उनकी मोनोपोली खत्म करनी चाहिये, जिनको ज्यादा ट्रकों के परमिट मिले हुए हैं, उन परमिटों को कैंसिल करने की कोई सूरत निकालनी चाहिये। एक सूरत यह हो सकती है, जैसा सजेस्ट किया, सेल्स टैक्स में रिडक्शन किया जाय, उसके बजाय मेरा सुझाव है कि मंत्री जी सेल्स टैक्स के अन्दर जितनी····

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोड टैक्स।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रोड टैक्स जितनी गाड़ियां हों, उनके हिसाब से टैक्स का पर्सेन्टेज बढ़ता जाय। आज जिससे आप सौ रुपये लेते हैं, जिसके पास एक गाड़ी है उससे तो जिसके पास दो गाड़ी हों, उससे दो सौ रुपये लिये जाएं। इस तरह से स्लेब सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करके मोनोपोलिस्ट पर कर लगाया जाय। लेकिन वास्तव में इस तरह से इसमें रखा है कि जिनके पास ज्यादा गाड़ी हों उनका टैक्स रिड्यूस कर दिया जाय। अभी जो आपके सामने आंकड़े रखे गये हैं, उनके अनुसार हमारे यहां पर 24,000 व्हिकल्स इस तरह की है जिन्हें हेवी व्हिकल्स कहते हैं। जिनके पास ज्यादा गाड़ियां हैं उनके ऊपर हम कर लगा कर या उनके जो परमिट्स हैं उनको कैंसिल करके उनकी मोनोपोली की तादाद मुकर्रर कर दें और इसके बाद में कोई आदमी इस कारोबार में आने का इरादा रखता हो उसको दें तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत से लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है वह बेरोजगार इंजीनियर्स की समस्या है। वह इंजीनियरिंग का काम सीखकर आते हैं, यहां पूल में उन्हें रखा जाता है और राजस्थान सरकार उनको दो सौ, ढाई सौ रुपये का अलाउन्स देती है, वह देती है वह तीन साल के अर्से तक देखती रहेगी। अगर हर चीज, हर व्यापार में आज जो मोनो-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पोली है उसको खत्म करना चाहते हैं तो इससे उसको समाप्त किया जाता है कि इन लोगों को इस तरह आकर्षित किया जाय, उन्हें कहा जाय कि तुम लोग इस कारोबार को हाथ में लो, गवर्नमैंट उनको सहुलियत दे, उनको कर्जा दिलाये, बसेज का इन्तजाम करने की ट्रेनिंग दे, यह लोग इंजीनियर हैं, वह आसानी से इस कारोबार को पिक अप कर लेंगे। इससे मैं समझता हूं, ऐसे जो बेरोजगार लोग हैं जो इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, आज जो दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, इस मोनोपोली को खत्म करें तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं, आप रोजगार दे सकेंगें। इसके अतिरिक्त, मोनोपोली के अलावा मैंने कहा था, आप इस बात पर गौर फर्मायें कि जो व्हिकल्स आम लोगों के काम में आती हैं, जैसे टेम्पो हैं, ओटो रिक्शा हैं, बसेज हैं इन बसेज पर अगर कोई एडीशनल बर्डन डाला जाता है, अगर कोई कर लगाया जाता है तो उसका असर होता है किराए में वृद्धि। तो यह किराए में वृद्धि, इन्डाइरेक्ट टैक्सेज के कारण जो मुसाफिरों पर अल्टीमेटली असर पड़ता है, जिस चीज की उसको राहत है वह इस कर के बाद में तय हो जाती है और उनको दिक्कत महसूस हो रही है कि क्या करें। कुछ दिन पहले यह सवाल पेश आया था कि यहां से जो लोग सांगानेर जाने वाली बस के द्वारा यात्रा करते हैं तो उन पर 5 पैसे का बंगलादेश का टिकट लाजमी होता है। यहां ऑटो रिक्शा भी चलते हैं उन पर यह टिकट नहीं है क्योंकि वे शहर के अन्दर घूमते हैं। शहर के अन्दर घूमने वाले टेम्पोज पर यह बंगलादेश का टिकट नहीं लगता और बाहर कदम रखते ही 5 पैसे का बंगलादेश टिकट लगाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपना डेप्यूटेशन भेजा था मंत्री के पास और कहा था कि 10 पैसे में अगर टेम्पो लेजाता है तो हमें 15 पैसे देने वाला कौन है ? हम चाहते हैं कि अगर हम शहर की लिमिट्स के बाहर जायं तो उस टिकट पर 5 पैसे और लें और शहर के लिमिट के अन्दर कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए। यह उचित मांग थी, उसको भी ठुकरा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वे लोग परेशान हैं। यहां की बसेज अगर कॉलेज तक भी जायेंगी तो 5 पैसे का बंगला देश का टिकट लेना पड़ेगा। यह असुविधा बस चालकों के लिए है। इसके लिए बार-बार सरकार से कहा जाता है लेकिन अफसोस है कि सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारी मांग उचित है, तुम अपनी बात को रखो कि अगर हम शहर की लिमिट्स के बाहर जायं तो 10 के बजाय 15 पैसे, 25 पैसे के बजाय 30 पैसे देने को तैयार हैं। तो मेरी अर्ज है कि आप ऐसे करें, जिनका भार अल्टीमेटली मुसाफिरों पर पड़ता है, उन करों को आप एवाइड करें। इसके बजाय वे लोग जो एक एक, दो दो, चार चार कार रखते हैं वह अफोर्ड कर सकते हैं। उन पर करों का बोझ डाला जाए। जब वे 500-1000 रु. का साल में पेट्रोल खर्च करते हैं तो वे इतनी रकम गवर्नमेंट एक्सचेकर में भी दे सकते हैं। यह इन्डाइरेक्ट टैक्स है, इनका असर उन पर पड़ता है जो इस्तेमाल करते हैं। तो वे कर जिनका बोझ डाइरेक्टली मुसाफिरों पर पड़ता

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है, उसके लिए मैंने पहले भी सुझाव रखा था और अब भी रखता हूं कि इन करों को एवाइड किया जाए, कम किया जाय। जिस समय मैंने आपके सामने यह करों की नीति और परमिट्स देने की प्रणाली पर रोशनी डाली थी, उस समय मैंने कहा था कि इस समय भी ऐसी हालत है कि जितना व्यापार है एक साधारण आदमी के हाथ में नहीं है बल्कि मोनोपोलिस्ट्स के हाथ में है। हमारे साथी रामानन्दजी ने कहा आपके सामने कि जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की 150 ट्रकें हैं, 10 हजार रुपए की आमदनी उसकी पैकेजिज से है। अगर एक किलो का वजन भी होता है तो भी एक रुपया लेते हैं। तो इस तरफ सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और फैसले करने चाहिए। यह परमिट को जारी करने की जो प्रणाली है उसमें मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए और जो मोनोपोली बना रखी है लोगों ने और बहुत सी ट्रकें रखी हैं उन पर कर लगाना चाहिए और उनकी संख्या कम होनी चाहिए और वे परमिट्स दूसरों को दिए जाने चाहिए जो बेरोजगार हैं चाहे इन्जनीयर हों चाहे दूसरे लोग।

जो टैक्स हम पर असर न करके ऐसे लोगों पर करता है जिनको मालूम नहीं होता है कि उनसे कर वसूल किया जा रहा है ऐसे लोग कि जो अदा कर सकते हैं, बोझ को बरदाश्त कर सकते हैं उन पर बोझ डाला जाए लेकिन जिनमें ताकत नहीं हैं, जिनकी खरीद शक्ति कम होती जा रही है, रहन सहन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, उन पर बोझ कम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बिल है इसको जनता की राय जानने के लिए इसको सरक्यूलेट किया जाए, उसके बाद इसको लाया जाए ताकि वे सुझाव जो जनता की तरफ से आयें उन पर हुकुमत गौर कर सके और उनके अनुसार अपनी पॉलीसी को आखरी शक्ल दे सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानन मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल, 1972 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। अगर आप 1951 से लेकर आज तक हालात देखें जब से यह बिल लगातार संशोधन के लिए हर साल इस सदन में पेश होता रहा है तो वे आंकड़े हैरतअंगेज हैं, हर चीज पर कर बढ़ता चला जा रहा है. रोड टैक्स, टोल टैक्स, चुंगी टैक्स बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त टर्मीनल टैक्स और किराया भी बढ़ा है। लेकिन राजस्थान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एक गरीब यात्री पर न बढ़ी हो हर चीज बढ़ती चली गई है। रोड टैक्स की स्थिति देखें और वास्तविक ब्यूरो देखें तो जो रोड टैक्स 1951 में 16) प्रति सीट था, वह 1955-56 में 30) हो गया, 59-60 में 37.50, 64-65 में 50) और 1971-72 में 100) प्रति सीट हो गया। सारे भारतवर्ष में रोड टैक्स इस हिसाब से कहीं पर भी इतना नहीं बढ़ा है। इस संबंध में यात्रियों पर पड़ने वाले दूसरे करों का तखमीना लें तो रोड टैक्स बसों से आमदनी 1951 में केवल 24 लाख रुपए थी, वह बढ़कर 3.39 करोड़ राजस्थान में हो गई। अगर आप ट्रकों से लें और दोनों को मिलाकर लें तो यह स्थिति पैदा होती। यात्रा कर की स्थिति लें तो 1951 में 1,54,48 000 1964-65 में 1,62, 871) और 1965-66 में 1.75 करोड़। उसके बाद के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं है। यात्रीकर लगातार बढ़ता जा रहा है।

पेट्रोल और तेल पर कर बढ़ायें मुझे ऐतराज नहीं लेकिन ये ऐसे कर हैं जो सारे के सारे यात्रियों पर पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित कर अगर आप लें तो स्थानीय कर, चुंगी जो 1951 में 1-88 लाख वसूल होती थी वह 1964 में 1-43 लाख थी, 1967 में 2.20 लाख चुंगी वसूल हुई। टर्मीनल टैक्स 1951 में 5,67,401) था, 1964 में 6,00,475) हो गया, यह आंकड़ा बढ़ता चला गया, बाकी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टोल टैक्स 3.31 लाख से बढ़कर 1965-66 में 3.39,600 हो गया। 1971 में तो बहुत बढ़ चुका है लेकिन मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जो सड़कों की लम्बाई बढ़ी है चाहे मेटल्ड, चाहे ग्रेवल, चाहे कोल टार चाहे फेयर वेदर रोड्स तो सारे राजस्थान में सबसे कम सुविधा उपलब्ध हुई है। 1964-65 में 29,431 रोड माइलेज कुल मिलाकर नेशनल हाईवे, सीमेंट कान्क्रीट, मेटल्ड, ग्रेवल सड़कों पर 1965-66 में 3688 रोड माइलेज बढ़ी और उसके बाद इसका इन्क्रीमेंट स्टैगनेन्ट हो गया।

सन् 66-67 में 31,376
सन् 67-68 में 31,376
सन् 68-69 में 31,376

और इसी प्रकार सन् 70 में व सन् 71 में यही 31,376 माइल ही है। इस सबसे मेरा निवेदन यह है कि आपका रोड टैक्स बढ़ा है पर सड़क के निर्माण के लिये कोई खर्च आपने नहीं किया। राजस्थान में सन् 62-63 से लेकर अब तक कोई खर्च सड़कों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। और इधर आपने रोड टैक्स बढ़ाना जारी ही रखा। आज राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोविन्से हैं, रोड माइलेज पर टैक्स सबसे अधिक है; यहां पर 100 रुपया प्रति सीट चार्ज होता है। मैं आपको दूसरी स्टेट्स के आंकड़े निवेदन करना चाहता हूँ।

बिहार में प्रति सीट पर 30 रुपया,
गुजरात में प्रति सीट 32 रुपया
बिहार में प्रति सीट 30 रुपया
पांडीचेरी में प्रति सीट 16 रुपया
मध्यप्रदेश में प्रति सीट पर 32 रुपया

महाराष्ट्र में प्रति सीट पर, राजस्थान और पंजाब में 100 रुपया प्रति सीट टैक्स लिया जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि राजस्थान में रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आप चाहे रोड टैक्स बढ़ावें मुझे ऐतराज नहीं है पर ऐतराज इस बात का है कि जिनके फ्लीट के फ्लीट बसेज हैं उन पर आप रोड टैक्स बढ़ाइये। लेकिन जिनके पास सौ से भी अधिक बसेज हैं उन पर तो आप टैक्स पांच प्रतिशत कम लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन गरीब आदमी पर इस प्रकार से ज्यादा टैक्स पड़ता है। दूसरे मेरा यह भी निवेदन है कि आज जो किराया है वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगानगर से रायसिंह नगर का किराया जोकि 3 रुपया लगता था वह आज रोडवेज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने 3 रुपया 65 पैसा कर दिया है। जब कि वह रूट सिर्फ 46 किलो मीटर ही है। तो इस प्रकार सरकार जो रोड माइलेज पर टैक्स बढ़ाती है उधर बस ग्रॉनर भी किराया बढ़ाते चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने भी आज थ्री व्हिलर्स हैं, टैम्पों वाले हैं, प्राइवेट बसेज हैं उनमें इन बसों में तीन तीन चार चार बार यात्री किराया बढ़ाया गया है। आज राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है उसका असर तो सिर्फ गरीब यात्रियों पर पड़ता है इसलिए गरीब मरता है और उन लोगों पर कोई असर नहीं होता, जिनके बसों की फ्लीट्स के फ्लीट्स हैं। जिनके पास ट्रकों के फ्लीट्स के फ्लीट्स हैं। तो इस प्रकार सरकार को चाहिये कि ऐसी नीति निर्धारित करें कि जिससे इन बड़े बड़े फ्लीट्स ग्रॉनर पर टैक्स ज्यादा लगे। आज आपने जितने प्राईवेट बस मालिकों को रूट्स दिये उसमें भी काफी गड़बड़ियां हैं। आज मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि एक बस ग्रॉनर हैं दौलतराम जिसके पास करीब 450 बसेज हैं। इसके पास राजस्थान में सबसे अधिक बसें हैं और बस रूट्स के परमिट भी। आज उसकी सारे राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में बसें जाती हैं। वो इतना इन्फ्लेन्शियल आदमी है कि जब सन् 65 में इन्डो पाक वार चल रही थी, तब उस समय हमारे भारतवर्ष के मिनिस्टर श्री मुरारजी भाई का गंगानगर सीमा पर दौरे का प्रोग्राम था। लेकिन हुआ यह है कि वो मुरारजी भाई इसी दौलतराम के यहां पर 4-5 घन्टे तक बैठे रहे और भोजन किया। लोग गंगानगर में उनकी राह देखते रहे पर मुरारजी भाई वहां पर इसी दौलतराम की वजह से नहीं पहुंच सके। आज इनको नाजायज लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार एक रावतसिंह नाम का व्यक्ति है जिसके पास करीब 250 बसेज हैं और उसको परमिट दिये हुये हैं। आज आपके राज्य के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब जो श्री हरिदेव जोशी है उनके भी 40 ट्रकें उदयपुर में जावर माइन्स में किराये पर चल रही है। इसी प्रकार बीकानेर महाराजा करणीसिंह की बसेज हैं जो चल रही है। आज इन लोगों के पास जो बसेज के रूट्स हैं उनको सरकार लेने में हैजीटेट कर रही है। और इन लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आज इनके पास इन्टर-प्रोवेन्शियल रूट्स हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाना चाहिये। ताकि राज्य सरकार को लाभ हो। आज भारत सरकार की कई स्टेट्स में रूट्स का नेशनलाइजेशन हुआ है लेकिन राजस्थान में जो नेशनलाइजेशन हुआ है वह सिर्फ 8 परसेन्ट ही है। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में 93 परसेन्ट रूट्स नेशनलाइज हुए हैं। आज नेशनलाइज आठ परसेन्ट होने के बाद स्ट्रेगन्ट होगया है। मैं आपको निवेदन करदूं कि इन बसेज के फ्लीट ग्रॉनर्स जैसे गंगानगर जिले में श्री रावतसिंह के पास करीब 82 रूट्स हैं और उसमें उसकी 53 बसें चलती हैं। इसी प्रकार इन लोगों के गंगानगर से रायसिंह नगर, गंगानगर से करनपुर और गंगानगर से गजसिंहपुर, जो कि बड़े रूट्स हैं उन पर बसें चलती हैं। आज राज्य सरकार को चाहिये कि इन रूट्स को नेशनलाइज करे और जो इन लोगों ने मोनोपोली मचा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रखी है उन्हें खतम की जाय। लेकिन राज्य सरकार इन लोगों से परमिट्स छीनने में हैजीटेट करती है। आज इन बस ओनर्स अपने बसेज की फ्लीट्स की फ्लॉट्स प्लोय कर रखी है। पर आप इन रूट्स को नेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। आज राजस्थान में परमिट्स का ब्लेक होता है। और ये लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं। आज राज्य सरकार की पोलीसी है नेशनलाइजेशन की। करिये आप रूट्स नेशनलाइज। उदयपुर में आप वहां हैजीटेट करते हैं। आज आप इन बड़े-बड़े लोगों को परमिट दे रहे हैं। आज इन बड़े बड़े लोगों की प्राईवेट बसेज चल रही हैं, प्राईवेट केरियर्स चल रहे हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये। राज्य सरकार को अपनी बसें चलानी चाहिये। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आज गंगानगर जिले में और दूसरे जिलों में, जहां जहां इन बस वालों को परमिट्स दिये गये हैं वह सभी पोलीटिकल आधार पर दिये गये हैं। आज इन्हें जिनकी मोनोपोली हैं, उन्हें समाप्त किया जाय। हमारे गंगानगर जिले में कुछ ऐसी बसेज के ओनर्स हैं जो काफी रिजनेबल रेट्स पर गाड़ियां चलाते हैं। पर आज उन लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। आर. टी. ओ. द्वारा परेशान किया जाता है। वहां पर लोगों ने एक यूनियन भी बनायी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये आर. टी. ओ. वाले और पुलिस वाले एक एक ट्रक वाले से सो सो रुपया महीना मांगते हैं। और अगर वो नहीं देते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है। आज पुलिस वाले और आर टी. ओ. वाले सभी मिल कर इन यूनियन्स को खतम करने में लगे हैं। इसी प्रकार पदमपुर व और कई जगहों पर ट्रक वालों ने यूनियन बनायी है पर आपके राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनियनों को तोड़ने में लगा हुआ है। इसी प्रकार अलवर में भी ट्रकों वालों ने यूनियन बनायी है। पर उपाध्यक्ष महोदय, ये पुलिस वाले और आर टी ओ. वाले गरीब लोगों को आराम से नहीं रहने देना चाहते हैं। क्योंकि इन मोनोपोलिस्टों ने जो मोनोपोली क्रियेट कर रखी है उन्हें समाप्त करने में लगी हुई है तो मेरा निवेदन है कि इन मोनोपोलिस्टों का, जिनके पब्लिक केरियर्स के फ्लीटस के फ्लीटस हैं, उन्हें इम्पेक्ट आप समाप्त कीजिये सारे भारतवर्ष में सबसे अधिक एक बस से यात्रा करने वाले आदमी पर भार बोझा डाल दिया गया। और नया बोझा उनके ऊपर पब्लिक केरियर्स, मोटर टेक्स, स्कूटर, टेम्पोज, थ्री व्हीलर का, डालना चाहते हैं यह बिलकुल अनुचित बोझा है और साइमल्टेनियसली बढ़ाते चले जा रहे हैं इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कर भार न बढ़ाइये। पिछला कर भार ही इतना अधिक है कि उसको कम करने की आवश्यकता है और अधिक भार बढ़ाने की, जिसका इम्पेक्ट इन्डाइरेक्टली पब्लिक पर पड़ता है, आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित बिल के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किये। मैं यह निवेदन करना

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहूँगा कि जो इतना ज्यादा कहा गया है इस बिल का स्कोप उतना नहीं है।

जिन प्रस्तावों के साथ में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं वे प्रस्ताव ट्रान्सपोर्टेशन के बहुत लिमिटेड स्फीयर के लिए हैं जबकि माननीय सदस्यों ने यातायात पोलिसी परमिट लाइसेन्स पोलिसी और यूनियन के द्वारा झगड़े, प्राइवेट और दूसरे लोगों के उन सब चीजों को यहां पर डिस्कस किया।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1951 में यह मूल बिल विधान सभा में पेश किया गया था उसके बाद में टैक्सेशन के लिए पिछली मर्तबा 1966 में सरकार विधान सभा के सामने उपस्थित हुई। 66 के बाद एक भी बार टैक्स बढ़ाया नहीं गया। इसलिये माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रतिवर्ष टैक्स बढ़ा कर इतना हो गया कि नोन-रेम्युनरेटिव हो गया है, यह एक प्रकार का कहना उचित नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने का मकसद मूल रूप में टैक्स शिड्यूल को रिवाइज करना है लेकिन साथ साथ टैक्स की चोरी को भी बचाना है और थोड़ा लिबरेलाइज भी किया गया है। माननीय सदस्यों ने मोनोपोली की बात यहां पर कही। या तो विभाग का कोई भ्रम है अथवा माननीय सदस्यों को कोई भ्रम है। राजस्थान में, मुझसे यह कहा गया है, सिवाय राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन को छोड़ कर लगभग सौ विह्किल्स किसी के पास नहीं हैं और इनडाइरेक्टली राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन को राहत देने के लिए इस सब क्लॉज को इनकार्पोरेट कर दिया गया है किन्तु यदि ऐसा लगता है कि इससे खामख्वाह प्राइवेट लोगों को फायदा होता हो तो मुझे आग्रह नहीं है मैं इसको एप्रोप्रियेट समय पर विड्रो कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1966 और 1972 के बीच में राजस्थान में रोड ट्रान्सपोर्ट इतना बढ़ा है इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस सिद्धान्त का सवाल है परमिट किसे देना चाहिये, प्रायोरिटीज हमारी क्या होती हैं, क्या माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, मेरा उनके बीच कहीं कोई मत-भेद नहीं है। माननीय रामानन्दजी ने मेरे बारे में कहा उसका जवाब मैंने दे दिया है और मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। वे बार बार इसलिए कहते हैं कि जो जवाब मैं दे चुका उन्हें उससे वे बच नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्य सरकार की परमिट देने की एक पोलिसी होनी चाहिये और उस पोलिसी से यह जाहिर होना चाहिये कि राज्य सरकार किन लोगों के हित में काम करना चाहती है किन्तु आज जो मुझे कहना है वह यह है कि मैं उस पोलिसी के रिवीजन के लिये सदन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, वह काफी लम्बा विषय होगा और उसमें मुझे ज्यादा समय भी लगेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने व्हीकल ओनर्स की डिफिकल्टीज के बारे में, रजिस्ट्रेशन एक जगह होता है, पेसेन्जर टैक्स दूसरा वसूल करता है, रोड टैक्स तीसरा वसूल करता है इन डिफीकल्टीज के बारे में बातें कहीं। मैं खुद भी महसूस करता हूं कि हमारे काम की प्रणाली में कुछ परिवर्तन

(श्री हरिदेव जोशी)

करने की आवश्यकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के तरीके पर एक इन्टीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिये, ताकि ओपरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भटकना न पड़े किन्तु इस बिल की मंशा उस चीज के सुधार की नहीं है। आज अभी जो तरीका है वह यह है कि पैसेन्जर टैक्स सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट वसूल करता है इसलिए कि हमने पैराफरनालिया बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमारी मंशा यह थी कि ज्यादा इन्स्पेक्टर्स और पैराफरनालिया बढ़ा कर जो एक्जिस्टिंग स्टाफ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का है वही स्टाफ काम करे। फिर भी हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक नया रूप और नयी शक्ल देना चाहते हैं। मगर इसमें कुछ टाइम लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लगभग ऐसा समझा जाता है कि हजारों विहिकल्स ऐसी हैं जो रजिस्टर तो हुई हैं किन्तु जिनका टैक्स प्राप्त नहीं होता। इसके लिये हमने इसमें प्रावधान किया है उस चीज को कन्ट्रोल करने के लिये। साथ ही यह भी शिकायत ओपरेटर्स को थी कि राज्य सरकार उस आदमी में, जो टैक्स देकर छूट गया है और स्वयम् आकर जमा कराता है और दूसरा उस आदमी में, जिसको राज्य का इन्सपेक्टर आकर पकड़ता है, उसमें भेद नहीं करती है। इसमें उसका प्रावधान किया गया है। टैक्स की चोरी इस तरह से होती थी एक ओनर अपनी व्हीकल को ट्रान्सफर कर देता था और जो खरीदने वाला आदमी होता था वह पुराना टैक्स नहीं देता था और जो पुराना वाला ओनर है वह वह ओनर नहीं रहा इस एम्बीगुएटी में टैक्स प्राप्त नहीं होता था। इस अमेन्डमेन्ट के जरिये इस चीज को दूर करने की कोशिश की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि प्राइवेट केरियर्स पर, व्हीकल्स पर और पब्लिक व्हीकल्स पर भेद नहीं किया गया है। प्राइवेट पर टैक्स नहीं बढाया गया, पब्लिक व्हीकल्स पर ज्यादा बढाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि स्पीडिली इन्क्रीज हुआ है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था अब दोनों को उस समान स्तर पर लाया गया है। लगभग ऐसी स्थिति है। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार नहीं कर रही है, यह उचित नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो इस बिल के स्कोप के बाहर बात कहीं हैं उनका सम्मान करते हुए, उनके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि जैसा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमारे लिये जरूरी है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भार उठाये, निश्चित रूप से कर के कोई प्रोपोजल्स आते हैं तो वजन बढ़ता है, यह भी बढायेगा, मगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो हमारे पास इसके सिवाय और दूसरा कोई चारा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने चलते चलते यह भी कहा कि मेरे भी कई ट्रक्स चलते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता पूर्वक घोषणा करता हूं कि

(श्री हरिदेव जोशी)
मेरे कोई भी ट्रक राजस्थान में या हिन्दुस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं चलते हैं और यदि चलते हैं तो उनको मैं ट्रान्सफर करता हूँ माननीय हांडा के हक में और वह उसको स्वीकार कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चलते थे, अब तो बेच डाले आपने।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत ठीक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेनामी चलते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो बेनामी हैं वह बेनामी की बात करते हैं और जो नामी हैं वह नामी की बात करते हैं। मैं तो अपनी बात करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपनी अपनी जगह दोनों ही नामी हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से बिल को पास करने की प्रार्थना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु अपने प्रस्ताव रखे हैं क्या वे अपने प्रस्तावों को वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री रामानन्द जी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय गफ्फार अली ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय योगेन्द्रनाथ हांडा ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

Page No. 85

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बारे में माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव का प्रस्ताव है। क्या आप उसे वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने संबंधी जो प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

स्वीकृत

प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

स्वीकृत

विधेयक विचारार्थ लिया गया

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार

खण्डशः विचार-विमर्श

खण्ड 2.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री हरिदेव जोशी : इसके ऊपर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 पर है रामानन्द जी अग्रवाल का।

श्री हरिदेव जोशी : आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसके क्लॉज 2 के सब-क्लॉज (3) में "(3) A person who keeps more than 100 motor vehicles for use solely in the course of trade and industry shall be entitled to a deduction of 5% on the aggregate amount of tax to which he is liable.' को मैं विथड्रा करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इसको विथड्रा कर लिया है लेकिन विथड्रा करने से पहले जो उन्होंने पूरी डिबेट का उत्तर दिया था तो यह कहा था कि राजस्थान में रोडवेज कारपोरेशन को कन्सेशन देने का था। मेरा यह अमेन्डमेन्ट भी कान्ट्रो-टलो....

श्री हरिदेव जोशी : अलग अलग कर नहीं सकते। उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जायेगा इसलिए चलेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी सूरत में आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है और इस प्रकार से जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने एग्जामिन करवा लिया है।

Page No. 86

श्री रामानन्द अग्रवाल : लीगेली ऐसा किया जा सकता है......

श्री हरिदेव जोशी : एक प्लायर और दूसरे प्लायर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसको लीगेली एग्जामिन करवा लें।

श्री हरिदेव जोशी : करवा लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लीगल पाइन्ट पर I do not agree with the Hon'ble Minister and I insist on moving this amendment.

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं कि अब चूंकि रह गया तो उसमें एडीशन हो जायेगा कि: For sub-section (3) of the proposed section the following sub-section (3) shall be substituted namely:—

"(3) A public undertaking registered in Rajasthan who plies vehicles for carrying goods or passengers in Rajasthan and outside shall be entitled to a deduction of 25 percent on the aggregate amount of tax to which it is liable."

यह अमेन्डमेन्ट अपने आप में क्लियर है कि राजस्थान में जो स्टेट रोडवेज कारपोरेशन है जो कि स्टेट अण्डरटेकिंग है इसको रोड टैक्स देना पड़ता है। इसको आपने 25 परसेन्ट का कन्सेशन मिले यह इसका मकसद है। मंत्री जी का कहना है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी होने की वजह से अल्ट्रा-वायरस हो जायेगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसा उनका लीगल इन्टरप्रिटेशन है, मैं उसको दुरुस्त नहीं मानता और इसके ऊपर वह गम्भीरता से फिर विचार करें। मैंने भी इसके ऊपर विचार किया है और विधिवेत्ता से भी मैंने बातचीत की है। हम यह मानकर चलें कि इस प्रकार से कि डिस्क्रिमिनेशन है उस डेफीनेशन में आ जायेगा तो हमें कानूनी रूप देने में बड़ी दिक्कत आ जायेगी। इस तरह से जहां जहां इकोनोमिक बेसिस के ऊपर पब्लिक सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर के अन्दर जगह जगह डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य यह है कि पब्लिक सेक्टर आगे बढ़े, उसको प्रिवेलेज्ड पोजीशन में रखा जाये और वह डिस्क्रिमिनेटिंग हाइट बने इकानामी में। इसलिये उनको सहूलियतें, प्रियोरिटीज और परमिट देने में भी मोनोपोलीज वगैरह सब हमको उनको देनी पड़ेगी इसलिए हायर सेक्शन और लोअर सेक्शन, जो कि इकानामिकली स्ट्रांग है और वीक है—इसके अन्दर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जरूरत पड़े तो हमें संविधान के अन्दर भी तबदीली करनी चाहिये तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान संविधान के तहत भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और यह कानून के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मन्त्री जी इस रूप में आश्वासन दें कि दुबारा इसको एग्जामिन करवायेंगे और

Page No. 87

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मगर यह लीगली दुरुस्त मिला तो इसकी मन्जूर कर लेंगे और अगर ऐसी भी सम्भ हो तो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को लिखें कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाये। क्योंकि हर कानून में इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन्स करने पड़ेंगे वरना आपकी सोशियेलिस्ट एप्रोच पूरी नहीं होगी।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं इसको रखने का मकसद यही था, जैसी कि मुझे इतिला दी गयी है, डिपार्टमेन्ट के द्वारा कि 100 व्हीकल्स रोडवेज कारपोरेशन के सिवाय किसी के पास भी नहीं है। इसलिए इसको रखा गया था कि कारपोरेशन को राहत दी जा सके। उसको ध्यान में रख कर किया था। मैने इसे जान लिया है। अगर किसी स्टेज पर आवश्यकता हुई कि हम इसे वापिस लेसके। तो मैं वापिस लूंगा मगर आज मैं माननीय सदस्य के संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप (श्री रामानन्द अग्रवाल) अपने संशोधन को वापिस लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर जो संशोधन माननीय रामानन्द जी अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We claim division.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन गिर गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, I claim division.

(विराम)

माननीय मन्त्री जी ने विथड्रा करने के लिए कह दिया है सब क्लाज (3) और प्रिन्सिपली इससे हमारा परपज भी सर्व हो जाता है, इसलिए We do not claim division.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 से 13 तक कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है इसलिए इसको पास कर लिया जाय।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 13 तक स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 13 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 14 श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज-14 में मैं यह अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं: In part II of the

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

proposed new schedule-in part (i) for sub-part (a) the following sub-part (a) be substituted, namely:—

"(a) (i) Motor tricycles, motor rickshaws, motor cabs and tempos:— Rs. 30 per seat per annum or Rs. 7.50 per seat per quarterly.

(ii) Motor Cars: Rs. 50 per seat per annum or Rs. 12.50 per seat per quarterly.

(iii) Motor Jeeps, Station wagons: Rs. 40 per seat per annum or Rs. 10 per seat per quarterly.

यह जो दूसरा हिस्सा पार्ट 'बी' का है, मैं समझता हूं कि इसमें लेंग्वेज की गल्ती है। माननीय मन्त्री जी इसको देख लें। मेरे ख्याल से आउट साईड हो, इन को बजाय........

श्री हरिदेव जोशी : कौन सी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन पार्ट बी........

श्री हरिदेव जोशी . कौन सा कह रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे अमेन्डमेन्ट पूरी छपे नहीं है। पार्ट 2 में कौन सा करना था, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : "In part II, for the word 'in' substitute the word 'outside' ". This is part B of your amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस संशोधन को मूव करने का मकसद यह है कि जो ट्रायसिकल्स, मोटर-रिक्साज, मोटर केब्स और टेम्पोज हैं इनका टेक्स तो जो शिड्यूल में प्रपोज किया गया है उसको मैने घटाया है और जो मोटर कार्स और जीप्स हैं उनका जो टेक्स प्रपोज्ड था उसको मैंने बढाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप देखेंगे कि, मैं समझता हूं कि इससे सरकार की आमदनी में घटोतरी नहीं होगी और जो यह आम जनता के लिए काम आने वाली व्हिकल्स हैं उसमें रोड टेक्स कम होकर आम लोगों को राहत मिल सके और मोटर कार्स और जीप्स हैं, और जो अच्छे आमद वाले लोगों के पास होती हैं, उन पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो उतनी मात्रा में जो टैक्स कम होगा उतनी ही तादाद में टैक्स बढ़ जाने से आपके टैक्स में कमी नहीं होगी। इससे छोटे आदमियों को राहत मिल जाएगी और बड़े आदमियों पर ज्यादा बोझा पड़ जाएगा। आप देखिए कि 1970 में प्राईवेट कारें और जीपें 23155 थी, आज के एक्चुअल आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, कुछ न कुछ

Page No. 89

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़े ही होंगे, घटे नहीं होंगे। और यह मोटर साईकिल वगैरा, इनकी तादाद भी 23025 थी। वह 23155 और 23025 है और इस प्रकार 130 के करीब मोटर कारें और जीप्स इन ट्राईसिकल्स और मोटोरिक्साज वगैरा से ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से इनकी तादाद करीब 12 बाराबर की तादाद आप समझिये। मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने जनरली बोलते समय कहा था कि मोटर कार्स और जीप्स में आप थोड़ा डिफरेंस रख लीजिए लेकिन मोटर कार्स और जीप्स का जो शिड्यूल आपने पेश किया है उसके अन्दर आप बढ़ोतरी कर दीजिए, और जो ट्राईसिकल्स, स्कूटर्स और रिक्शाज हैं उन पर कम कर दीजिए। आपके जो प्रपोजल्स हैं उसके अन्दर......

श्री हरिदेव जोशी : हमने सीट की बेसिस पर किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें यह मोटर कार्स पार्ट वन में आती हैं। व्हिकल्स के अन्दर दोनों तरह की व्हिकल्स यानी जो प्राईवेट व्हिकल्स हैं वे पार्ट वन में आती हैं। तो इसमें आप यह देखिएगा कि इसमें जो मोटर कार्स की जो रेट आपने रखी है वह 40 रु. पर सीट एन्युअली है। यह 3-ए में आएगा मोटर व्हिकल में "Motor vehicles excepting those shown in items I and II above constructed and used solely for the conveyance of persons and light personal luggage will be charged according to the total number of seats authorised including that of the Driver."

यह मेरा खयाल है कि पार्ट वन, 3-ए में प्राईवेट मोटर्स और जीप्स कवर होती हैं जिसके हिसाब से 40 रु. पर सीट एन्यूअली आपने प्रपोज किया है ...... "Motor vehicles excepting those shown in items I and II above......

श्री हरिदेव जोशी : फिफ्टी इंचेज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फोर्टी है। पार्ट-वन, 3-ए आफ दी मोटर व्हिकल एक्ट

III(a) Motor vehicles excepting those shown in items I and II above constructed and used solely for the conveyance of persons and light personal luggage will be charged according to the total number of seats authorised including that of the driver."

यह कवर करेगा मोटर कार्स को और जीप्स को। इस पर आपने रखा है 40 रु. पर सीट एन्युअली और क्वार्टर्ली 11 रु. पर सीट। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि मोटर कार्स पर 50 रुपया पर सीट पर एनम और 12.50 रुपया पर क्वार्टर्ली। यह दस रुपया पर सीट बढ़ाने का मैंने प्रस्ताव किया है। दूसरी इसी तरह से मोटर जीप्स में 40 रु. ही रखा है। जो 40 रु. आपका है चूंकि अलग अलग आपने डिफ.......

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं किया है इसलिए अलग अलग किया है।

अब जो मोटर ट्राईसिकल्स हैं, मोटर रिक्साज, मोटर केब्स और टेम्पोज हैं वे इसमें कवर होती हैं "Motor vehicles plying for hire or reward for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—

(a) Motor vehicles with a seating capacity not exceeding six including driver."

तो इसके अन्दर जो टैक्सीज हैं वे भी आ जायेंगी और जो कारें टैक्सी के रूप में चलती हैं वह भी आ जायेंगी। इसके अन्दर जो टैम्पोज हैं वह भी आ जायेंगे। टैम्पोज में छः से ज्यादा सीट होती हैं वह पार्ट बी में आयेंगी लेकिन यह आॅटो रिक्सा आ जाएगा। इसके ऊपर आपने प्रपोज किया है 50 रु. पर सीट और टैम्पो पर हो जाएगा 60 रु.। मैंने इन दोनों को घटा कर 30 रु. करने का प्रपोजल रखा है। इनका कम होना चाहिए। उधर मैंने कार्स और जीप्स का बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। जो संख्या आपके पास है उस संख्या को देख लीजिए और उसके मुताबिक यह मेरा निवेदन है कि आपके अपने दृष्टिकोण के अनुसार, गरीबी हटाओ के नारे के अनुसार, गरीबी और अमीरी के फर्क को दूर करने के प्रिंसिपल को लागू करने की दृष्टि से यह टेम्पोज पर जो एक्जीस्टिंग टैक्स है उसको कम करने के लिए प्रस्ताव किया है। जो इससे घाटा होगा और जितना आप अपना टार्जेट पूरा करना चाहते हैं इसको आप कार्स और जीप्स पर डाल दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उन पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि तादाद दोनों की बराबर है। इस तरह से आपके टैक्स रेवेन्यू में कमी नहीं होगी और यह परपज भी पूरा हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण से मैं यह अमेंडमेंट मूव कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के तर्क को ध्यान से सुना। एक कमेटी राज्य सरकार ने कायम की थी इन इनोमोलिज को दूर करने के बारे में। उसने एक प्रकार से यह देखा कि सभी स्टेट्स के अन्दर इतनी टाइप ऑफ व्हिक्लस को अलग अलग केटेगेराइज नहीं किया गया है। कोशिश यह की गई है कि कम से कम केटेगरी रखी जाये और उन पर टैक्स लगाया जाये। दो सीटस से अधिक मिलकर जो सीट्स होती हैं वे कार की केपेसीटी करती है। इस हिसाब से सोचने की कोशिस की है और उसी प्रकार टैक्स रखने की कोशिश की है। इसलिये अलग अलग टाइप की व्हिक्लस को रखने में दिक्कत है। इसलिये मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर देने के बाद अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 14 में माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं, उनको स्वीकार

(श्री उपाध्यक्ष)

किया जाये। जो पक्ष में हों वे हां कहें और जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 14 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 नाम इत्यादि स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, नाम इत्यादि स्वीकार किया गया।

मन्त्री महोदय!

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सुबह राजस्व मन्त्री ने टिनेन्सी बिल प्रस्तावित किया था........

श्री हरिदेव जोशी : ग्राज की कार्यवाही हो जाये उसके पहले नहीं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय का प्रश्न है। इसमें ग्रमेण्डमेन्ट देने का जो नियम है, वह ग्राज सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक का है जबकि यहां पर बिल इन्ट्रोड्यूज किया गया है 12 बजे. मेरा निवेदन है कि इस पर पूरा डिसकसन हो, ग्रोर इस पर ग्रमेण्डमेन्ट देने के लिये समय बढ़ा दिया जाये तो ठीक रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस पर ग्रापत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राज पांच बजे तक ग्रापके ग्रमेण्डमेन्ट लेने की ग्रनुमति देता हूं। वित्त मन्त्री महोदय।

राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बिक्री कर सम्बन्धी विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैंने यह निवेदन किया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि वित्त मन्त्री जी ने सदन की भावनाग्रों का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से कर प्रस्ताव रखे थे, उनमें ग्रब नये कर प्रस्ताव रखे हैं ग्रौर जो छूट दी है, उसका मैं स्वागत करता हूं ग्रौर उनको बधाई देता हूं। सदन के सदस्यों, विशेषकर जिन महिला सदस्यों की नाराजगी के बारे में उन्होंने ग्रपने बजट भाषण में कहा था ग्रौर ग्रब की बार महिला सदस्यों की नाराजगी को दूर कर के....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दुकान की बात कह रहे हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : विधान सभा में बैठा हुआ हूँ और विधान की बात कर रहा हूँ।......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : महिलाओं की आड़ लेकर क्यों कह रहे हैं ?.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वित्त मन्त्री जी ने यह काम अच्छा किया है और उसके लिये मैं उनको मुबारिकवाद देता हूँ।

इसके अलावा एक चेक पोस्ट की दिक्कत और है। मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में संशोधन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, उसको ध्यान में रख कर वित्त मन्त्री महोदय को पेश करना चाहिये। यहां इसके बारे में, इसको ठीक करने की जो चेष्टा की है उसके सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि चेक पोस्ट के ऊपर आज जो कठिनाई है, जिस कठिनाई के बारे में पिछली बार विधान सभा के अन्दर भी गम्भीर चर्चा हुई थी, उसके बारे में अब भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर आपने एस. टी. ओ. को पावर्स दिये हैं, इन डाक्यूमेन्टस को देख कर उनको सीज करने को और एक हजार की पेनल्टी करने के बारे में भी कहा गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री जी आप इससे जो प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण है जो एस. टी. ओ. अधिकारी हैं, वे सब भ्रष्ट हैं यह तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वित्त मन्त्री जी प्रश्नोत्तर काल के अन्दर आज नाराज हो गये, और फिर कहीं नाराज न हो जायें, उन्हें इस बात के ऊपर नाराजगी महसूस होती है, परन्तु स्वयं हमारे मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है कि यह इन्सपेक्टर का राज ठीक नहीं है और अधिकांश लोग इसके अन्दर भ्रष्ट हैं और इस प्रकार का आचरण करते हैं कि राज्य को जो आय प्राप्त होनी चाहिये थी, वह आय प्राप्त नहीं होती है, राज्य कोष का कुछ पैसा उनकी जेब में चला जाता है और कुछ कर चोरों के पास रह जाता है। इस लिये चेक पोस्ट के ऊपर जो प्रावधान किया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, उसको मैं यहां पर निवेदन कर रहा हूँ; यह डिसीजन हुआ है The Check-post Officer, Coimbatore and others Vs. K. P. Abdulla & Bros. Ltd.

इसमें उन्होंने कहा है...."But in our judgment, the power to confiscate goods carried in a vehicle cannot be said to be fairly and reasonably comprehended in the power to legislate in respect of taxes on sale or purchase of goods." इसके आगे कहते हैं और जिसके बारे में मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ......

"A provision was enacted on the asumption that goods carried in a vehicle from one State to another must be assumed to be transported after sale within the State is unwarranted. In any event, power conferred by sub-section (3) to seize and confiscate and to levy penalty in respect of goods which are

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

carried in a vehicle whether the goods are sold or not is not incidental or ancilliary to the power to levy sales tax."

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी सीज करने की बात कहते हैं, उनको इसके सम्बन्ध में दुबारा देख लेना चाहिये कि कानून में कोई लेकूना नहीं रह जावे। आज विधान सभा के बारे में चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि जल्द बाजी में कानून बना देने से उसमें लेकूना रह जाता है और इससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको दुबारा देख लेना चाहिये कि सुप्रिम कोर्ट की जो जजमेन्ट है, उसको हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी कृपा कर देख लें, उस पर सोच विचार कर लें और इसमें कोई जल्दबाजी न हो। जिस काम को हम करना चाहते हैं, कहीं उस पर सुप्रिम कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे फिर न आ जाये और इस तरह हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा न हो।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक मथाई कमीशन बना था और उसने एक रिपोर्ट दी थी कि इन चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया जाये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आक्ट्राय है उससे नगरपालिकाओं को आय होती है परन्तु जैसे मनोरंजन कर के बारे में आपने सन् 54 में यह तय कर दिया कि इसका इतना इतना नगरपालिकाओं को देंगे, आज तक वही चला आ रहा है। आज 72 शुरू हो गया है और इस प्रकार नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति शोचनीय होती जा रही है। उनको टैक्स का जो 54 में फिक्स कर दिया वही पैसा आप दे रहे हैं। इसलिए मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन जो मथाई कमीशन ने कहा है कि चेक पोस्ट्स हटा दिये जाने चाहिए, यह जगह जगह भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। जगह जगह ट्रान्सपोर्ट के चैकिंग की बात होती है तो वह नहीं होती है। और अभी अभी मैं आपको निवेदन करूंगा कि भारतीय संसद के अन्दर भी इस बात के लिए जो हमारे मन्त्री हैं, उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि मैं राजस्थान सरकार को लिख रहा हूं कि चेक पोस्ट्स को तुरन्त समाप्त करें। और माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चेक पोस्ट्स के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इनसे टैक्स चोर नाजायज लाभ उठाते हैं। ए.सी.जी. को एक हजार रुपये का जुर्माना उसको छुड़वाने का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। न तो एक हजार रुपया जुर्माना देंगे और न चैकिंग होगा, लेकिन उनकी जेब के अन्दर पैसा जरूर चला जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चेक पोस्ट्स पर होने वाले खर्च को हटायें जिसके बारे में सारी स्टेटों के अन्दर शिकायतें हैं। पहले के वित्त मन्त्री घोषणा कर चुके हैं कि आक्ट्राय के चेक पोस्ट्स हटाये जायेंगे, और म्युनिसिपलिटीज को कुछ सेल्स टैक्स पर सरचार्ज करके कुछ पैसा दिये जाने की व्यवस्था करने की बात थी। तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जगह जगह यह जो भ्रष्टाचार के केन्द्र बने रखे हैं उनको मिटायें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो ए.सी.जी. को 400 रु.

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की तनख्वाह उसके अन्दर देते हैं और उसके नीचे के स्टाफ को किसी को 200 और किसी को 150 रुपया देते हैं, लेकिन जिस ढंग से वे रहते हैं, जिस ऐशो-इशरत से वे रहते हैं वह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि वहां पर क्या होता है। आप कहें कि प्रमाण चाहिए तो कुछ चीजों के बारे में जो कुछ वे करते हैं उसको सामने लाने के लिए या जो कुछ होता है उसके बारे में प्रमाण देने के लिए आगे आने को तैयार होते नहीं हैं, और आज जो वातावरण चल रहा है उसका यही कारण है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि चेक पोस्ट के बारे में सुप्रिम कोर्ट के जजमेन्ट को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय करें। इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करेंगे तो जो दिक्कत दुबारा आने वाली है वह नहीं आयेगी। जब प्रश्न यहां पर आते हैं तो कह दिया जाता है कि हाई कोर्ट ने रोक दिया, हाई कोर्ट ने 25 लाख की वसूली को स्थगित कर दिया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों को सोच समझ कर इस प्रकार से इसको पेश करें कि जिससे बाद के अन्दर यह कठिनाई हमारे सामने नहीं आये। साधारण आदमी तो कोर्ट में पहुंच नहीं सकता और बड़े लोग हैं और पैसे वाले लोग जिनका बड़े लोगों पर असर होता है क्योंकि उनके पास बहुत साधन हैं। जिनके पास बहुत सुविधाएं हैं उनके पास, वे अगर किसी एडवोकेट की राय आपके यहां कोर्ट] कर दें तो उसको आप अधिकृत राय मान लेते हैं। उसके बारे में आगे नहीं जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी तरफ से इसको देखकर सोच समझकर इसके बारे में कदम उठायें।

माननीय वित्त मंत्रीजी, जब टैक्सों के बारे में बात चल रही थी तब करों के सरलीकरण के संबंध में बात आई थी तो मैंने कहा था कि आपने रामसिंहजी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है यानी वन मैन कमेटी जहां तक मेरी जानकारी है वह गलत नहीं है, बनाई है। वह कमेटी सरलीकरण के बारे में काम करेगी। मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करता हूं इस बात के बारे में कि जिन भूतपूर्व अधिकारी का जो कि रिटायर हो चुके हैं नाम यहां पर लिया गया है उनकी योग्यता और उनकी ईमानदारी में किसी को संदेह नहीं है। वित्त मंत्री जी ने बड़ी तारीफ की थी उनकी। मैं उनको व्यक्तिशः जानता हूं और भी तारीफ करता हूं, लेकिन सरकार आज अधिकारियों की आंखों से देखना बन्द करें, क्योंकि उससे जो असर वाले आदमी हैं वे फायदा उठाते हैं जैसा कि मैंने ब्रान्च ऑफिसेज के बारे में कहा था कि जितनी टैक्स की कानूनी रूप से चोरियां होती हैं जिसके अन्दर कोई रुकावट नहीं है वह सारा काम ब्रान्च ऑफिस को ट्रान्सफर कर देने से होती है। इससे जो टैक्स राजस्थान को मिलना चाहिए वह राजस्थान को नहीं मिलकर बम्बई चला गया, वह टैक्स कलकत्ता चला गया, वह टैक्स दिल्ली ऑफिस को मिल गया और राजस्थान उससे वंचित रह गया। आज भी टैक्स के संबंध में जैसी भी कमेटी नियुक्त करें उसके संबंध में इस प्रकार की जानकारी करके, इस प्रकार के लोगों का उसमें समावेश करके, उसमें करेंगे जिससे आज आदमी को न कोई

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तकलीफ हो और सारी समस्या भी हल हो जाय।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसा कि अभी चैक पोस्ट के बारे में कहा गया कि लाखों रुपयों की आज टैक्स की चोरी हो गई और वह चोरी पकड़ी गई लेकिन केस चला और लाखों रुपये केस पर राज्य सरकार का खर्चा हो गया। यह उन्हीं रामसिंहजी के जमाने की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और नतीजा निकला सिफर, कुछ नहीं निकला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी चीजों को देख लें। मैं खुद मानकर चलता हूं कि वे बड़े योग्य आदमी हैं, लेकिन आज हम जिस ढंग के अन्दर हैं उसमें किस तरह से जनतान्त्रिक वातावरण के अन्दर हम बिक्री कर से और अधिक राशि प्राप्त करके हम इस प्रकार साधन इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे राजस्थान की समस्याओं का समाधान कर सकें, तो उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब तबके के लोगों को बैठा कर बात करें। जिस प्रकार होशियारी से वित्त मंत्रीजी आपने वर्तमान प्राब्लम को साल्व किया है, इन्सपेक्टर राज्य को खत्म किया है और इस प्रकार का वातावरण पैदा किया कि जिससे बिक्रीकर के द्वारा आय अधिक हो, और बीच की जो स्टेजेज थीं अधिकांश रूप में वे समाप्त हुईं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आप एक सरलीकरण समिति बनाना चाहते हैं तो स्वयं आप वित्त मंत्रीजी सरलीकरण समिति के अध्यक्ष रहें या और किसी को रखें, लेकिन इस नाते मैं यह निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति की समिति के बजाय आप उन लोगों को भी जिन लोगों का इस बात से सीधा ताल्लुक रहता है इस कमेटी में लें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप आज एक लक्ष्य तय कर लें कि 40 करोड़ का लक्ष्य लेकर चलते हैं इस बिक्री कर का तो आज जो लोगों की स्थिति है उसको बदल सकते हैं। आज जो स्थिति है उसमें यह है कि लोग एक रुपये के बजाय सवा रुपया देना पसन्द करेंगे लेकिन परची नहीं कटवाना चाहते हैं। लोग देते हैं और कहते हैं कि रुपये के बजाय सवा रुपया ले लो लेकिन वे परची नहीं चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ब्रान्च ऑफिस वाली बात थी तो वह एक कानूनी चोरी है और ईमानदारी की चोरी है। उसको कहीं पकड़ नहीं सकते। इतना जरूर है कि जिस समय यह बात आई थी उस समय भी सदन में चर्चा की थी फिर आज भी निवेदन करता हूं कि यह जो कहते हैं कि बाहर जाकर माल बिकता है—कोई कन्ज्यूम होने की बात हो, फैक्ट्री हो उसमें काम आये तो बात दूसरी है, फैक्ट्री में काम आवे नहीं और बाहर जाकर बिकता है और ब्रान्च ऑफिस को ट्रान्सफर करके बिकता है तो उसका टैक्स राजस्थान को मिलना चाहिए।

बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनती हैं तो उनको बिक्री कर में रियायत देते हैं, उनको मशीनरी वगैरह लाने में बिक्री कर माफ करते हैं, और सारी सुविधाएं हमने दी हैं, लेकिन वे न तो राजस्थान के आदमी को रोजगार देते हैं और न बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों के हैड ऑफिस राजस्थान में हैं। इनकम जो यहां से होती है उसका वे फायदा उठाते हैं। आज जब राजस्थान बहुत बुरी स्थिति के अन्दर, आर्थिक स्थिति

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के अन्दर फंसा हुआ है तो वित्त मंत्रीजी को इस आर्थिक स्थिति के अन्दर अपने सारे काम-काज निवटाने के अन्दर और आज हम सब लोग जो जगह जगह वायदा करके आये हैं, और लोगों को कहकर आये हैं कि विकास का काम करवायेंगे तो सबके मुंह पर ताला लगवाने का बड़ा कड़ा काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्री कर के बारे में अगर ठीक ढंग से सब लोग बैठकर बात करें तो निश्चित रूप से (समय समाप्ति सूचक घंटी) 10 करोड़ की आमदनी प्राप्त हो सकती है। उसमें विशेष दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। कानून कायदों को सरल करना पड़ेगा।

मैं चैक पोस्टों के बारे में कह चुका हूं कि वहां पर बोर्डर पर रोकने की जरूरत क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की जिस गाड़ी के अन्दर वह सामान आता है उसके लिए आप एक फार्म प्रेस्काइब कर दें और उसकी पाबन्द कर दें कि जो सामान आता है, जिस परपज से आता है, और जिस आदमी के नाम आता है वह आपके डिपार्टमेंट को पूरी उसके बारे में सूचना दें, ताकि उस सूचना से आपको जानकारी आयेगी कि कितना माल आया है। आप सेल्स टैक्स लेते हैं वह बिक्री पर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को इसलिए माना है और उसने रीजन्स दिये हैं, तीन पेज का जजमेंट है। उसको पूरा सुनाकर सारे सदन का समय नहीं लूंगा क्योंकि घंटी बज चुकी है। वह आपके पास होना ही चाहिए यह मैं मानकर चलता हूं कि आप इस मामले में जागरूक हैं। मैंने आपकी तारीफ भी की है कि आप सारी व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे जागरूक योग्य और समझदार वित्त मंत्री जो हैं उनसे हम यह उम्मीद करते हैं कि आप जो राजस्थान के अन्दर कानूनी रूप से चोरियां होने की बात है, इन चोरियों को रुकवाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे ताकि इससे राजस्थान की आर्थिक हालत सुधरे और जो बिक्री कर को कामधेनु कहा है तो वह असल में कामधेनु का रूप ले। आपने स्वयं ने इस बात को माना था कि कुछ भ्रष्टाचार है। आप कितना ही प्रेशर लगा दें, किसी भी ढंग से लगा दें टैक्स कलेक्ट करने की मशीनरी अगर गलत है तो निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे संबंधित लोगों की बातें विस्तारपूर्ण ढंग से सुनकर. सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कुछ करों में राहत दें। हलवाइयों के सम्बन्ध में कुछ दिक्कतें हैं और मैंने स्वयं ने आपसे चर्चा की थी तो आपने स्वयं फर्माया था कि उन दिक्कतों को दूर करने की सोच रहे हैं कुछ एमेंडमेंट वगैरह लाकर। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस सारे संदर्भ में जो दो तीन मुख्य निवेदन मैंने किए हैं, एक तो चैकपोस्ट के सम्बन्ध में, एक सरलीकरण समिति के सम्बन्ध में और ब्रान्च आफिस के सम्बन्ध में आप दुबारा विचार करें। मैं नहीं कहता कि (समय समाप्ति सूचक घंटी) अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन यह मानकर चलता हूं कि अधिकांश इस बात में मुब्तला

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हैं और इस बात में मशकूल है कि किसी तरह से ऐशो-आराम करें, और वह एशो-आराम 400) रु. की तनख्वाह में नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चैक-पोस्ट की बात को खत्म करने की योजना बनायें और इसको खत्म करें ताकि अनावश्यक रूप से हर आदमी के अन्दर जो असन्तोष है इस बारे में वह दूर हो। यह केन्द्र भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं वह सारे केन्द्र हटायें। दूसरी बात, मैंने आप से जो निवेदन की है, टैक्स के सरलीकरण के सम्बन्ध में। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से उसका लेने का तरीका चल रहा है, उसके प्रति लोगों को नाराजगी है। आप डाइरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे सम्बन्धित है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी राजस्थान के विकास में दिलचस्पी नहीं हो। राजस्थान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यही निवेदन है कि इसको दुबारा देख लें। कहीं हाईकोर्ट का दुबारा स्टे नहीं लग जाये। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो जाये। यही मैं निवेदन करूंगा कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मुझे 3 विषयों पर निवेदन करना है। पहिला यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सोना चांदी पर कर बढ़ाया है। मैं उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। पहले मैं चांदी के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो विचारार्थ है, उसमें सोना चांदी का सम्बन्ध नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टैक्स के बारे में है

श्री चन्दनमल बैद : इसमें कैमिकल फर्टीलाइजर जरूर कवर होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने सेल्स टैक्स बढ़ाया है। सोना चांदी पर बढ़ाया है। हलवाइयों पर बढ़ाया है। आपने मनोरंजन कर को बढ़ाया है। सन् 1954 में चांदी के भाव बहुत कम थे। बिक्री कर डेढ़ प्रतिशत था। एक किलो चांदी पर 70 नये पैसे देना पड़ता था।

श्री चन्दनमल बैद : चांदी के जेवर और आर्टिकल्स पर बढ़ाया नहीं है। बढ़ाया गया था वह वापिस ले लिया गया है। इसके बावजूद माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने कहा था कि यह बिल पास हो जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : हलवाइयों के बारे में नहीं कहा था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने सोने के बारे में कहा था।

श्री चन्दनमल बैद : सोने के बारे में कहा था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 54 में 1.2% बिक्रीकर था। 100 ग्राम की 80 रुपये कीमत थी। उस समय 40 पैसा बिक्रीकर था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 100 ग्राम नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 100 ग्राम सोने पर 12 रुपये 30 पैसा बिक्री कर देना पड़ता है। अब आपसे निवेदन है···

श्री श्रीराम गोटेवाला : भार्गव साहब, संशोधन कर लें। 100 ग्राम नहीं, 12 ग्राम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको यह नहीं कहा है। एक व्यक्ति सोने के आभूषणों के लिए सोना लेकर गढ़ने वाले के पास तो जो दूकानदार से आय होती थी वह होने वाली नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जो व्यापारी सैल्स टैक्स कमाकर देता था, उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। फिर मेरा निवेदन यह है कि वह ग्राहक जो सोना गढ़ने वाले व्यक्ति पर निर्भर रहता था। दूकानदार पर निर्भर रहता था। आज आपने बिक्रीकर बढ़ा दिया है। दूकानदार जो प्रतिदिन काम देता था, तो सोना गढ़ने वाला व्यक्ति है, वह बेरोजगार हो जाएगा। तो राजस्थान में बेरोजगारी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। फिर दूसरे स्थानों का विवरण लें तो दिल्ली में सोना 1.2, हरियाना में 1.2, चण्डीगढ़ 1.2, गुजरात 1.4, इस प्रकार से अन्य प्रान्तों में जो बिक्री कर है, वह कम है। राजस्थान में बिक्री कर ज्यादा है। राजस्थान में ज्यादा होने के कारण सोने के आभूषण बेचनेवाले जो लोग हैं, उनकी दूकानदारी चौपट होगी। तो आपकी जो आय है, वह घटेगी। लोग बेरोजगार हैं। सोने के जेवर गढ़ने वाले भी बेरोजगार हैं। जो टैक्सेज आपने बढ़ाये हैं, वह वापिस लेने चाहिए।

अब आते हैं हलवाइयों के बारे में। आज हालात यह है कि जोड़े तो टैक्स, खर्चो तो टैक्स, आज ऐसी कौनसी चीज रह गई है, जिस पर टैक्स नहीं है। पं. जवाहरलाल नेहरू के मन्त्रिमण्डल में एक मन्त्री थे, करमरकर। यानी मरकर भी कर दें। और कोई टैक्स बाकी नहीं रहा है। अब तो यही बाकी रह गया है कि जयपुर के रामनिवास बाग में दो घण्टे बैठोगे तो हो सकता है कि राजस्थान सरकार ऐसा बिल ले आये कि आप शुद्ध हवा क्यों खाते हैं। यह भी कर ले सकते हैं। जो हलवाई 200 रु. कमाता है, या उसके पास एक दिन में 10 रु. या 15 रु. शुद्ध लाभ भी होगया। शुद्ध लाभ हो जायगा कब जब इतना ही रखेंगे। आपने सारा का सारा पैसा सेल्स टैक्स के रूप में ले लिया तो आखिरकार होगा क्या? इसमें दूसरी बात और है इस बिक्री कर में कि बिक्री कर वसूल करने वाले अधिकारी हैं वह मूल्यांकन ज्यादा करेंगे। आखिर एक गरीब हलवाई बैठा है, जो नमकीन बेचता है, जो हलवाईगिरी का सामान बनाता है, वह आपकी पद्धति के आधार पर आपके इन्सपेक्टर का शिकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होगा, सारा सेल्स टैक्स नहीं चुकाने के नाते उसे भयंकर पैनल्टी देनी पड़ेगी, उसका शिकार होगा। 1969 में सरकार ने पहली बार मिठाई पर, नमकीन पर कर लगाया था। लेकिन उस वक्त जो मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक इसे कर को माफ कर दिया था। उसी प्रकार 1970 में ढाबे जो हैं उन पर रोटी के ऊपर टैक्स लगाया गया था, कौन व्यक्ति कितनी रोटी खाता है, उसका नाम बिल पर लिखा जाय, जब बिल दिया जाय तो कहा जाय, इतनी रोटी खा गये हैं मोहनलालजी साहब, आप यहां पर इतना टैक्स देते जाइये। तो जो विशुद्ध ढाबे चलते हैं उनके ऊपर रोटी के ऊपर टैक्स लगा दिया जाय, वह भी बाद में माफ कर दिया। अब आपने घोषणा कर दी, तीस हजार की जगह पचास हजार के टर्न ओवर पर टैक्स लगाने की बात कर दी। आज जो गरीब रेस्ट्रां चलाने वाला व्यक्ति है, वह दिन में पचास-सौ रुपये की बिक्री कर लेता है, वह केश मीमो नहीं रख सकता है, और उसको केश मीमो नहीं रखने के कारण से अपने पास से बिक्री कर देना पड़ता है। मेरा निवेदन है यह पचास हजार तक टर्न ओवर नहीं हो, यह जो टर्न ओवर बढ़ाने का सवाल है, तो इसको बढ़ा कर एक लाख रुपये का टर्न ओवर प्रति वर्ष आपको कर देना चाहिये। तो मेरा आपसे अन्तिम निवेदन है कि जो हलवाई हैं इनको आप टैक्स से मुक्त करें, जो नमकीन है, उसको आप टैक्स से मुक्त करें और एक लाख रुपये के टर्न ओवर पर टैक्स लगाने की आप घोषणा करें।

मनोरंजन कर के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको जयपुर शहर का ही उदाहरण देना चाहूंगा, 1952 में आपने एक बार घोषणा कर दी, इस सम्बन्ध में जयपुर नगर परिषद् का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आपने तीन लाख रुपया आंक दिया कि तीन लाख रुपये प्रति वर्ष जयपुर नगर परिषद् को मिलेंगे। इस तीन लाख रुपये में से डेढ़ लाख रुपये आप पानी के बिल के काटते आये हैं, जो डेढ़ लाख रुपया बाकी बचता है वह आप जयपुर नगर परिषद् को मनोरंजन कर के हिस्से के रूप में देते रहे हैं। 1953 तक जयपुर शहर के अन्दर तीन सिनेमा थे, उसके आधार पर आपने यह रकम आंकी थी। 1955 के अन्दर एक अन्य आदेश निकाला, जिसके अनुसार जो और साधन थे मनोरंजन के सिनेमा के अलावा, कुश्ती, दंगल, टूर्नामेंट, जैमिनी, सरकस आदि इन सबसे जो नगर परिषद को आय होती थी, 1955 में राज्य सरकार ने वह आय ले ली। आपने 1953 के अन्दर तीन सिनेमा के आधार पर तीन लाख रुपये प्रति वर्ष आंका था, लेकिन 1955 के अन्दर नगर परिषद् की आय के जो अन्य मनोरंजन के साधन थे, जो मैंने गिनाये, जिनसे प्रति वर्ष नगर परिषद् को आय होती थी, उस आय को नहीं आया—यह नगर परिषद् के साथ में अन्याय किया गया। मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनी, टूर्नामेंट, दंगल आदि से जो मनोरंजन कर की नगर परिषद् को आय होती थी, उसके आधार पर आंकना चाहिए था और नगर परिषद् को जो मनोरंजन कर के हिस्से के रूप में अनुदान देते

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आये हैं उस पर विचार करना चाहिए था। आज जयपुर शहर में तीन सिनेमा से बढ़कर सात सिनेमा हो गये हैं, 1955 में जो मनोरंजन कर लिया जाता था, वह उस वक्त एक रुपये में से पांच फीसदी लिया जाता था, आज एक रुपये में से 65 पैसे राज्य सरकार, सिनेमा वालों से ले रही है, आज सिनेमा टिकट की रेट बढ़ गई है, सिनेमा देखने वालों की संख्या बढ़ गई है, सिनेमाओं की संख्या बढ़ गई है, कहां पांच पैसे का टैक्स और कहां 65 पैसे का—फिर भी आपने मनोरंजन के साधनों से होने वाली आय के आधार पर आंका नहीं। आप देख लें 33 लाख 64 हजार रुपये की आय जयपुर के सात सिनेमा से हुई है, एक सिनेमा का 2500 रु. का एक शो होता है, हर सिनेमा में तीन शो होते हैं, तो 3 इन्टू 7 यानि 21 से इसको गुणा करदे तो इतनी आय नगर परिषद की राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इस आय को छोड़िये, इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष जयपुर के अन्दर जैमिनी सरकस आया, उससे यदि साढ़े सात सौ रुपये एक शो का मनोरंजन कर के रूप में वसूल करा तो तीन शो से उसको गुणा करें तो 2250 रुपये प्रति दिन जैमिनी सरकस से मनोरंजन कर के नाम पर आपने वसूल किये। इसके बाद आप आज 1972 में कहें कि 1953 में आंकी गई आय के हिसाब से देंगे तो उसके बाद कई सरकारें बदल गई, राज्य बदल गये, दुनियां बदल गई, लोग धरती लोक से चन्द्र लोक पर पहुंच गये, और दूसरे लोक में भी पहुंचना चाहते हैं, मरे हुए लोगों को जीवित करने की बात करने लग गये हैं, 1953 से 1972 आ गया लेकिन जयपुर नगर परिषद और दूसरी नगर परिषद का जो मनोरंजन कर का हिस्सा आता है उसका पुनर्निधारण करने की बात नहीं हो तो यह नगर परिषदों के साथ न्याय नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसका पुनर्निधारण करें। मैं एक और बात निवेदन करूंगा, कि अप्रेल 1971 के अन्दर जितने नगर परिषद के चुने हुए अध्यक्ष थे, उनका सम्मेलन हुआ था, उसमें यह बात कही गई थी कि नगर परिषद को मनोरंजन कर की संपूर्ण आय प्राप्त होनी चाहिए। यह सब लोगों की मांग है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, पहली मांग यह है कि जितनी आपको आय होती है उस सारी आय को नगर परिषद को ट्रान्सफर करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आप खर्च का चार पर्सेन्ट काट लें, वह दो लाख रुपये होता है, तो 33 लाख 64 हजार में से दो लाख काट लें तो 31 लाख 64 हजार की सिनेमा और अन्य मनोरंजन कर से जो आय होती है, जिसमें टूर्नामेंट हैं, गेम्स हैं, सरकस हैं, उसके ढाई हजार रुपये, सवा दो हजार रुपये हर दिन वसूल करते हैं वह नगर परिषद को मिलने चाहिए। इतना पैसा यदि मनोरंजन कर का नगर परिषद को दे दिया गया तो किसी को नगर परिषद पर अहसान करने की जरूरत नहीं है, नगर परिषद जयपुर शहर का विकास अपने आप कर लेगी। आप एक वर्ष की बात करते हैं, एक वर्ष के बजाय एक महीने में सम्पूर्ण चौकड़ियों का विकास, बाजारों का विकास करवा सकता हूं।

Page No. 101

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सड़कों को ठीक करवा सकता हूं। आप योग्य और काबिल वित्त मन्त्री हैं, मुख्य मन्त्री ने जयपुर शहर का नक्शा बदलने की एक वर्ष की घोषणा की है, इस एक वर्ष में से तीन महीने तो हो गये हैं; इन तीन महीनों में एक मीटिंग केवल सैक्रेटेरियट में हुई है, उसमें भी यह निर्णय लिया गया कि दो सौ वल्व फ्यूज हो गये हैं उनको बदला जाय। उसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वह वल्व भी फ्यूज हो गये। इतना पैसा आप नगर परिषद् को दे दें तो मैं जयपुर का विकास एक महीने में कर दूंगा, एक वर्ष की बात तो दूर रही। इसके अलावा मनोरंजन कर के रूप में, जो भी पैसा प्राप्त होना चाहिये, उसमें भयंकर लीकेज हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप केन्द्र पर निर्भर रहते हैं, आपने कहा कि केन्द्रीय वित्त आयोग है कि स्टेट की इन्कम सोर्स के नाम पर राज्य सरकार को पैसा दे। आपने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मुख्य मन्त्री ने कहा कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा और केन्द्रीय वित्त आयोग से निवेदन करूंगा कि वह हमारे अंश का पैसा दे और ओवर ड्राफ्ट के बारे में अलग प्रकार से भारत सरकार को एक समिति बनानी चाहिये जो इस प्रश्न पर विचार करे कि किस प्रकार से ओवर ड्राफ्ट चुकायें, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको राजस्थान में भी एक राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना इसलिए करनी चाहिए कि जो राजस्थान सरकार, टैक्स वसूल करती है, सेल्स टैक्स बहुत बड़ा टैक्स है, राजस्थान में सबसे अधिक सेल्स टैक्स वसूल करती है, उसमें से, राज्य की सारी आय से इतना पैसा नगरपालिकाओं को अपने विकास के लिए देगी। पंचायतों को अपने विकास के लिए देगी, इसका विचार कमेटी को करना चाहिए। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो नगरपालिका और पंचायतें हैं, उनको पक्षपात के आधार पर जितना चाहें उतना अनुदान आप देते हैं, जिसको न चाहें उसको नहीं देते हैं, जब चाहें किसी भी नगर परिषद् को आप भंग कर देते हैं, हां पंचायतों को भंग नहीं करते हैं, क्योंकि वह आपके वोट का जरिया है, इसलिए सरपंच और पंचों को भंग नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि नगर परिषदों को कितना पैसा मिलना चाहिए इसके लिए

श्री श्रीराम गोटेवाला : पक्षपात आपके साथ भी किया है, जयपुर नगर परिषद् को सात लाख दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना करें। नगर परिषदों को कितना मिलना चाहिए, इसके लिए मेरा निवेदन है कि, प्रपोर्शनेट रूप से नगरपालिका और नगर परिषदों को मिलना चाहिए, पंचायतों को मिलना चाहिए ताकि वह भली प्रकार से अपना विकास कर सकें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिका, जयपुर को पैसा जो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
भी मिलता है उसमें रुकावट डाली जाती है और रुकावट डाल कर पैसा खर्च करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है। वह सारा का सारा पैसा यों का यों पड़ा रहता है। जयपुर नगरपालिका का इसका उदाहरण है, नौ लाख रुपया आपने समाज कल्याण के नाम पर दिया, उसमें से दो लाख रुपये खर्च हुए, बाद में कहा, इतनी ट्रोली दी जायेंगी, फलां गाड़ी दी जाने वाली हैं, इनके बारे में जो स्वीकृति मिलने वाली है उसका राज्य सरकार को पता नहीं। इस प्रकार सात लाख में से दो लाख रुपया खर्च हुआ है, बाकी का पड़ा हुआ है, राज्य सरकार से वक्त पर स्वीकृति न मिलने के कारण पैसा लेप्स हो जाता है। पिछली बार इस सदन में कहा था कि जून तक का समय बढ़ाया जाता है, लेकिन वह पैसा वैसा का वैसा पड़ा है, गाड़ियों का पैसा है, फावड़े खरीदने के लिए पैसा है। जो सिर पर मैला उठाने वाली प्रथा है, उसके लिए मलकानी रिपोर्ट ने कहा था कि यह प्रथा बन्द हो जानी चाहिए, राजस्थान में कोई हरिजन सिर पर मैला नहीं ढोये। उसके लिए तीन लाख का प्रावधान था, आंकड़ों के आधार पर, उसमें कहा, डाइरेक्टर बैठेगा, कमिश्नर होगा—और इस तरह की पेचीदगी पैदा कर दी कि जिसके कारण से पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा जयपुर आज सड़ रहा है, आज भी बहुत से लोग अपनी ड्राई लैट्रिन को फ्लश में कन्वर्ट नहीं करा पाये हैं। कहीं ऐसा न हो कि गर्मी के मौसम में गन्दगी और बढ़ जाय और उससे बीमारी फैलें।

इसके अलावा एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपने आय के स्रोत तो बढ़ा लिये हैं, आप अब आय घटाने की बात भी करिये। शराब बन्दी के मामले में आपने दस करोड़ की आय की बात कह दी। मेरी गुस्ताखी माफ हो, आपने जो लौटरी सिस्टम चालू किया था....

श्री चन्दनमल बैद : आप किस पर बोल रहे हैं, आप बिल के स्कोप के बाहर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस समय आपने यह घोषणा की थी....

श्री चन्दनमल बैद : यह इस बिल के स्कोप में नहीं बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लौटरी के आधार पर आप अपनी आय में वृद्धि कर लें। अगर आय के आधार पर सोचें तो राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई दिन आयेगा कि आप राजस्थान में शराब बन्दी कर सकें। आप आय बढ़ाये जायं और आय का प्रश्न इसमें जुड़ जाय तो कैसे शराब बन्दी होगी। शराब बन्दी न आज करने वाले हैं और न कल करने वाले हैं।

इसी प्रकार से आज मन्त्रियों और अधिकारियों को आपने सुविधा दे रखी है टेलीफोन, पानी और बिजली की उस पर कोई सीमा नहीं रखी चाहे कितने टेलीफोन, कितना ही पानी कितनी ही बिजली का उपयोग कर सकते हैं। यह जो शराब बन्दी होने से आप 10 करोड़ का घाटा बता रहे हैं, उसकी इससे पूर्ति

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होगी। इस प्रकार मन्त्रियों के काम में जो गाड़ियां आती हैं, उनमें कमी करें, विधायकों की सुविधायें कम करें, शराब बन्दी आप करना चाहते हैं तो....

श्री चन्दनमल बैद : विधायकों की सुविधाओं के बारे में आप ही पहल करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मन्त्रियों के लिए दो गाड़ियां रखी हैं, एक घर के काम में दूसरी ऑफिस जाने के लिए। आपको दो गाड़ियां रखने का अधिकार क्या है ? बाहर जायेंगे तो तीसरी गाड़ी में जायेंगे। जब मन्त्री जायेंगे तो उनके पीछे एक एक, दो दो गाड़ियां जायेंगी और मुख्य मन्त्री जिस समय दौरे पर जायेंगे तो 14-14 गाड़ियां और एक गाड़ी में तो एक्स-रे की मशीन रखकर ले जायेंगे इस प्रकार 15 गाड़ियां मुख्य मन्त्री के दौरे पर जाने पर काम में आती हैं। यह पैट्रोल का दुरुपयोग व अधिकारों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यदि आप गोकुल भाई भट्ट को बचाना चाहते हैं, आप शराब बन्दी करना चाहते हैं तो मन्त्रियों के घर पर अनाप शनाप खर्चे, गाड़ियों पर खर्चे, मुख्य मन्त्री के पीछे 15-15 गाड़ियों का दौड़ना ठीक नहीं है। क्यों नहीं आप अधिकारी को भी आप साथ ही अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, क्यों वे उनके साथ अलग गाड़ियों में जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सच्चे दिल से गोकुल भाई को बचाने के नाते, एक सर्वोदय नेता को बचाने के नाते, जिन्होंने भारी तपस्या की है उनको बचाने के लिए राजस्थान में शीघ्र शराब बन्दी होगी, इसकी घोषणा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद दूंगा इस बारे में कि उन्होंने जो कल कन्सेशन्स एनाउंस किए जैसे साबुन पर या नकली गोटे पर, चूंकि मैं उस दिन मौके पर नहीं था, आज उन कन्सेशन्स पर मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : धन्यवाद प्राप्त करने की नई प्रणाली चली है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नई अमेंडमेंट का दायरा सीमित है। एक जगह कांफिसकेशन लफ्ज है उसके बजाए "सीजर" शब्द का इस्तेमाल किया है मैं उससे यह महसूस करता हूं कि इससे उन लोगों को कर देने से हिचकिचाते हैं, एवाइड करना चाहते हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। तो यह सोचने की बात है कि जब एक ऐसा क्लाज मौजूद है पहले ही जिसमें उन लोगों को जो टैक्स से बचना चाहते हैं, उनका माल कांफिसकेट होता है उसके बजाय वह सीजर होता है, इसका मतलब एक अवसर आएगा कि माल जिसका फर्जी डिक्लेयरेशन देते हैं वह वापस मिल सकता है, ऐसी संभावना इससे प्रतीत होती है। जहां वित्त मंत्री ने कन्सेशन्स दिए, वहां मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि जो टैक्सिज से एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे हलवाई उनको

(श्री मो. गफ्फार अली)

राहत मिलेगी। मगर बुनियादि सवाल यह है कि अमली होगा कि टैक्स वसूल किया जाए। इसलिए कि हर सेक्शन जो हमारे पास आया या जिनको हमने एप्रोच किया, उनकी शिकायत आमतौर से कि सरकार को लाभ हो या नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी रकम सेल्स टैक्स इन्सपेक्टरों को अदा करनी पड़ती है और यह एक ऐसी हकीकत है जिसको वित्त मंत्री को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने निजी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि यह जो जो प्रणाली है सेल्स टैक्स वसूली की वह दरअसल बुनियादी तौर से गलत है और मानकर की गई है कि हिन्दुस्तान का जो व्यापारी वर्ग है वह अपनी जगह ईमानदार नहीं है। मैं एक सुझाव मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्कम टैक्स की वसूली का सिस्टम है कि वहां पर डिक्लेयरेशन्स और एफीडेविट्स की बुनियाद पर, रिटर्न्स की बुनियाद पर तसलीम किया जाता है कि इसकी इतनी इन्कम हुई, इसका इतना कर है, अगर ऐसी हालात होती हैं तो एन्कुवायरी होती है तो प्राइवेट बातचीत में हमने कहा था कि सिर्फ एक साल के लिए इस व्यापारी वर्ग के जो डिक्लेयरेशन्स और एफीडेविट हैं उनके आधार पर सोचिए कि आपको कितना पैसा वसूल होता है, अगर वह वसूली आपके बजट के मुकाबले में ज्यादा हो या उतनी हो तो आपको इतना बड़ा स्टाफ जिसके बारे में आमतौर से कहते हैं कि वह करप्ट है, उसका घाटा सेव कर सकते हैं तो अच्छा होगा। हम मानकर चलें कि हमारा व्यापारी वर्ग ईमानदार है और ईमानदारी से टैक्स अदा करेगा। इसलिए यहां पर चूंकि आया है कि जो नाकेदार हैं उनको सीजर की पावर्स हैं, कान्फिसकेशन के मुद्दे में तबदील की है, उनको पावर्स कैटल की गई हैं तो अगर इस प्रणाली को किसी तरह समाप्त कर सकें और छोटा व्यापार करने वाले हैं वे इस मुसीबत में हैं कि आए दिन उनका माल चेक कर रहे हैं, इन्सपेक्टर सर पर सवार हैं आप मानकर चलें कि अगर आप उनको बेईमान मानकर चलते हैं तो उनकी बेईमानी से बच नहीं सकते। वे अगर 2 परसेंट सही देंगे तो 10 परसेंट बचायेंगे। तो आप एक्सपेरीमेंट करें कि इस सिस्टम में, जो आज तक सेल्स टैक्स वसूली का है, उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन होना चाहिए और वित्त मंत्री इस संबंध में व्यापारी वर्ग से बात करें और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करके ऐसा सिस्टम निकालें कि यह जो बोझ है और रिश्वत का जो सिलसिला है, किसी तरह से समाप्त हो।

मिठाइयों पर आपने छूट दी है 50,000 के व्यापार तक। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वसूली के जो तरीके होंगे उसमें यह जो मिठाई का व्यापार करते हैं उन पर बड़ी मुसीबत आएगी, वे एक एक पैसे या 2-2 रुपये की मिठाई बेचेंगे कहां तक रसीद काटेंगे। किस तरह से अकाउन्ट रखेंगे? अगर इसके बजाय अब भी सजेशन्स आ सकते हैं। मेरा सुझाव था कि आप लाइसेंस फी के नाम पर उन मिठाई वालों से इस नमूने की सेस लेना चाहिए कि वे आपको फिक्सड अमाउन्ट दे दें तो ज्यादा अच्छा था बजाय इसके कि आए दिन हैरस हों। मेरी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

होटल वर्कर्स और रेस्टॉरेन्ट वालों से बात हुई थी। उन्होंने कहा हमें यह चीज मंजूर है कि, जो टैक्स लिया जाए वह दुगुना कर दिया जाए मगर जो, रिटेल की दुकानें हैं उन पर सिस्टम से टैक्स लगायें तो इससे आमदनी बढ़ेगी। रेस्टोरेन्टस पर बजाय 3 के 5 या 10 कर सकते हैं। जो रिटेल शाप्स होती हैं, अपने देश में मिठाई बनाते हैं, इस चीज पर टैक्स भारी है, इसकी वसूली को राशनेलाइज करें और ऐसा सिस्टम रखें जिससे कि उनकी मुसीबतों में बढ़ोतरी न हो। इसलिये मैं एक सुझाव वित्त मन्त्री जी के सामने इसका रखना चाहता हूं कि जो चीज टैक्सेबल नाम की हो उसका रेशनलाईजेशन होना चाहिये। जैसे आपने गोटे पर टैक्स लगाया 5 प्रतिशत और उसके बाद मान लो आपने साड़ी गोटा लगाया तो उस पर आप टैक्स और लगाते हैं। तो उस पर भी टैक्स आप मान लीजिये 10 प्रतिशत। मान लीजिये एक साड़ी है जिसकी कीमत 200 रु. है जिसमें 50 मजदूरी, 50 रुपये कपड़े के और 100 रुपये गोटे के। इस प्रकार कुल 200 रुपये हुए। तो जो व्यापारी है उसको गोटे पर भी देना पड़ता है और वही गोटा बाद में साड़ी पर लगाये तो उस साड़ी पर टैक्स और लगता है। कपड़े पर टैक्स, मजदूरी पर टैक्स तो इस प्रकार दो दो बार टैक्स लगता है जिससे कि यहां के कुटीर उद्योगों को नुकसान होता है। आज स्थिति यह है कि मार्केट हमारा यहां का जो माल है उसकी सेल कम होती है क्योंकि टैक्सेज वगैरह लगने से महंगा हो जाता है और बाहर से जो माल आता है उस पर ड्यूटी लग जाती है। आज व्यापारियों को शिकायत है कि बार बार हर स्टेज पर टैक्स न लगा कर एक ही बार टैक्स ले लिया जाये तो ठीक रहे। ताकि टैक्स का रेशनलाईजेशन हो जावे। मैं खास तौर से आपको जो गोटे की चीज बनती है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि गोटे में चांदी, सिल्क व धागा वगैरह जो जो माल होता है उन सब पर टैक्स लगता है और दूसरे गोटे का काम करने वाला मजदूर है उस पर भी टैक्स लगता है। तो मेरा निवेदन है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिये कि काफी सोच विचार करे और गवर्नमैन्ट को चाहिये कि तीन बार चार बार टैक्स न लगाकर डाइरेक्ट ही एक ही मर्तबा टैक्स लगादे चाहे 5 प्रतिशत, 7 प्रतिशत या ज्यादा 10 प्रतिशत जो लगाना चाहे लगादें। इससे टैक्स की चोरी नहीं होगी और रिश्वतखोरी को कम बढ़ावा मिलेगा। और टैक्स एक ही बार देना पड़ेगा और बार बार जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक इसमें कानफिसकेशन के बदले सीजर शब्द का प्रयोग किया गया है। वह भी ठीक है। इसके अलावा आज हमारे राज्य में टैक्स इवेजन बहुत होता है आज हमारे यहां से जो करोड़ों रुपये का माल बाहर जाता है। उसके लिये कस्टम्स आउट पोस्ट कायम किये जाने चाहिये ताकि राज्य सरकार के टैक्स का इवेजन न हो। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को पब्लिक में सरक्यूलेट फरमादें ताकि पब्लिक से हमें डाइरेक्शन मिल जाय। मैं इसके लिये वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ करों पर छूट दी है। मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार वे गेहूं व राईस व दालों पर भी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आपने जो टैक्स कायम रखा है उसे हटाने के लिए गम्भीरता से विचार कर हटादें ताकि जनता को राहत मिले। दूसरे आज हमारे यहां जो सेल्स टैक्स की वसूली की प्रणाली वह दोषपूर्ण है। उसमें व्यापारी को चोर मान कर चलते है तो इसमें जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि अगर एक ही बार टैक्स लिया जाय तो टैक्स का इवेजन रुकेगा। जनता को परेशानी कम होगी और रिश्वतखोरी भी समाप्त होगी और जो आज व्यापारियों को या सेल्स टैक्स ऑफिसर की इमेज खराब बन गई है वह ठीक होगी और राज्य सरकार को भी लाभ होगा। बस इतनी ही गुजारिश करनी है मुझे।

उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने हेतु संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि एक तो जो उद्देश्य इस बिल के लाने का है कि टैक्स इवेजन होता है उसके रोकने के लिए प्रयत्न किया गया है, वह प्रयत्न ठीक दिशा में है। इसके लिए और भी प्रयत्न किये जाने चाहिएं। केवल इतने से संशोधन से ही पूरे टैक्स का इवेजन रुक जावेगा मैं नहीं मानता। क्योंकि इसमें अभी भी बहुत से लू-पोल्स हैं जिन्हें समाप्त करना चाहिये। आज सुबह भी प्रश्नोत्तर काल में इसका जिक्र आया था। मेरा सुझाव है कि इसमें संशोधन होना चाहिये ताकि टैक्सेज का इवेजन न हो। आज जो मौजूदा सिस्टम है, टैक्सेज का वह ही दोषपूर्ण है। आज एक फर्म को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो फर्म चाहे तो बिना टैक्स दिये ही यहां से माल ट्रान्सफर अपने दूसरी स्टेट्स के सब ऑफिसेज में कर देते हैं। और इस प्रकार वो स्टाक यहां से दूसरे स्टेट्स में जहां उनकी ब्रांचेज हैं वहां ट्रान्सफर हो जाता है। उसको सेल मानी जानी चाहिये और यहां पर टैक्स वसूल किया जाना चाहिये आज उन्हें इसके लिए टैक्स इमेजन है। दूसरे इससे अपनी स्टेट को जो सेल्स टैक्स से वंचित होना पड़ता है वह नहीं होगा और दूसरी स्टेट को जो रेवेन्यू होती है वह नहीं होगी। आज राजस्थान में ऐसी कई बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनकी बाहर बहुत सी ब्रान्चेज हैं और उनका हैड ऑफिस यहां है, या जिनके सब ऑफिसेज यहां कायम किये हुये है और हैड ऑफिस बाहर हैं। वो सभी पार्टियां इस प्रकार के टैक्स इवेजन कर रही है। एक्चुअल माल जाता है या नहीं है, पर स्टाक ट्रान्सफर दूसरे स्टेट्स में जहां उनके ऑफिसेज हैं, ट्रान्सफर हो जाते हैं। इस प्रकार आज इनाज टैक्सेज का बहुत ही इवेजन हो रहा है और यह जो लेक्यूनाज इस बिल में है उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान की प्रोड्यूस है और राजस्थान के बाहर दूसरी स्टेट में जाती है और इसका टैक्स राजस्थान सरकार को यह बड़े बड़े व्यापारी नहीं देवें इससे ज्यादा दोषपूर्ण प्रणाली टैक्स वसूली की क्या हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पर टैक्स लगना चाहिये। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय जो फर्म्स में एजेन्ट हैं उनसे टैक्स वसूली में और आढ़तिये जो हैं उनके द्वारा भी टैक्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वसूली के लिये जो डिफरेन्स है उसे भी ठीक किया जाना चाहिये। आज जैसे एक्स की फर्म कलकत्ता में है और उसका सब आॅफिस कहीं हो तो यह स्टॉक ट्रान्सफर कर देता है आप टैक्स वसूल नहीं करते पर आड़तिये से आप करते हैं तो मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है...

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री): यह मेरा मत नहीं है कि आड़तिये से वसूल हो और दूसरे से नहीं हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कहते हैं...

श्री चन्दनमल वैद: वो दूसरी बात है, लेकिन टैक्स की वसूली सबसे होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि किसी भी फर्म का चाहे सब आॅफिस या हैड आॅफिस कहीं भी हो चाहे वह माल कहीं जाकर सेल हो, अगर वो स्टॉक एक्चुअल सेल मानी जाकर टैक्स वसूल किया जाना चाहिये। आज राजस्थान से कई स्टेटस में रॉ-मेटिरियल बाहर जाता है और वहां पर उन फर्म्स द्वारा उद्योगों में काम आता है तो वह लोग उस पर टैक्स देते नहीं हैं और बाद में जो प्रोडक्शन होता है उसकी सेल वहीं पर होती है जिसका टैक्स उसी स्टेट को मिलता है और राजस्थान को टैक्स नहीं मिलता है। आज राजस्थान के कई जिले हैं जहां से सरसों बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अलवर जिले की ही निवेदन कर दूं वहां से सरसों दूसरी स्टेटस-कलकत्ता, आसाम, बिहार वगैरह में एक्सपोर्ट बहुत अधिक मात्रा में होती है वहां पर इन्हें बड़े बड़े व्यापारियों की ब्रान्चेज हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और राजस्थान सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। दूसरे इसी प्रकार गंगानगर से रूई, गेहूं और सरसों बाहर भेजी जाती है जिनसे एक्चुअली सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता है। क्योंकि इस बिल में लेक्यूनाज हैं और वे फर्म्स दूसरी स्टेटस में अपनी ब्रान्चेज जो हैं उनको माल भेज देती हैं। इस लेकुना को खत्म करने का रास्ता ढूंढा जाना चाहिये। लीगल रास्ता हो सकता है और इसको ढूंढा जाना चाहिये जिससे हमारे सेल्स टैक्स की बहुत बड़ी आमदनी बढ़ सकती है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि सेल्स टैक्स को बकाया इस रूप में मौजूद है जैसा कि डी. सी. एम. का जिक्र आया कि वह बिक्री कर क्यों देगा, इस मामले में बहस है और इस मामले में टैक्स अगर लगे तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। उस पार्टी से टैक्स जमा करवाया जाना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद: उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किस तारीख से?

श्री चन्दनमल वैद: अभी तो तारीख मेरे पास नहीं है। जब यह प्रश्न आया था तो मैंने बताया था। यदि अपील उनकी निरस्त नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जावेंगे और अगर हो जाती है तो हम वसूल करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। पहले यह डिस्कशन आया था, पिछली विधान सभा का जिक्र कर रहा हूँ, जब तक हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला था और गवर्नमेंट केवल यह मान कर कि मामला अन्डर डिस्प्यूट है, अपने आप वसूली नहीं की उस पार्टी को मौका दे दिया। इस तरीके के जो बहुत बड़े लोग हैं उनके प्रति इस प्रकार का रवैया अपनाना उचित नहीं है और नयी घोषणा के साथ नयी सरकार आयी है, नये एटीट्यूड को लेकर चलेगी। इस प्रकार के कन्सेशन और लूपहोल्स बार बार पार्टीज को न दिये जायें वह यह देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो चैक पोस्ट का संशोधन इस बिल के जरिये से कर रहे हैं, जरूरत थी इस बात की, हमें खुद को भी अनुभव हुआ है, खास तौर से स्टेट के बोर्डर्स पर जैसे अलवर और हरियाणा के बीच में बोर्डर पड़ता है, आपने संशोधन करके सुधार कर लिया है। सामान्य कन्ज़ूमर की जो स्थिति आती है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाहर से किसी भी गुड्स का इम्पोर्ट जो सेल के लिये नहीं लाया जा रहा हो और केवल कन्ज़म्प्शन के लिये लाया जा रहा हो उस पर कोई सेल्स टैक्स लेवीबल नहीं है। बोर्डर पर, माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, खास तौर से हमारे इलाके में लोगों को दिक्कतें आती हैं जो भी दूसरी स्टेट से राजस्थान में कोई भी कन्ज़ूमर गुड्स सामान्य नागरिक अपने कन्ज़म्प्शन के लिये लाता है उस पर आपका सेल्स टैक्स लेवियेबल नहीं है लेकिन आमतौर पर आपकी चैक पोस्ट वाला यह ऐतराज उठाता है हमें यह नहीं मालूम कि आप इसको अपने कन्ज़म्प्शन के लिए लेजा रहे हो या सेल के लिये लेजा रहे हो। यह बहाना बहुत बड़े करप्शन का होता है। या तो सेल्स टैक्स के लिए और उसका मकसद सेल्स टैक्स लेने का न होकर, ऊपर से कुछ पैसा दे दो तो छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति एक टायर, पुराना टायर लेकर आया और मांगाना चैक पोस्ट पर देखा कि टायर रखा हुआ है, उसको ऑफिस में बुला लिया और कहा कि सेल्स टैक्स दो। 50 रुपये का टायर। काफी पैसा मांगा। इतने का टायर और इतना सेल्स टैक्स मांगे तो कहां से दे। बस रुकी हुई थी। मेरे पास बैठा था मेरे पास आया। गाड़ी को काफी देर हो गई थी। इस तरह से टैक्स मांगते हैं पुराने टायर का भी। मैंने कहा कि पुराना टायर है, सेल्स टैक्स नहीं लगता है भाई। वह वहां गया। मैंने खुद ने जाकर कहा कि यह बात तो आप खुद अपनी कोमन सैन्स से ही समझ सकते हैं कि न व्यापारी है। सामान्य बात थी। दस रुपये लेना चाहता था। चूंकि मेरी मौजूदगी की वजह से उसको छोड़ दिया सामान्य नागरिक के साथ इस प्रकार की बात होती है। अपने यहां बनाये हुए कॉमर्शियल ऑफिसर से टैक्स एग्जम्प्शन का सर्टिफिकेट लेकर आये। मान लीजिये मैं रेडियो लेकर आऊं जयपुर से, मांगना चैक पोस्ट पर रोक ले कि पता नहीं किस लिये लाये हो। जबकि वे हर व्यक्ति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को समझ सकते हैं। और जानते हैं कि कौन व्यापारी हो सकता है और कौन नहीं, कामशियल ऑफिसर का सेल्स टैक्स एक्जम्प्शन सर्टिफिकेट चाहिये वह नहीं है तो सेल्स टैक्स लेता है। कानून की मंशा नहीं है। इस डिफेक्ट की वजह से काफी कन्जूमर्स को जो बोर्डर पर रहते हैं, उनका शिकार होना पड़ता है। जिनाइनली जो टैक्स इवेडर नहीं हैं, उनको किसी प्रकार राहत दी जा सकती है। दी जाने की कोशिश की जानी चाहिये ताकि आम कन्जूमर को हेरासमेन्ट न हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि आपने एक सिस्टम बना रखा है कि पर्टीकुलर अमाउण्ट से अधिक जिनका टर्न ओवर है उनको जयपुर में आकर असेसमेण्ट कराना पड़ता है। मुझे ध्यान नहीं कितना टर्न ओवर आता है। डिस्ट्रिक्ट पर होता है तो वहां करा लेना पड़ता है। हमारे अलवर के लोगों को शिकायत है ज्यादा टर्न ओवर वालों की काफी बड़ी संख्या है और उनको यहां पर ही असेसमेण्ट के लिये आना पड़ता है। आप चाहें तो उस अफसर का हैडक्वार्टर अलवर बना दें या उनको कहें कि वह अपना कुछ समय वहां जाकर ऐसे केसेज का डिसिजन वहीं पर करें। वरना कई लोगों को यहां आने के लिये मजबूर करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस काम के लिए ज्यादा कामशियल अफसर मुकर्रर किये जायं। ऐसी मेरी मंशा नहीं है। अगर उनकी सीट वहां नहीं रखी जा सकती है, यहां के ऑफिसर्स कई डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, कम से कम वहां की बड़ी टर्न ओवर वाली पार्टीज का वहीं पर जाकर डिसाइड करें अगर गवर्नमेण्ट कर सके तो न तो नये अपॉइण्टमेण्ट का सरकार पर भार पड़ेगा और असेसीज को भी लाभ मिल सकता है और उनको अननेसेसरी यहां असेसमेण्ट के लिए नहीं आना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : सदन का कोरम पूरा नहीं है।

(गणाभाव सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Continue please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स बिल में जो आपने हलवाइयों को एग्जम्प्शन दी थी उसकी एन्ट्री नं. 8 में से हट रही है। 'देशी स्वीटमीट्स प्रिपेयर्ड एण्ड सोल्ड बाई हलवाईज इन्क्लुडिंग भुजिया, पूरी एण्ड परांठा'—यह सब एग्जम्प्टेड थी। अब आपने जो घोषणा की थी एप्रोप्रियेशन बिल का उत्तर देते समय उसमें आपने देशी हलवाइयों की टर्न ओवर 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी है—यह बात तो सही है कि छोटे लोग 150 रुपये रोज की बिक्री वाले लोग इसमें आ जाते हैं और इसमें कवर हो जायेंगे लेकिन इसमें यह लेकुना मुझे मालूम पड़ता है कि स्वीट मीट्स और भुजिया को भी आप छोड़ दें जो कि बड़े स्केल पर बनती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं जैसे बीकानेर में छोटू मोटू बड़े पैमाने पर बनाते हैं—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य दे भी सकते हैं लेकिन इसमें कई ऐसे हलवाई हैं जो कि साथ ही साथ में खाना भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खिलाते हैं। उनको आप रेस्टोरेण्ट में भी नहीं ले सकते और साधारण देशी खाना खिलाते हैं तो इसमें वह देशी खाना पूरी और परांठा एग्जेम्प्टेड था। अब इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं····

श्री चन्दनमल बैद : नहीं वह भी एग्जेम्प्टेड है। मैं आगे बता दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने अमेण्डमेण्ट दिया था वह नहीं पहुंचा होगा। मैं चाहता था कि इसको आप इस तरह से करें स्वीटमीट्स और भुजिया निकल जाये और पूरी और परांठा रह जाये और रोटी दाल और रखना चाहिए तो ठीक है। क्योंकि कई रोटी भी खिलाते हैं। पिछली दफा मुझे मालूम है कि रोटी और दाल के ऊपर भी टैक्स लग गया था और सारे शहर में चर्चा थी और उस समय भी इसको इन्ट्रोड्यूज किया गया था तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट की मन्शा जबकि इस तरह से किया है तो रोटी दाल पर या पूरी परांठा पर टैक्स लगाने की नहीं है, हां रसगुल्ले पर लगाते हैं और भुजियां पर लगाते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो उसके लिए ऐतराज नहीं है लेकिन रोटी, दाल, पूरी और परांठा को आपको एग्जेम्प्ट रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह इन्सान की बेसिक नीड है और इसको टैक्स करना बेसिकली गलत होगा। तो माननीय मन्त्रीजी इसके ऊपर विचार करलें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बहुत-सी बातें जो टैक्स प्रपोजल्स में आपने रखी थीं क्योंकि आपको नोटीफिकेशन के जरिये उनको ऊंचा या नीचा करने का अधिकार है इसलिए उन प्रपोजल्स को आपको इस बिल में लाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन उस संबंध में मैं उन्हीं बातों को फिर रिपीट करना चाहूंगा। आपने यद्यपि दालों के ऊपर जो बढ़ाया हुआ टैक्स था उसको वापिस ले लिया लेकिन जो ग्रेन्स पर बढ़ाया और वह भी स्टेपल ग्रेन्स पर जैसे गेहूं, चावल····

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, केवल गेहूं पर 2 पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट किया है और कुछ स्टेपल ग्रेन्स को घटाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाजरे के ऊपर ?

श्री चन्दनमल बैद : बाजरे पर 1 पर्सेन्ट ही था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और अब ?

श्री चन्दनमल बैद : अब भी 1 पर्सेन्ट ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भी स्टेपल फूड के ऊपर बढ़ाया है मैं समझता हूं कि वह भी मुनासिब नहीं है। उसी बात को देखते हुए आज राजस्थान में गेहूं के लिए यह नहीं कह सकते कि कोई लग्जरी का फूड है। इसको तो माननीय मंत्रीजी मानेंगे। उससे कितनी इन्कम होती है इसका भी आप ख्याल करें। मैं समझता हूं कि आपको आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्कम मिल सकती है इसलिए स्टेपल फूड के ऊपर टैक्स बढ़ाया है उस दृष्टिकोण से कि जिस दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं उसको घटाया जाना चाहिए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सों के संबंध में कुछ बातों का जिक्र मैंने एप्रोप्रियेशन बिल पर जब बहस हुई उस समय किया था। माननीय मंत्रीजी उस समय उत्तर नहीं दे पाये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि फिर किसी समय दूंगा—आज मेरी मांग है कि आप उसका उत्तर दें। मैं उनको दोहरा दूं कि एक तो वेकेन्ट लैण्ड शहरों में है उसके ऊपर 1965 में कानून बनाकर टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद यहां कोई वसूली राजस्थान सरकार में नहीं हुई और पहले जब टैक्स लगाया गया तो उसकी इनकम 20 लाख आंकी गयी थी जो कि पहले अण्डर एस्टीमेट थी। लेकिन 20 लाख रुपया भी सन् 65 में मानें तो 7 वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख रुपया तो उसी रेट पर जो रेट कि सन् 65 में सजेस्ट की गयी थी उस रेट से यह 1 करोड़ 40 लाख रुपया हो जाता है और जो ट्रेण्ड टैक्सेस को बढ़ाने का है उसका हिसाब देखते हुए—फिर सोशियेलिस्ट प्रोफेशन का दृष्टिकोण है कि जो बड़े और साधन सम्पन्न लोग हैं उनके ऊपर पर्सेन्टेज ज्यादा बढ़ाया जाय तो यह साधन सम्पन्न लोगों के ऊपर टैक्स है तो इन वर्षों में उसके ऊपर और बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा है तो इस वर्ष आप बढ़ा सकते हैं। अभी नहीं बढ़ाया तो आपके पास पावर्स हैं बाद में भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि यह आमदनी 5 करोड़ रुपये की बड़ी आसानी से हो सकती है। यह कोई भी कहे कि इससे आमदनी बहुत थोड़ी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव

(3.58 म. प.)

(सभापति, श्री मोहम्मद गफ्फार अली पदासीन)

खर्चा बहुत ज्यादा हो जायेगा तो मैं तो कहूंगा कि कोई काम नहीं करना हो तो यहां टेक्निकल एडवाइस ले लो। आम आदमी तो हिसाब लगायेगा नहीं। बिजली वगैरह के मामले में भी यही देखा कि टेक्निकली फिजिबल नहीं है। तो यह एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं है यह बहाना करके उसको रद्द कर दिया। तो उस समय उनकी अकल कहां चरने गयी थी कि उस समय फिजिबल मानकर इस टैक्स का बिल बनाया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत क्लियर कट है कि लैण्ड वालों को सरकार कन्सेशन्स दे रही है अपने दिये हुए आश्वासनों के बावजूद भी इस इलेक्शन में सालम प्रामिस दिया था, उसका क्लियर विड्रयल है। राजस्थान के अन्दर 643 करोड़ रुपया कर्जा है, हमारे पास एक भी अस्पताल खोलने के लिए पैसा नहीं है, हम 4 करोड़ रुपये के नये टैक्सेस सजेस्ट करें, गेहूं के टैक्स के बारे में भी मंत्री जी को सोचना पड़े और उस समय हम एक कलम से इतने बड़े टैक्स को वैसे ही फ्री छोड़ दें मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से जस्टीफाइड नहीं है। तो माननीय मंत्री जी एक तो इसके बारे में उत्तर देंगे कि अभी तक क्यों नहीं वसूल हुआ। पिछली साल माननीय माथुर साहब ने सालमली सदन के अन्दर आश्वासन दिया था, बजट के अन्दर प्रपोजल्स रखे थे वह फिर भी वसूल नहीं हुआ, यह क्यों हो रहा है?

मैंने निवेदन किया था राजाओं की सेल के बारे में। जो कि आपकी प्रॉपर्टी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं, इन्वेंट्री में आपकी प्रापर्टी है और उनको बेचने का अधिकार नहीं है, मैंने बूंदी नरेश का जिक्र किया। ऐसे कितने ही किस्से हैं लेकिन वह लकड़ी बेच रहे हैं। अगर यह मान भी लिया जाये कि उनको खातेदारी अधिकार हैं तो टेनेन्सी एक्ट में, जिनके पास जमीन सीलिंग से ज्यादा है उनको लकड़ी काटने के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है और बूंदी नरेश ने, लकड़ी काटने का कोई लाइसेन्स नहीं लिया है इसलिए ला को अपने हाथ में लेकर वह लकड़ी काट रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर वह लकड़ी अपने कब्जे में आ जाये तो लाखों रुपयों की आमदनी आपको हो सकती है। जो भी सेल की है उसकी पेनेल्टी आप वसूल कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेट को आमदनी हो सकती है। यह आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यह दूसरी बात मैंने कही जिसका आप जवाब देने की कृपा करेंगे।

तीसरा मैंने जनरली यह कहा था कि यह बड़ा सोर्स आपके पास राजाओं की प्रोपर्टी का है जिससे आपको लम्पसम आमदनी हो सकती है। आपने यह कहा था कि कानून बना कर हम करना चाहते हैं, मुझे उसमें ऐतराज नही है। मैं खुद चाहता हूं कि कानून बना कर आप करें। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि आपकी आंखों के सामने जयपुर महाराजा जमीनों को बेच रहे हैं। मैंने सुना है कि रामबाग पैलेस का उन्होंने सौदा कर लिया है। जयपुर महाराजा जहां खुद रह रहे हैं जिसमें, उसका तीन करोड़ का सौदा उन्होंने कर लिया है। अलवर महाराजा के बारे में आप पता लगायें, जिस स्कूल बिल्डिंग की बात चल रही थी, तीन लाख रुपये में उसका अभी से सौदा किसी प्रकार से कर लिया है। इस तरह जगह जगह पर राजा लोग प्रोपर्टी को बेच रहे हैं। मेरा निवेदन यह था कि आप ऐसा कानून ला सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की सेल्स को रेगुलेट किया जा सके। उनको प्रोहिबिट तो नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल नाइन्टीन उसके आड़े आएगा लेकिन आप जस्टीफाईड तरीके से, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मैंने खुद एक नोन ऑफिशियल बिल पेश किया है, लेकिन आप सरकार की तरफ से खुद ऐसा बिल लायें ताकि इस तरह की सेल्स बिना कलेक्टर की क्लियरेंस के या कोई भी ऑफिसर आप मुकर्रर करें उसकी क्लियरेंस के बगैर सेल ही नहीं हो पाए। इतना कहना काफी नहीं है कि इस सेल्स को हम रिकोग्नाईज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब मिसचीफ हो गई, प्रोपर्टी बिक गई तो यह कुल्हाड़ा खरीददार की गरदन पर पड़ेगा और विकवाल से आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। तो आप इसका भी जवाब दें।

और अन्त में, सभापति महोदय, मैं एन्टरटेनमैंट टैक्स के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि इस सदन में यह बहुत लोंग स्टेंडिंग मांग रही है कि एन्टरटेनमैंट टैक्स जो है वह म्यूनिसिपेलिटीज को दे दिया जाय। अभी भी जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इसका डिस्बर्समैन्ट है उसमें बहुत जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने एक पर्टीक्यूलर डेट फिक्स कर रखी है उस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
डेट से पहले जिन नगरों में म्युनिसिपेलिटीज एन्टरटेनमैंट टैक्स लगाती थी उनको तो आप इस पूल में से वापिस दे रहे हैं और उस पर्टीक्यूलर डेट के बाद अगर किन्हीं म्युनिसिपेलिटीज ने लगाया तो उनको आप इसमें से हिस्सा नहीं दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। यह जो डेट आपने बहाल की है वह बिल्कुल आर्बीट्ररी है। इस प्रकार के मसलों का समाधान साइन्टिफिक बेसिस पर, सोशल जस्टिफिकेशन के बेसिस पर होना चाहिए न कि आर्बीट्ररी, ब्यूरोक्रेटिक डिसिजन को मान कर आप पर्टीक्यूलर डेट मान लें। डेट इज नो डेफिनेशन। आफ्टर आल आप यह सोचें कि म्युनिसिपेलिटीज को आप क्या रिसोर्ज दे रहे हैं। म्युनिसिपेलिटीज को आप रिसोर्ज दें, साधन दें, इस एण्टरटेनमेंट टैक्स का हिस्सा दें और उसमें भी एक म्युनिसिपेलिटी को दें और दूसरी म्युनिसिपेलिटी को न दें यह एक आधारहीन बात है स्टेट के अन्दर। अभी पहला बिल डिस्कस होते समय माननीय यातायात मंत्रीजी ने यह कहा था कि डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा अगर हम पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को इस प्रकार की छूट दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी दृष्टिकोण से आप इस बात को देखें तो यह आपका जो फैसला है यह बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। यह जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट में जाकर उसको दुरुस्त करावें। आपको स्वयं इक्वीटेबल बेसिस पर, नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर इस बात को सोचना चाहिए। अव्वल तो यह तमाम की तमाम कुछ न कुछ ऐसी आमदनियां हैं जिनको आपको म्युनिसिपेलिटीज को दे देनी चाहिए ताकि वह अपना खर्चा चला सकें, वरना पहले तो आपका उनको वंचित रखें, फिर लोन पर रखें और बाद में बट्टे खाते लिखते जायं तो इस प्रोसेस के बजाय बहुत सीधा सादा तरीका है, जिस तरह से आप गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया से नए तरीके के आधार पर अपना हिस्सा मांगते हैं, आप मांग करते हैं कि आपको हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, राइट आॅफ होना चाहिए, उसी तरह से यहां पर वही डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है, इन पंचायतों के सम्बन्ध में, इन पंचायत समितियों के सम्बन्ध में और इन म्युनिसिपेलिटीज के सम्बन्ध में इनको वायबल यूनिट बनाना यह आपका काम है। मेरा निवेदन है कि यह एण्टरटेनमेंट टैक्स दरअसल तो स्टेट गवर्नमेंट को म्युनिसिपेलिटीज को दे देना चाहिए। लेकिन अगर उसमें देर लगे तो इस बात में देरी नहीं करना चाहिए कि हर म्युनिसिपेलिटी को जहां पर भी एण्टरटेनमेंट टैक्स वहां से वसूल होता है उनको प्रोरोटा पॉपुलेशन के बेसिस पर आप रख लीजिए या जो भी बेसिस आप रखना चाहें उस बेसिस पर हिस्सा म्युनिसिपेलिटी को मिलना चाहिए। अगर किसी नई म्युनिसिपेलिटी ने लागू किया है, आज डवलपमेंट हो रहा है, नए सिनेमा लग रहे हैं वहां पर भी नए टैक्स लग रहे हैं तो उस म्युनिसिपेलिटी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए।

तो इन्हीं पोइन्ट्स के साथ इन्हीं शब्दों के साथ में मोशन को मूव करता हूं।

श्री सभापति: वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी जो विधेयक मैंने विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव किया है और उसके बारे में जो बहस हुई है उसको मोटे तौर पर मैं तीन चार भागों में बांट सकता हूं। कुछ तो बहस जो विधेयक का कार्य क्षेत्र है, जो इसका स्कोप है उसको लेकर हुई है और जो वास्तव में इस विधेयक के स्कोप को लेकर बहस हुई है और जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने प्रगट करूंगा लेकिन कुछ विचार, कुछ चीजें चूंकि यह कर विधेयक है इस वास्ते करों को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं जिसका स्कोप इस बिल में नहीं आता और कुछ बुनियादी मुद्दे भी उठाए गए हैं। सभापति महोदय, जो करों के बारे में बहुत से मुद्दे जो इस बिल के स्कोप में नहीं आते, इस वक्त में उनके अन्दर नहीं जाना चाहूंगा, और यह न तो जरूरी है और न उम्मीद भी की जानी चाहिए। इन मुद्दों के बारे में पहले भी बहस हो चुकी है और बहुत कुछ मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन जो विशेष बुनियादी मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो अभी उठाए गए हैं उनका इस समय बिल्कुल तुरन्त जवाब देना सम्भव नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सका हूं, उनके बारे में पूरे अध्ययन के बिना कहना उचित नहीं होगा और माननीय सदस्य भी यह नहीं चाहेंगे। मैं जरूर उनको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, जितने भी बुनियादी मुद्दे मान करके उठाए गए हैं उनका मैं भली प्रकार से अध्ययन करूंगा और उनसे स्टेट के फाईनेंसेंज को फायदा हो सकेगा तो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं उनको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बुनियादी फायदा स्टेट को मिलना चाहिए, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे पूंजीपति और बड़े उद्योगपति हों, अगर वे कानून के दायरे में आयेंगे तो उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी।

अब जो बुनियादी मुद्दे इस बिल के स्कोप के अन्दर आते हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एक बात यह कही गई, सभापति महोदय, कि सुप्रिम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हम बिल को, सेल्स टैक्स एक्ट जो है उसको अमेंड कर रहे हैं और शंका यह प्रकट की गई कि कहीं ऐसा न हो कि फिर हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट का जजमेंट हो और हम आज जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो संशोधन कर रहे हैं, फिर उसको बदलना पड़े।

(4.8 म. प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं तो इस बारे में इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य हमेशा यह होता है कि जो भी कानून बनायें उसमें कम से कम गल्ती रहे। उसके बावजूद हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट को हम बाइन्ड नहीं कर सकते कि हम जो कुछ भी विधेयक बनायें, कानून बनायें, जो कुछ संशोधन करें वह इतना फुल प्रूफ है कि हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट उसको निरस्त नहीं कर सकें, टर्न डाउन नहीं कर सकें और

(श्री चन्दनमल वैद)

उसमें कोई कमी नहीं निकाले सकें। फिर भी हमारी कोशिश यह होगी कि जहां तक सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के फसले हैं उन फसलों की परिधि में रह कर हम चाहते हैं कि कानून में संशोधन करें। इसके बारे में इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि जिस केस का हमारे किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने हवाला दिया, के. पी. अब्दुल्ला एन्ड ब्रदर्स, उसके बारे में सुप्रिम कोर्ट के फसले का लास्ट बट वन पेरा पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

"however to conficate the goods and to boy penelty in liew of confiscation were in report of goods found in vehicle............"

इस वास्ते हमने अपने सेल्सटेक्स में जो कान्फिसकेशन का प्रॉविजन था वह हमने निकाल दिया है और अब केवल सीजर का प्रॉविजन रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फसला हुआ है उसकी हम इज्जत करते हैं, चाहे फिर जिस माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम स्वयं चाहते हैं कि उस प्रॉविजन को निकाल दें और इसी वास्ते निकाल दिया है। और आगे कोई बात हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ध्यान में आवे और उसका कोई फसला आवेगा तो उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। फिर यहां पर यह कहना कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, यह यहां पर मौजू नहीं होगा।

दूसरी उन्होंने यह दलील दी थी कि जो चेक पोस्ट आप यहां पर कायम करते हैं, उससे आपका कोई पैसा तो वसूल नहीं होता है और उल्टे व्यापारियों को परेशानी होती है। चेक पोस्ट से पैसा आता नहीं है ऐसी बात नहीं है। 70-71 में इन चेक पोस्ट के द्वारा एक करोड़ 99 लाख की आमदनी सेलसटेक्स की हुई है और 71-72 में 2 करोड़ 56 लाख की आमदनी हुई है मैं यह नहीं कहता कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता होगा। हर इन्स्पेक्टर सी. टी. ओ. जो वहां पर काम कर रहे हैं वे सब के सब ईमानदार हैं। लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि हमें इनसे इन्कम हुई है, रेवेन्यु हुई है। केवल यह कहना कि इन चेक पोस्ट पर व्यापारियों से पैसा लेकर उनके माल को छोड़ देते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। हम यह मानते हैं, यह हो सकता है कि यहां पर कुछ भ्रष्टाचार होता हो। कड़ाई के साथ, ताकत के साथ एक्शन लेकर दूर करना चाहिये। फिर भी हमें यह मान कर चलना चाहिये कि उनके द्वारा हमारी आमदनी हो रही है और उनसे पिछले वर्ष 2 करोड़ 56 लाख की आमदनी हुई है।

कुछ मुद्दे ऐसे उठाये गये हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि उनसे व्यापारियों को परेशानी होती है। इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं। सेल्स टेक्स के बारे में एक कमेटी बनाई गई है और वह सेल्स टेक्स का बिल ड्राफ्ट कर रही है और जल्दी ही वह यहां सदन में पेश किया जायेगा। उस समय और माननीय सदस्य-जिन लोगों को इस बारे में दिलचस्पी है, अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा। मेरी भी यह मंशा है कि यह बिल इस सदन के अन्दर सीधे पेश न होकर सिलेक्ट कमेटी की मार्फत आवे, जिससे माननीय सदस्यों के विचारों का लाभ मिले और

(श्री चन्दयमल वैद)

सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जो व्यापारिक संस्थाने हैं, व्यापार उद्योग मन्डल हैं, वे भी आ कर अपने विचार प्रकट करें, और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, चैक पोस्ट और दूसरी, उस समय इन पर विचार करने का वहां मौका होगा । उस समय हम उस पर गौर कर सकेंगे और हम यह कोशिश करेंगे कि ऐसी हमारे सेल्स टैक्स के कानून में जो कठिनाईयां हैं वे दूर हों और इससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो और लोगों को उससे हैरानी कम से कम हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने मजेदार कही है। उन्होंने कहा कि अगर सोने और चांदी पर टैक्स बढ़ा दिया तो जो सोने और चांदी को बेचने वाले हैं, सर्राफ लोग हैं वे सीधे ही सोना खरीदेंगे और उनकी घड़ाई करा लेगें। हम स्वयं यह चाहते हैं कि वे सीधे ही सोना खरीदें और गहने घड़ावें। समाजवाद इसी को कहते हैं। इससे जो बिचोलियां हैं, सर्राफ है वे समाप्त होंगे और लोग सीधे ही कारीगर से गहने घड़ावेंगे। यह होता है तो ठीक ही है। मेरे और माननीय सदस्य के सिद्धान्त में फर्क है। वे चाहते हैं कि सर्राफों का धन्धा बढ़े और हम चाहते हैं कि उनका धन्धा कम हो और जो हमारे कारीगर हैं उनको सीधा ही काम मिले। उनके और मेरे विचारों में मतभेद हैं। उनके विचार करने का तरीका अलग है और हमारे विचार करने का तरीका अलग है। उन्होंने हलवाइयों के बारे में एक दलील दी है। दो तरह की उनकी दलील थी। एक तो यह कहा कि रोटी और पराठे बनाने वालो पर टैक्स नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह कही कि जो 50 हजार की लिमिट है उसमें गरीब हलवाई पिस जायगा। मैं समझता हूं कि पचास हजार की बिक्री करने वाला हलवाई गरीब नहीं होगा। हिन्दुस्तान की आज जो स्थिति है उसमें उस पर टैक्स लगना चाहिये। जहां तक रोटी और परांठे का सवाल है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यहां पर यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अप्रेल, 70 को यह आदेश निकाला गया था कि इन्डियन फूड और प्रिपेरेशन जो तन्दूर की रोटी है और जो ढाबे वाले हैं, वे इस टैक्स से मुक्त होंगे। 50 हजार से नीचे वाले तो मुक्त हैं ही इसके अतिरिक्त स्पेशली तन्दूर, ढाबे वाले इससे सेल्स टैक्स का जो प्रॉविजन है उससे मुक्त है। तन्दूर, ढाबे वालों पर न तो पहले ही टैक्स लगता था और न आज लगता है। नमकीन वाले जरूर आ गये हैं। तन्दूर रोटी, परांठे वाले नहीं है.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : तन्दूर की रोटी और दूसरी रोटी....

श्री चन्दनमल वैद : ढाबे वाले, तन्दूर की रोटी, रोटी और परांठे इसमें आ गये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका एक्सप्लेशन हो जाना चाहिए........

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसको क्लेरिफाई कर दिया जाये तो ठीक रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हलवाई जो पूरी बनाते हैं वह इसमें कवर नहीं होता है।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, जो हलवाई मिठाई बेचता हो एक लाख को और पूरी भी सर्व करता हो पचास हजार को तो वह इससे एग्जम्प्ट नहीं हो सकता है। यह तो मैं नहीं चाहूंगा कि उन लोगों की पूरी के नाम पर छूट दे दी जाये। जोतेन्दूर के ढाबे वाले या दूसरे ढाबे वाले हैं, पूरी, रोटी और परांठे बनाने वाले हैं, उन लोगों को इससे छूट है। इस सम्बन्ध में हमारा जो नोटिफिकेशन निकला है वह इसको पूरा स्पष्ट कर देता है, इसको कवर कर देता है। उसमें इसका समावेश है–इण्डियन फूड प्रिपेरेशन का। लेकिन यह भी पचास हजार से नीचे वालों के लिए ही है। मैं यह नहीं चाहता कि जो मिडिल क्लास के लोग रोटी, परांठे खाते हों उन पर किसी प्रकार का टैक्स लगे किन्तु साथ ही यह भी नहीं चाहता हूं कि जो हलवाई पचास हजार से ऊपर की मिठाई बेचता हो उनको भी कोई राहत दी जाये। जो गरीब लोग है, हाथ से मेहनत करते हैं, उनको छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर उद्योग, बड़े उद्योगों और राजा महाराजाओं के बारे में और उनकी सम्पत्ति के बारे में कुछ कहा गया है। यह बिल के स्कोप में नहीं आता है। फिर भी मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़े उद्योगों के बारे में अभी आज सुबह ही प्रश्नोत्तर काल में यह सवाल आया था। इसका मैंने अध्ययन कराया है, जो कनसाइनमेन्ट, जो माल, बिना सेल किया हुआ हो, अगर उसको ब्रान्च ऑफिस को भेजा जाये या उनके किसी एजेन्टस को भेजा जाये, एजेन्ट्स में भी कई श्रेणियां हैं, तो वह सेल में नहीं आता है और सेल की परिधि से बाहर और इन्टर स्टेट सेल किया है–याने परदेश में किया सेल और परदेश से बाहर किया सेल में आ सकता है, इसके लिये रा स्थान सरकार की ओर से नहीं बनता है, भारत सरकार की ओर से बनता है और यह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत आता है। इसको स्टेट में किया हुआ सेल कहा जाये या स्टेट से बाहर किया हुआ सेल गिना जाये, इसमें काफी दिक्कत आती है और इसके लिए हमने भारत सरकार को लिखा है कि यह जो डेफीनेशन है, यह हमारी समझ में नहीं आती है। मैन्युफैक्चरर अपने ऐजेन्ट को जो माल भेजता है वह एग्जम्प्टेड है, उसके माल पर सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार का ऐसा मानना है कि अगर इस पर किसी प्रकार का टैक्स लगा दिया तो वह सेल्स टैक्स नहीं होगा यह तो एक तरह का ट्रान्सपोर्टेशन टैक्स होगा। उनका यह कहना है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर अलवर से भरतपुर को माल भेजता है या एक मैन्यूफैक्चरर भरतपुर से अपने ऐजेन्ट को उदयपुर में माल भेजता हैं तो क्या हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं, यह प्रश्न है। क्या वह मैन्युफैक्चरर राजस्थन से बाहर कलकत्ता, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बोम्बे में अपनी ब्रान्चेज को माल भेजता है तो हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं, इसके लिये हमने भारत सरकार को लिखा है और हमने उनसे कहा है कि

(श्री चन्दनमल वैद)

इससे हमको बड़ी परेशानी होती है और इसमें टैक्स की चोरी होती है यह मैं मानता हूँ। यह भी हमें मालूम है कि वहां पर जो माल बिकता है उस पर टैक्स चुकाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि एक मैन्युफैक्चरर अपने ब्रान्च ऑफिस कलकत्ता सूरत को माल भेजे तो उस पर राजस्थान में टैक्स लगे और दूसरी जगह नहीं लगे। अगर नहीं लेते हैं तो कम से कम मेरा टैक्स तो मारा जाता है। इसलिए हमने पुनः भारत सरकार को लिखा है कि वह कम से कम इस बात को देखे कि जो मैन्युफैक्चरर हमारा है वह माल बाहर भेजता है, चाहे वह ब्रान्चेज को हो, उसको सेल माना जाना चाहिये, उस माल को सेल किया हुआ मान लिया जाना चाहिये और जो मैन्युफैक्चरर मेरे यहां माल भेजता है तो वह उसको स्टेट में सेल किया हुआ मान लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात जो बड़े उद्योगपतियों के बारे में कही गई तो मैंने अभी एक निर्णय ले लिया है कि जहाँ कहीं भी यह डाउट हो गया कि टैक्सेबल है या नहीं तो हम तो टैक्स कर देंगे। अगर वे समझते हैं कि टैक्स नहीं होना चाहिये तो कोर्ट खुली हुई है वह कोर्ट में जायें। हम क्यों क्रिटिसिज्म के भागीदार बनें? हम क्यों आरोप को सहन करें कि बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को टैक्स नहीं कर रहे हैं जब कि लिखा रहता है कि टैक्सेबल है। हमने यह निर्णय कर लिया है और यह इन्स्ट्रक्शन्स दे दिए गये हैं कि जहां भी डाउट हो कि टैक्सेबल है या नहीं तो हमें तो टैक्सेबल कर ही देना चाहिए, और अगर वे यह समझते हैं कि टैक्सेबल नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना चाहें जायें।

एक राजा महाराजाओं के बारे में सवाल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीलिंग ऑफ अरबन प्रॉपर्टी आ रहा है यह आपको मालूम है तो फिर परेशानी किस बात की है? सीलिंग ऑफ अरबन प्रॉपर्टी पर भी लागू होगा, आप पर भी लागू होगा और राजा महाराजाओं और पूंजीपतियों पर सब पर लागू होगा। तो इस बात की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर एक दफा जब अरबन प्रॉपर्टी का एसेसमेंट हो जाएगा उसके बाद में यदि आप चाहेंगे और सदन की भावना सब की यह होगी और देश में ऐसी हवा आयेगी कि अरबन प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना चाहिए तो परेशानी की बात नहीं है। इस बात पर विचार किया जा सकता है। पहले भी इस बात पर विचार किया गया है कि हाउस टैक्स के बजाय अरबन प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाय, लेकिन इस बात को इस कारण से नहीं लिया गया कि आक्ट्राय के बदले हम टैक्स लगा दें। हाउस टैक्स के बदले हम टैक्स लगा दें तो क्या करेंगी म्युनिसिपैलिटीज? वह क्या केवल इतना ही करें कि जो कुछ सर्विसेज हैं उनको रेन्डर करें। यह बुरी बात होगी कि यदि अलेक्टेड बॉडिज टैक्स नहीं लगायें तो फिर जनता में उनके बारे में क्या धारणा होगी, वे जनता को फेस नहीं करना चाहती? यह समझें कि आज

(श्री चन्दनमल बैद)
राजस्थान सरकार टैक्स लगाती है और राज्य सरकार यह सोच ले कि हम टैक्स क्यों लगायें, केन्द्रीय सरकार लगा दे। हम तो स्कूल खोल दें, हास्पिटल खोल दें, डिस्पेन्सरीज खोल दें, आयुर्वेदिक औषधालय खोल दें, सड़कें बना दें। वाह वाही के काम तो हम करते रहें और हाय हाय और शर्म शर्म की बातें केन्द्रीय सरकार सुनती रहे, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। श्रेय के काम करे तो श्रेय भी वित्त मन्त्री को मिले और टैक्स लगाये तो हाय हाय भी वित्त मन्त्री को सुनना चाहिए....

श्री श्रीराम गोटेवाला : तकलीफ भी होती है।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत से पॉइन्ट्स उठाये गये थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि यहां पर राम बाग पैलेस के बिकने के बारे में बहुत सी बातें सामने आई हैं। मैं खुद इस बात से परेशान हूं और यहां पर मैंने इसलिए अध्ययन करवा रहा हूं कि स्टाम्प एक्ट. है उसमें तरमीम ला सकते हैं या नहीं। तो इस बारे में मैं भारत सरकार के अधिकारियों से भी सलाह मशविरा करने वाला हूं। अभी जो स्टाम्प बना हुआ है उसमें सबसे बड़ी परेशानी हुई है कि प्रॉपर्टी जयपुर में है उसमें भी बम्बई और कलकत्ता में रजिस्ट्री करवाते हैं तो करवा सकते हैं और रजिस्ट्री ही नहीं करवा सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी भी कलकत्ता वालों को पे कर सकते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि अध्ययन करा-कर स्टाम्प एक्ट में बहुत जल्दी एमेंडमेंड लाना चाहते हैं। न केवल यह एमेंडमेंड लाना चाहता हूं कि यह रजिस्ट्रेशन राजस्थान में हो, बल्कि यह एमेंडमेंड भी लाना चाहता हूं कि यदि कोई भी प्रॉपर्टी कम दामों में बिकती है और राज्य सरकार यह मानती है कि कम दामों में बिकी है तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि जितने दामों में प्रॉपर्टी बिकी है राज्य सरकार उसको ले सके। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि भारत सरकार भी इसमें सम्मिलित है और भारत सरकार से बात चीत करनी पड़ेगी। उनसे भी राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें उनसे भी हमारा सम्बन्ध है।

यह बात मैं आप से अर्ज करना....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अरबन टैक्स वाला....

श्री चन्दनमल बैद : उसका मैंने अभी तक अध्ययन नहीं किया हुआ है। कुछ विषय जिनके बारे में मेरा अध्ययन किया हुआ है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं अभी तक अध्ययन नहीं कर पाया हूं, और उनका अध्ययन कर रहा हूं। मेरी यह हमेशा मान्यता रही है कि जितनी राज्य की आमदनी बढ़ सके, बढ़ाई जाय। न तो वह रियायत, राजा-महाराजाओं के साथ में अन्य पूंजिपतियों के साथ में की जा रही है। रू-रियायत अगर की जायगी तो पिछड़े हुये लोगों के लिए की जायगी, गरीब लोगों के साथ

(श्री चन्दनमल वैद)

की जायगी। यह आप विश्वास रखें। मुझे जिस दिन उसका पता लग जायगा मैं उसको लागू करूंगा। मैं खुद चाहता हूं कि जितने लूप होल्स हैं उनको रोका जाय। स्टाम्प एक्ट के बारे में मुझे नहीं बताया गया था और न सदन में इसके बारे में चर्चा हुई थी। यह मेरे ध्यान में आया तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि स्टाम्प एक्ट में तरमीम करने के लिए आप कदम उठायें। मैं जल्दी ही भारत सरकार से बात करके संशोधन करने के लिए कदम उठाने वाला हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो भी इस प्रकार के मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब दे रहा हूं और सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मनोरंजन कर के बारे में आप बता सकते हैं कि नगरपालिकाओं को क्या मिलता है। अभी तक वह मिलता है जो 56 में उनको मिलता था। तो इसके लिए मैंने एक राज्य वित्त आयोग के बारे में सुझाव दिया है। उसके बारे में कुछ कहें।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि मनोरंजन कर जो है वह राज्य सरकार का लेजिटिमेट टैक्स है और उसको राज्य सरकार को लेना चाहिये। हमने इस वास्ते कुछ म्युनिसिपेलिटीज को इसमें से हिस्सा दिया है जो कि उस समय यह टैक्स म्युनिसिपेलिटीज वसूल कर रही थीं। हम नहीं चाहते थे कि म्युनिसिपेलिटीज की जो आमदनी उस वक्त हो रही थी उसमें किसी प्रकार की कमी हो इसलिए उस वक्त जो आमदनी हो रही थी वह उनको दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने अपने प्रस्ताव वापिस लेते हैं या उनको मतदान के लिए रखा जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं वापिस ले रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी वापिस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव इनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है। (विराम)

श्री चन्दनमल वैद : वापिस लेता हूं कह दें खड़े होकर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं वापिस लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी वापिस लेता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : भार्गव साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी वापिस ले लेता हूं।

राजस्थान करारोपण विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज मूड में नहीं हैं सदस्य और सदन से जल्दी जाना चाहते हैं। लेकिन अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने अरबन टैक्स के बारे में उत्तर दिया और यह कहा है कि मैं अभी तक उसका अध्ययन नहीं कर सका हूं। मैं समझता हूं कि यह टालने की बात है इस सदन में जब से इस प्रश्न को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर की बहस में उठाया गया है। इस बात को इस सदन में फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच पर जनरल डिबेट पर इसको उठाया गया है। टैक्सेज के सम्बन्ध में उठाया गया है और आज वह एप्रोप्रियेशन बिल पर उठाया गया है; लेकिन अब भी आप यह कहें कि अध्ययन नहीं कर पा रहा हूं तो यह तो गोल्डन सावरेक के प्रिन्सीपल वाली बात बनती है और उस बात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि कम से कम इस फेक्ट को इस हाउस के सामने यहां बतायें कि क्या यह सही है 65 में ऐसा कानून पास होकर एक टैक्स लेवी हुआ था, और क्या यह सही है कि अभी तक उस टैक्स की कोई वसूली नहीं हुई है? क्यों नहीं हो रही इसका आप अध्ययन करके बतायेंगे। वह बात अलग है। लेकिन इस फेक्ट को तो मानें कि यह बात सही है। तो इतना कहने के बाद भी चूंकि आप बहुमत में हैं और जो कुछ मैं कहता हूं उसका आप जवाब न दें तो भी हमारे पास कोई बात फोर्स करने के लिए नहीं है। लेकिन आज जब अपनी स्टेट के फाइनेन्स के बारे में सोच रहे हैं, आपको डिफिकल्टीज जो फाइनेन्स की होती हैं उस डिफिकल्टी के बारे में खुद सिम्पेथेटिक एटीट्यूड अपनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लें कि एक्साइज ड्यूटी के संबंध में ही सवाल आया, आज शराब बन्दी के बारे में सत्याग्रह चल रहा है और नैतिक रूप से स्वयं भी आप उस बात को मानते हैं, लेकिन केवल इस बात से कि 10 करोड़ का डेफिसिट हो जायगा इसलिए इसके पर हम मजबूर है यह एक दलील आप देते हैं जिससे हम भी कन्वीन्स्ड हैं तो ऐसी हालत में जो ग्लेरिंग आपको आमदनी है जिसको आपको बताया जा रहा है, उसके बारे में आप बतायें नहीं कि आप इसको वसूल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप आमदनी छोड़ रहे हैं, यह केवल एक बहाना है। उसमें हम सही तरीके से वाइप आउट नहीं कर सकते हैं फिर यह एटीट्यूड भी दिमाग में नहीं बनता है कि कोई शजेशन गवर्नमेंट के सामने रखा जायगा तो गवर्नमेंट का मानस उस पर जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिना पर कि आपकी मेजोरिटी है और आज कोई एक शब्द भी न बोले तो भी आपकी सब बातें मन्जूर हो जायेंगी, लेकिन उससे अच्छी इमेज क्रियेट नहीं करेंगे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज जो मैजोरिटी बनी है उसका वातावरण इसी प्रश्न पर आपने खड़ा कर दिया कि बारबार पूछने पर भी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन करना है कि और बातों को नहीं लेकर डाइलेट्री टेक्टिक्स अपना कर एवायड करने की कोशिश नहीं करेंगे। कम से कम इन दो बातों का जवाब दे दें कि 65 में इस तरह का बिल बनाकर टेक्स लागू किया गया था या नहीं; और 20 लाख की आमदनी कूती गई थी या नहीं, और अभी तक एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया। यह बातें सही है या नहीं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्रीजी ने मनोरंजन कर के बारे में कहा है कि उसका सरकार को अधिकार है वह नहीं देगी। यह बात तो कह दी वह जो चाहे कह सकते हैं मेरा निवेदन करना है वह पुनर्निर्धारण के बारे में है। 62 में एक्टपास किया था और 62 में जो आय थी उसके हिसाब से दे रहे हैं। पहले तो सिनेमा कम थे और अब ज्यादा हो गये हैं उनके पुनर्निर्धारण के बारे में विचार नहीं करेंगे तो और नगरपालिकाओंको मनोरंजन कर नहीं देंगे तो उनकी हालत खराब हो जायगी तो मैंने पुनर्निर्धारण के बारे में बात कही है। उसका उत्तर नहीं दिया। जिस प्रकार से राज्य की आय के सोर्सेज के बारे केन्द्रीय वित्त आयोग की मांग करते हैं उसी प्रकार से राज्य की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है उनको भेदभाव से अनुदान देंगे उसके बारे में राज्य वित्त आयोग के बारे में निवेदन किया था। उसके बारे में जवाब नहीं दिया।

और दूसरी बात, दस करोड़ की बात कह 2 कर जो शराब बन्दी नहीं करना चाहते है, वह तो एक बहाना है। 10 करोड़ की शराब की ही आय नहीं है। उसमें भांग, गांजा, चरस और भी कई चीजें हैं। यह 10 करोड़ की आय का बहाना बनाया जा रहा है। अगर वह घटा दिया जाये तो बहुत ही कम घाटा रह जायेगा। इस प्रकार मैंने जो निवेदन किया, उसके आधार पर मन्त्री महोदय, कुछ कहें सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो इन्दिरा गान्धी के नाम से जो उन्होंने मैजोरिटी दी है, उससे आप चाहें जो करें।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह ख्याल हो कि यहां पर अब्सोल्यूट मैजोरिटी के आधार पर काम किये जाते हैं, तो यह उनका अपना दृष्टिकोण है। यहां जो होता है वह, सदन का सम्मान करते हुये........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : होता है। हम इसी आधार पर चलते हैं, लेकिन अगर लोगों का यह मानना हो कि हम सर्वनाशी मोइनरिटी में हैं तो उसके लिए हम क्या करें। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई वजनदार बात कहें तो मानी जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये विकास का काम अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हमारी बात तो सुन लें। आप प्रोहिबिशन के बारे में कहते हैं, जब कि उसके बारे में काफी स्टेटमेन्ट हो चुके हैं। आप आंकड़ों के बारे में बोल रहे हैं। हमने आठ पेज का पढ़ कर आपको बताया है। इसके बावजूद यह मानकर चलें। गोकुल भाई के लिए हमारे मन में श्रद्धा है। हमारे दिल में उनके लिए आदर है। आप उनके बारे में यह दिखाना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो नकल करने में रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन गांधी जी के नाम पर वोट लिये हैं। शराबबन्दी तो गांधी जी का कार्यक्रम है। गोकुल भा उसी के लिए अनशन कर रहे हैं। चुनाव में गांधी जी के नाम पर वोट लेते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप किसके नाम पर लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम अपनी पार्टी के बलबूते पर जीतकर आये हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : मेरा कहना यह है कि मैजोरिटी के आधार पर हम यह नहीं कर रहे हैं। अरबन लैण्ड के बारे मे माननीय सदस्य ने कहा है। उस पर कितना पैसा वसूल हुआ है। मैं उसकी अभी जानकारी नहीं कर सका हूं। पूरा अध्ययन करने का अभी हमको समय नहीं मिला है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अध्ययन करने के बाद उनको लिखूंगा। पहले भी उन्होंने कहा है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी टालने की मंशा नहीं है। मौका पड़ा तो सदन में भी इस बात का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे। अगर कोई गलती भी हुई तो हम उसको सुधारेंगे। हमारी और आपकी दोनों की ही मंशा है कि स्टेट की ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। छुपाने की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23-5-72 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 4 बजकर 35 मिनट पर, मंगलवार दिनांक 23-5-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 656 की सूची)

1. हल्के किस्म का लोहा (लो ग्रेड आइरन ओर) मोहनपुरा, इन्द्रगढ़, लोहारपुरा।
2. सफेद मिट्टी मानक चौक
3. बेराइटीज-पगारा गांव के निकट
4. सीमेन्ट बनाने का पत्थर हरीपुरा, सतुड़ क्षेत्र
5. बेसमेटल (शीशा, तांबा, जस्ता आदि) इन्दुड़ा, नेलवा क्षेत्र के गरडरी और बोरमा ब्लॉक में।

———

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 676 की सूची)

व्यापारियों एवं उद्योगों से अनुबन्ध (इकरारनामों) की तालिका

क्र.	व्यापारी का नाम	अनुबन्ध की तिथि	अनुबन्ध की अवधि	अनुबन्ध के अन्तर्गत नमक की निकासी की गई	अनुबन्ध के अन्तर्गत कन्सेशन दिया	जमानत ली गई	जमानत जब्त की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				क्विन्टल	रु.	रु.	रु.	
1.	मैसर्स कनोडिया कैमिकल इन्ड. रेनूकूट (मिर्जापुर)	9-8-69	4 वर्ष	1,10,720	—	10,000	—	
2.	मैसर्स श्रीराम विनायल इन्ड., कोटा	1-4-70	3 वर्ष	2,46,490	36,973.50	—	—	अनुबन्ध के अनुसार पार्टी ने पूरी कीमत पर नमक उठाया कन्सेशन पूरा माल उठाने पर दिया गया। इसलिए जमानत लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Page No. 126

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	मै. गणेशमल रूपचन्द भण्डारी, नमक व्यापारी पचपदरा सिटी	5-6-70	1 वर्ष	80,620	12,093.00	10% रकम जमा शुदा इन्डेन्ट	—	
4.	मै. मंजू साल्ट सप्लायर्स, व्यापारी	7-6-70	1 वर्ष	45,385	6,807.75	,,	—	
5.	मै. घासीराम मांगीलाल ,,	2-7-70	1 वर्ष	58,426	8,763.90	,,	—	
6.	मै. गणेशमल रूपचन्द भण्डारी व्यापारी	5-6-71	1 वर्ष	1,00,050	15,007.50	,,	—	
7.	मै. मंजू साल्ट सप्लायर्स व्यापारी	2-8-71	1 वर्ष	43,645	6,547.75	,,	—	
8.	मै. घासीराम मांगीलाल ,,	1-7-71	1 वर्ष	50,600	7,590.00	,,	—	
9.	मै. मदन साल्ट कम्पनी ,,	6-10-71	1 वर्ष	53,505	6,750.00	,,	—	
10.	मै. बारदाना एण्ड कम्पनी, जयपुर व्यापारी	3-1-69	2 वर्ष	2,320	—	1,892.25	1,892.25	
11.	मै. किशोरी एण्ड कम्पनी व्यापारी	29-9-70	1 वर्ष	—	—	1,892.25	1,892.25	
12.	मै. केसरीमल सीताराम ,,	20-6-70	1 वर्ष	8,120	—	10% रकम जमा शुदा इन्डेन्ट	—	
13.	मै. मनभरदयाल हरजीवनलाल व्यापारी	21-7-70	1 वर्ष	18,266	—	,,	—	
14.	मै. प्रेम एण्ड कम्पनी व्यापारी	20-9-70	1 वर्ष	1,885	—	,,	—	
15.	मै. ओंकारमल रामेश्वरदयाल व्यापारी	19-10-70	1 वर्ष	8,120	—	,,	—	
16.	मै. हरिराम रामस्वरूप व्यापारी	21-9-71	1 वर्ष	18,470	—	,,	—	
17.	मै. हस्तीमल पुखराज, ,,	25-9-71	1 वर्ष	2,175	—	,,	—	
18.	मै. छाजूलाल एण्ड कम्पनी व्यापारी	20-2-72	1 वर्ष	14,500	—	,,	—	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
19.	मै. दुलीचन्द केवलचन्द	व्यापारी	21-8-70	1 वर्ष	19,285	—	10% रकम जमा शुदा इन्डेन्ट	—	
20.	मै. बांकीदास भूतराज	,,	5-9-70	1 वर्ष	2,465	—	,,	—	
21.	मै. महावीर साल्ट सप्लायर्स	,,	5-9-70	1 वर्ष	6 960	—	,,	—	
22.	मै. मदन साल्ट कम्पनी	,,	28-9-70	1 वर्ष	12,470	—	,,	—	
23.	मै. हरीराम रामस्वरूप	,,	14-10-70	1 वर्ष	9,135	—	,,	—	
24.	मै. गोरीलाल हीरालाल	,,	9-11-70	1 वर्ष	6,090	—	,,	—	
25.	मै. विश्वनाथ कैलाशचन्द	,,	19-9-70	1 वर्ष	—	—	,,	—	काम शुरू नहीं किया।
26.	मै. पदमचन्द नरोत्तमलाल	,,	20-10-70	1 वर्ष	—	—	,,	—	,,
27.	मै. हनुत साल्ट कम्पनी	,,	11-10-71	1 वर्ष	—	—	,,	—	,,
28.	मै. गणेश साल्ट कसर	,,	18-3-72	1 वर्ष	—	—	,,	—	

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 681 की सूची)

List of Primary Schools raised to Upper Primary Schools in Alwar District from 1967-68 to 1971-72 (5 years).

S. N.	Name of school	Name of Panchayat Samiti	District
1	2	3	4
1967-68 Nil			
1968-69			
1.	Parveni	Reini	Alwar
2.	Umrain	Umrain	„
3.	Bathkhani	Neemrana	„
4.	Nayabas	Urban area	„
5.	Bichgaon	Laxmangarh	„
6.	Bhojpur	Govindgarh	„
7.	Bagad Rrjpur	Rajgarh	„
8.	Putholi	Laxamngarh	„
9.	Mundawar (Girls)	Mundawar	„
1969-70 Nil			
1970-71 Nil			
1971-72			
1.	Vallabhgram	Kishangarh	Alwar
2.	Haldina	Umrein	„
3.	Burja	Umrein	„
4.	Sahadoli	Ramgarh	„
5.	Bara Bhadkol	Laxmangarh	„
6.	Tasai	Kathumar	„
7.	Garh Basai	Thanagazi	„

1	2	3	4
8.	Ajabgarh	Thanagazi	Alwar
9.	Basi Jogyan	Thanagazi	,,
10.	Rly. Station	Alwar	,,
11.	Keelpur Khera	Reini	,,
12.	Shyamela	Mundawar	,,
13.	Doroli	Reini	,,
14.	Ghaneta	Ramgarh	,,
15.	Bhajeda	Reini	,,
16.	Hamidpur	Behror	,,
17.	Kishangarh Bas (Girls)		,,
18.	Kathumar (Girls)		,,
19.	Kotkasim (Girls)		,,
20.	Narainpur (Girls)		,,
21.	Garhi Sawairam (Girls)		,,
Total:—30			

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 686 की सूची)

क्र.सं.	नाम समिति	दिनांक सूचना प्राप्ति	किस माध्यम से	दोषी का नाम	राशि	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	देवली ग्राम से.स.स.	19-7-66	निरीक्षण	श्री छोटेलाल	1019.84	धारा 74 के तहत फैसला दिनांक 11-8-67 को किया धारा 118 (1) के प्रमाण-पत्र दिनांक 25-2-72 को जारी हुआ है जो समिति को भेजा जा चुका है।
2.	बुरजा ,,	30-1-67	निरीक्षण	श्री मुन्नालाल	3657.62	धारा 74 के केस का फैसला दिनांक 23-1-68 को हो चुका है दिनांक 24-3-72 को धारा 118 (1) के तहत प्रमाण-पत्र हो चुका है।
3.	मोहम्मदपुरा ,,	23-7-63	निरीक्षण	श्री रघुनाथसिंह श्री गंगाराम श्री रेवतसिंह	3131.75	ऐडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, दौसा के यहां केस चल रहा है।
4.	टूटीयावास ,,	15-12-69	निरीक्षण	श्री मूलचन्द	11326.33	दिनांक 3-5-72 को धारा 74 (2) के तहत आरोप-पत्र जारी हो चुका

1	2	3	4	5	6	7
						है। एवं समिति की प्रबन्धकारिणी धारा 36 के तहत भंग की जाकर समिति प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।
5.	लालसोट विषयसनी	7-2-72	निरीक्षण	श्री प्रभुलाल	26453-05	धारा 74 (1) के तहत जांच के आदेश दिनांक 13-3-72 को हो गये। व्यवस्थापक ने जांच हेतु दिनांक 15-5-72 तक का समय चाहा है।
6.	लालसोट किसान ग्राम से.स.स.	21-5-71	निरीक्षण	श्री रामेश्वर जिन्द	1028-50	कोषाध्यक्ष श्री रामकिशोर के विरुद्ध दिनांक 24-4-72 को फैसला दिया जा चुका एवं मंत्री श्री रामेश्वर जिन्द के विरुद्ध धारा 74 (2) की कार्यवाही जारी है। मंत्री की चल सम्पति धारा 120 के तहत 8-2-72 को कुर्क की जा चुकी है। प्रबन्धकारणी के विरुद्ध धारा 36 की कार्यवाही जारी है।
				श्री रामकिशोर	191-06	

1	2	3	4	5	6	7
7.	चान्दावास ग्राम से.स.स.	3-1-72	ऑडिट	श्री रामदेव श्री सत्यप्रकाश	640-00 738-00	धारा 74 (1) के जांच के आदेश दिनांक 7-1-72 को जारी की जा चुकी है। जांच जारी है।
8.	भापदा ग्राम से. स.स.	26-10-71	निरीक्षण	श्री नटवरसिंह	7650-23	धारा 74 (2) के तहत दोष विवरण पत्र दिनांक 10-4-72 को जारी हो चुका है।
9.	चान्द सैन ग्राम से.स.स.	7-7-71 1-1-72	ऑडिट	श्री रामजीलाल श्री छोटेलाल	1669-01 215.00 1090.00	धारा 74 (1) के तहत जांच आदेश दिनांक 7-1-72 को हुये जांच जारी है।
10.	राजोली ग्राम से.स.स.	4-11-71	निरीक्षण	श्री जगदीशप्रसाद	3934-67	धारा 74 (2) के तहत दोष विवरण पत्र दिनांक 3-5-72 को जारी किया जा चुका है। प्रबन्धकारिणी के विरुद्ध धारा 36 की कार्यवाही की जा रही है।
11.	खटवा ग्राम से.स.स.	3-1-72	निरीक्षण	श्री भरतसिंह	3158.86	धारा 74 (1) के तहत जांच के आदेश 17-3-72 भी जारी किये जा चुके है कोषाध्यक्ष की मृत्यु हो चुकी है। वारिसों के नाम मागे गये है।

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची)

क्र. सं.	योजना का नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार।
1.	गनोड़ा	396
2.	बलेरा	687
3.	दीवानी	476
4.	डंगरास	398
5.	चाड़वास	2845
6.	रेनपुरा	324
7.	घुरेरिया	432
8.	दुनकर	850
9.	छापर टाउन	7255
10.	गोपाल पुरा	1543
11.	रूपैली	289
12.	सोरावास	184
13.	वीर छापर	124
		15803

परिशिष्ट-6

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर) —

उदयपुर जिले की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की सहायता

688. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में किन किन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितन व कितना कितना प्रतिशत आर्थिक सहायता दी गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि 1971-72 के वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने सेण्टपॉल स्कूल उदयपुर व सेटतोलसरा स्कूल उदयपुर को भी वित्तीय सहायता दी ? यदि हां, तो इन दोनों शिक्षण संस्थाओं को कितन कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ?

(2) जी नहीं।

उदयपुर जिले की अधो अंकित संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 1971-72 में उनके नाम के आगे अंकित प्रतिशत से अनुदान के रूप में स्वीकार की गई है:—

(1) कॉलेज शिक्षा

क्रम सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत अनुदान सन् 1971-72	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	भूपाल नोबल्स कॉलेज, उदयपुर।	3,32,360/-	70 प्रतिशत
2.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर		
	(क) मा. व. श्रमजीवी बी. कॉलेज, उदयपुर	1,62,700/-	90 प्रतिशत
	(ख) उदयपुर स्कूल ऑफ सोसियल वर्क्स, उदयपुर	1,40,130/-	90 प्रतिशत

1	2	3	4
3.	विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	2,50,000/-	विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट के प्रतिशत के सम्बन्ध में लेख है कि इस संस्था को वर्ष के अनुमानित व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है, शेष मान्य व्यय में से शुल्क बाद करके 80 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में राज्य सरकार वहन करती है।

(2) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि	प्रतिशत
1.	सेंटमेरी कोनवेण्ट कन्या उ. मा. वि., उदयपुर	33,000/-	50 प्रतिशत
2.	उ. प्रा. शाला आलोक, उदयपुर	22,000/-	,,
3.	संत तरेसा कन्या उ. प्रा. शाला, उदयपुर	22,000/-	,,
4.	विद्या निकेतन प्रा. शाला, ऋषबदेव	7,000/-	,,
5.	श्री शास्त्री प्र. स्कूल, उदयपुर	7,000/-	,,
6.	सर्वोदय शिशु शिक्षण केन्द्र, उदयपुर	7,000//-	,,
7.	विद्या निकेतन कन्या प्रा. वि. उदयपुर	7 000/-	,,
8.	नवभारत उ. मा. वि. उदयपुर	35,000/-	,,
9.	विद्या निकेतन मा वि. उदयपुर।	27,000/-	,,

केवल तदर्थ सहायता

1.	मदरसा तैया विया सोसाईटी, उदयपुर	10,000/-	तदर्थ सहायता
2.	गांधी सेवा सदन, राजसमन्द,	5,000/-	,,
3.	सरस्वती शिक्षा निकेतन, उदयर	3,000/	,,

———

परिशिष्ट 7

(अतारांकित-प्रश्न संख्या 263 की सूची)

लिस्ट—तहसील हिण्डौन, अनुसूचित जनजाति

क्रमांक	नाम सदस्य मय वल्दियत	ऋण राशि
2	2	3
1.	श्री कजोड्या पुत्र गोकल मीना	2200.00
2.	,, रमल्या पुत्र गिरवर मीना	1200.00
3.	,, शिवलाल पुत्र गिरवर मीना	1500.00
4.	,, गुलाब पुत्र रामकिशन मीना	2400.00
5.	,, गुलाब ग्यासिया पुत्र गिल्हारया चमार	1200,00
6.	,, पून्या पुत्र चून्या चमार	1500.00
7.	,, दौजी पुत्र लट्टूरिया चमार	1500.00
8.	,, गिल्ली पुत्र विशन्या मीना	2800.00
9.	,, खुशी पुत्र परमा चमार	300.00
10.	,, नत्थी पुत्र गेंदा चमार	1200.00
11,	,, रुग्घा पुत्र गंगाराम चमार	1800.00
12.	,, धमोली पुत्र सीता चमार	1500.00
13.	,, कंवरपाल पुत्र गेंदा मीना	5000.09
14.	,, सुखलाल पुत्र लोहड़े मीना	1250.00
15.	,, लड्ढे पुत्र गोकल चमार	1100.00
16.	,, श्योसिंह पुत्र छीतरिया मीना	3000.00
17.	,, खोखलिया पुत्र जयराम चमार	2500.00
18.	,, मंगल पुत्र मूला चमार	3000.00
19.	,, किशोरी पुत्र इन्दर मीना	3600.00
20.	,, गिल्ली पुत्र हरफूल मीना	2800.00
21.	,, कजोड़ो पुत्र पांचा मीना	4500.00
22.	,, चम्पाराम पुत्र अंगद मीना	2200 00
23.	,, नथुवा पुत्र देवबक्स मीना	2000 00
24.	,, मोतीलाल पुत्र जोधा मीना	2500.00
25.	,, उदयचन्द पुत्र जीता मीना	2500.00
26.	,, दयाचंद पुत्र वन्शोधर मीना	2500.00
27.	,, सोना पुत्र राधाकिशन मीना	1500.00
28.	,, रमलू पुत्र बक्सी मीना	2000.00

1	2	3
29.	श्री रामलाल पुत्र झम्मन चमार	2000.00
30.	,, सुवा पुत्र नन्दराम चमार	1400.00
31.	,, लुखरे पुत्र हरिया चमार	1200.00
32.	,, गिरीबा पुत्र रामहेत चमार	3000.00
33.	,, रामबल पुत्र धुठया मीना	2000.00
34.	,, लल्लू पुत्र बुलल्ले मीना	2500.00
35.	,, घीस्या पुत्र मंगल मीना	2000.00
36.	,, मूला पुत्र हटीला मीना	2400.00
37.	,, गोपी पुत्र धूल्या मीना	6000.00
38.	,, हरफूल पुत्र बक्सी मीना	2000.00
39.	,, गोरी पुत्र कन्नीराम मीना	6000.00
40.	,, तीतुरिया पुत्र श्योबक्स मीना	3000.00
41.	,, रामभरोसी पुत्र सुखराम चमार	2500.00
42.	,, विशन्या पुत्र खुटिया मीना	4000.00
43.	,, रामोली पुत्र फैली चमार	3100.00
44.	,, बीरबल पुत्र गंगाराम चमार	700.00
45.	,, फूलचन्द पुत्र गंगाविशन मीना	5000.00
46.	,, भूरया पुत्र फैली मीना	2450.00
47.	,, पन्ना पुत्र उदयराम चमार	2000.00
48.	,, मौजी पुत्र नानगा मीना	1400.00
49.	,, चिरमोली पुत्र भंजु चमार	2000.00
50.	,, इन्दर पुत्र फूला चमार	1500.00
51.	,, कुन्जी पुत्र लखन्या चमार	2000.00
52.	,, श्रवण पुत्र नन्दराम चमार	2500.00
53.	,, किशोरी पुत्र सुगनिया चमार	1250.00
54.	,, कुंजी पुत्र निरभू मीना	1500.00
55.	,, ग्यारसा पुत्र सुखलाल मीना	2000.00
56.	,, मंगू पुत्र ईंदर मीना	1500.00
57.	,, सुगन पुत्र जगराम चमार	3000.00
58.	,, शिवचरण पुत्र गंगाधर मीना	3000.00
59.	,, सुखराम पुत्र किशनलाल मीना	2000.00
60.	,, ठंडी पुत्र रामकिशन मीना	2500.00
61.	,, प्रभूलाल पुत्र गंगाधर	1500.00
62.	,, बोलाल पुत्र उदयचंद मीना	3000.00

Page No. 138

1	2	3
63.	श्री सुवा पुत्र श्यामलाल मीना	5000.00
64.	,, हरेत पुत्र भोला चमार	2000.06
65.	,, जिसी पुत्र सोनपाल मीना	1500.00
66.	,, रामफूल पुत्र सांवलिया मीना	470000
67.	,, किशन्या पुत्र पांचा चमार	1200.00
68.	,, छतरे पुत्र गोकल चमार	1300.00
69.	,, मूला पुत्र पेमा कोली	1000.00
70.	,, लट्टरया पुत्र हटीला चमार	3000.00
71.	,, जयकिशन पुत्र बुद्धा मीना	7000.00
72.	,, मोहनलाल पुत्र बुन्धी चमार	2000 00
73.	,, कलुवा पुत्र परमा चमार	1500.00
74.	,, छोटे पुत्र सुखलाल मीना	4000.00
75.	,, तुलसी पुत्र मूला मोना	6000.00
76.	,, हटीला पुत्र रिक्खू चमार	1000.00
77.	,, किशन पुत्र रूपी चमार	2800.00
78.	,, प्रभू पुत्र पतले चमार	4500.00
79.	,, रामहेत पुत्र किशनलाल मीना	2000.00
80.	,, कलुवा पुत्र श्रीलाल मीना	6000.00
81.	,, ज्ञाना पुत्र छीतरिया चमार	1500.00
82.	,, परमोली पुत्र लखन्या चमार	750.00
83.	,, मिश्रीलाल पुत्र जिम्बू मीना	2900.00
84.	,, कलुवा पुत्र गंगाधर चमार	1000.00
85.	,, किशोरी पुत्र फैली मीना	3000.00
86.	,, भूपसिंह पुत्र बुद्धा यादव	2000.00
87.	,, चन्दरसिंह पुत्र सुका मीना	2000.00
88.	,, श्योलू पुत्र बुद्धा मीना	3500,00
89.	,, गोविन्दा पुत्र हीरालाल चमार	2500.00
90.	,, कजोड़ी पुत्र किशनलाल चमार	1400.00
91.	,, दौजी पुत्र सोनपाल चमार	1250.00
92.	,, विशन्या पुत्र देवल्या चमार	950 00
93.	,, सम्पतया पुत्र हटीला चमार	3000.00
94.	,, रामेली पुत्र मुकन्दा चमार	5000.00
95.	,, श्योजी पुत्र पांचा मीना	6000.00
96.	,, रंगलाल पुत्र किशोरी मीना	3000.00

1	2	3
97.	श्री जयनारायण पुत्र चम्पोला मीना	2500.00
98.	,, रज्जी पुत्र हीरालाल मीना	5000.00
99.	,, नथुवा पुत्र देवीराम चमार	1500.00
100.	,, रामजीलाल पुत्र श्रवण मीना	3000.00
101.	,, दौजी पुत्र बंशी चमार	3000.00
102.	,, जोधा पुत्र मोहरपाल मीना	2000.00
103.	,, रामदेव पुत्र जिसा मीना	7000.00
104.	,, अंगद पुत्र देवराम चमार	1500.00
105.	,, जग्गू पुत्र भोरया चमार	1500.00
106.	,, किशोरी पुत्र हट्टी मीना	1500.00
107.	,, गिल्हारी पुत्र खाडू चमार	4000.00
108.	,, सुन्दर पुत्र बुद्धा मीना	5000.00
109.	,, नथोली पुत्र घासी मीना	5000.00
110.	श्रीमती मथुरी स्त्री चिरंजी	1500.00
111.	श्री रामजीलाल पुत्र जसराम मीना	5000.00
112.	,, मनफूल पुत्र मुरली चमार	1500.00
113.	,, श्रीफूल पुत्र भम्वल मीना	1500.00
114.	,, जगन पुत्र भोला चमार	4400.00
115.	,, मांग्या पुत्र श्योबक्स मीना	3000.00
116.	,, श्रीफूल पुत्र मलखान मीना	1500.00
117.	,, अंगद पुत्र लोहडे मीना	1000.00
118.	,, समधन पुत्र कानीराम मीना	3000.00
119.	,, मगनलाल पुत्र ऊंकारया मीना	2500.00
120.	,, कजोड्या पुत्र लोहड़े मीना	4000.00
121.	,, सुन्दर पुत्र हरदेव चमार	2700.00
122.	,, कजोड़या पुत्र घासी चमार	5000.00
123.	,, सम्पत पुत्र गिरवर चमार	5000.00
~~124.~~	~~,, लटस्यिम पुत्र चन्दे चमार~~	2000.00
125.	,, गंगाबिशन पुत्र भोलू चमार	2500.00
126.	,, कल्याण पुत्र फंलू चमार	5000.00
127.	,, भौरया पुत्र सुखलाल मीना	13000.00
128.	,, रतनलाल पुत्र श्योजी मीना	3000.00
129.	,, नानगा पुत्र फूलचन्द मीना	5000.00
130.	,, मांगी पुत्र मोती चमार	3000.00

Page No. 140

1	2	3
131.	श्री जोहरी पुत्र गंगाविशन मीना	6000.00
132.	,, रामदेव पुत्र भग्गा मीना	2000.00
133.	,, मगल पुत्र रामा चमार	3000.00
134.	,, हरकिशन पुत्र हरफूल मीना	4000 00
135.	,, कन्हैया पुत्र रामकिशन चमार	5000.00
136.	,, प्रभू पुत्र सांवलिया मीना	6000.00
137.	,, परभाती पुत्र भिक्कू चमार	2500.00
138.	,, डोडी पुत्र भट्टा चमार	20000.00
139.	,, दोंजी पुत्र श्योले चमार	2000.00
140.	,, शिवलाल पुत्र मगनलाल मीना	3000.00
141.	,, हरसुख पुत्र नंदा मीना	6000.00
142.	,, हरिया पुत्र सम्पतया चमार	4000.00
143.	,, श्योनारायण पुत्र समीता मीना	19500.00
144.	,, मंगल पुत्र रामहेत चमार	5000.00
145.	,, भोला पुत्र रामहेत चमार	6000.00
146.	,, परभा पुत्र नानगा चमार	6000.00
147.	,, कुंजी पुत्र सूकी चमार	6000.00
148.	,, सुगन पुत्र भोलू चमार	2500.00
149.	,, बिन्दा पुत्र बुद्धा चमार	4000.00
150.	,, रामलाल पुत्र रामहेत चमार	4000.00
151.	,, भरोसी पुत्र मिश्राराम मीना	2500.00
152.	,, चिरंजी पुत्र सुखलाल मीना	6500.00
153.	,, धनपाल पुत्र जयराम मीना	3500.00
154.	,, सूवा पुत्र देवराज मीना	5000.00
155.	,, भिक्की पुत्र लाल मीना	7000.00
156.	,, भोरीलाल पुत्र मूला मीना	7500.00
157.	,, कुंजीलाल पुत्र कारू मीना	5000.00
		योग.... 5173000.00

परशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 268 को सूची)

गांव का नाम	जन संख्या सन् 1961 की जन गणना के अनुसार
1. सोंप	2111
2. शहूर	2368
3. कुंजेला	1411
4. बरदाला	1426
5. केमा	772
6. केमरी	2816
7. केनला	1973
8. नादोती	1587
9. तसगांव	1493
10. रूसी	1300

———

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 22 मई, 1972

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
5	अन्तिम से	11	इसका	इतना
6	,,	9	की	के
17	ऊपर से	6	को	की
18	अन्तिम से	6	कम	कर
20	ऊपर से	7	उसको	उसका
38	ऊपर से	14	यहां	यह
39	ऊपर से	3	श्री चन्नदमल	श्री चन्दनमल वैद
	,,	13	श्री जैठमल	श्री जेठमल
42	,,	4	वह	यह
	,,	6	को	की
	अन्तिम	5	हों	हां
44	,,	14	चान	बेचान
	,,	12	दिन	जिस
	,,	6	व	वे
52	ऊपर से	13	में	है
67	अन्तिम से	5	सुडा	सूंडा
91	ऊपर से	10	इत	इस
	अन्तिम से	3	जनकारी	जानकारी
	,,	1	को	के
113	,,	15	हेडिंग	होर्ड
	,,	11	स्लीप	स्लिप
123	,,	15	मान	भान
135	,,	5	रे जेन्सी	ऐजेन्सी
195	ऊपर से	10	बेरोजगार	बेरोजगार
221	ऊपर से	10	1 65	1965
225	,,	18	रिर्सोज	रिसोर्सेज
	,,	19	,,	,,
229	,,	14	Penelty	Penalty
	,,	15	Liew	Lieu
230	,,	7	इन्पेक्टर	इन्सपेक्टर
	अन्तिम से	9	रइी	रही
232	,,	8	रो ी	रोटी
245	,,	12	भा	भाई